खण्ड-179, अंक-2
मंगलवार, 17 आश्विन, शक संवत् 1878
(9 अक्टूबर, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 179 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 4 आने, महसूल सहित 5 आने |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ९ अक्तूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३४७)

अंसमानसिंह, श्री
अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतहरहुसेन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूपसिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अवधेशप्रताप सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालिकासिंह, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवपांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेंद्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सागर, श्री
छेदालाल, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ बख्शदास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेंद्रसिंह बिष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
~~झ~~खंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री (जदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवमूर्तिराम, श्री
देवराम, श्री
देवेंद्रप्रतापनारायण सिंह, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेंद्रसिंह बिष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीदयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुहूनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभुदयाल, श्री
फजलुल हक, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (वाराणसी)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार

बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजनाथप्रसाद सिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव,
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नीन्द्रपाल सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अदील अब्बासी, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेंद्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअवधसिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरणलाल गंगवार, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेर्तासिंह, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण प्राचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसीनकवी, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेंद्रपति यादव, श्री
वीरेंद्र वर्मा, श्री
वीरेंद्रविक्रमसिंह, श्री
ब्रजभूषण मिश्र, श्री
ब्रजरानी मिश्र, श्रीमती
ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मिश्र, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदाबख्शसिंह, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथ काटजू, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शिव स्वरूपसिंह, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथ भार्गव, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सत्यसिंह राणा, श्री
साफिया अब्दुल वाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्री देवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेंद्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तानआलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री

हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पंत, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ९ अक्तूबर, १९५६

तारांकित प्रश्न

इलाहाबाद जिले में सींची जाने वाली भूमि

*१--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में कितनी जमीन नहर के द्वारा तथा कितनी नलकूप के द्वारा सींची जाती है ?

सूचना मन्त्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---इलाहाबाद जिले में ९१,००० एकड़ भूमि नहरों द्वारा तथा २,००० एकड़ भूमि नलकूपों द्वारा सींची जाती है ।

इलाहाबाद जिले में कच्ची पुलियां बनाने की आवश्यकता

*२--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)---क्या सरकार बतायेगी कि इलाहाबाद जिले में कच्ची पुलियों को बनवाने के लिये कोई योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो क्या?

निर्माण मन्त्री (श्री विचित्र नारायण शर्मा)---जी नहीं, ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

*३--श्री कल्याणचन्द मोहिले (अनुपस्थित)---[हटा दिया गया।]

गोरखपुर दीवानी कचेहरी में अहाते के आमों के बाग का नीलाम

*४--श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर दीवानी कचेहरी के अहाते में लगे हुये सैकड़ों कलमी आमों की फलों की बिक्री सन् ५५ में हुई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---जी हां, गोरखपुर दीवानी कचेहरी के अहाते में लगे हुये कलमी आमों के फल की बिक्री सन् १९५५ में नीलाम द्वारा हुई थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितने कलमी आम के पेड़ इस अहाते में हैं और सन् १९५५ में वे कितने रुपये में नीलाम किये गये थे ?

श्री सैयद अली जहीर---तादाद तो ठीक नहीं मालूम है, लेकिन ५० रुपये में नीलाम हुये थे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि १९५५ के पहले ये आम के पेड़ नीलाम नहीं होते थे ? यदि हां, तो ऐसा क्यों होता था ?

श्री सैयद अली जहीर---१९५५ से पहले का हाल न आपने पूछा, न मुझे मालूम है ।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)---ये आम किसने नीलाम किये थे ?

श्री सैयद अली जहीर---तहसील के किसी मुलाजिम ने ही किया होगा ।

बलिया जिले में 'कोइली मुहान ताल' से बाढ़ को रोकने के लिए मांग

*५---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि २ वर्ष पहले बलिया जिले के कोइली मुहान ताल से पानी के निकास के लिये कोई नाला खोदा जा रहा था उस पर काम लगभग १ वर्ष से बन्द है ? यदि हां, तो क्यों ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)---जी हां, जांच-पड़ताल के पश्चात् यह ज्ञात हुआ कि घाघरा का पानी एक नाले द्वारा इस ताल में आ जाता है जिससे बाढ़ आ जाती है । अतः इस बाढ़ को रोकने के लिये घाघरा के किनारे तुरतीपार-श्रीनगर बांध निर्माण योजना हाथ में ली गयी । इस कारण प्रश्न में उल्लिखित नाले का निर्माण अनावश्यक हो गया और उस पर कार्य स्थगित कर दिया गया ।

*६---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि 'कोइली मुहान ताल' में पानी चारों तरफ के नालों से आकर प्रतिवर्ष हजारों एकड़ फसल को डुबाया करता है ?

श्री राममूर्ति---जी हां, परन्तु बाढ़ का प्रधान कारण घाघरा का पानी है, जो तुरतीपार श्रीनगर बांध के पूर्ण हो जाने पर रुक जायेगी और इस क्षेत्र को पर्याप्त लाभ होगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोइली मुहान के ताल से पानी निकालने के लिये सरकार की ओर से कोई प्रबंध है ?

श्री राममूर्ति---पानी के जमा होने के कारण घाघरा नदी का स्पिल (spill) वाटर है । उसे बन्द कराने के बाद वह पानी उस ताल में नहीं आवेगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि कोइली मुहान के पानी के निकास लिये ही एक नाला निकाला जा रहा था जिसका ३-४ हिस्सा खोदा जा चुका था ?

श्री राममूर्ति---यह तो सही है कि एक नाला बनाया गया था लेकिन जब सर्वे विस्तारपूर्वक किया गया तो यह पता लगा कि पास के पानी से ताल नहीं भरता है बल्कि घाघरा मुहान से ताल भरता है, इसलिये उसे बन्द करने के लिये बांध बनाया जा रहा है ।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस नाले पर कितना खर्च हो चुका था जो बनाया जा रहा था ?

श्री राममूर्ति---नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार फिर इस पर विचार करेगी कि कोइली मुहान ताल में अगर पानी जमा हो जाता है और उसके कारण फसल को हानि होती है उसके पानी के निकास की क्या व्यवस्था होगी ?

श्री राममूर्ति---अध्यक्ष महोदय, मेरे पास जो सामग्री है वह मैंने आपको पढ़कर बतला दी । अभी तक मेरे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं है जो और कोई बन्दोबस्त हो ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार के पास वहां के निवासियों की ऐसी दरख्वास्त आयी है कि कोइली मुहान ताल में बरसाती पानी इतना इकट्ठा हो जाता है कि जिससे फसल को नुकसान पहुंचता है ?

श्री राममूर्ति---हो सकता है, आयी हो ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार इन दरख्वास्तों पर विचार करके जांच करायेगी कि बरसाती पानी से भी वहां की फसल को नुकसान होता है ?

श्री राममूर्ति---सिंचाई विभाग ने विशेष रूप से जांच करने के पश्चात ही यह निश्चय किया था कि यह नुकसान घाघरा के पानी से ही होता है ।

*७-६--श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--[६ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़ जिले में बनने वाले नलकूप

*१०--श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में तहसीलवार कितने-कितने ट्यूबवेल किन-किन स्थानों पर आगामी वित्तीय वर्ष में वह निर्मित कराने जा रही है ?

श्री राममूर्ति--आगामी वित्तीय वर्ष में बनने वाले नये नलकूपों का स्थितिकरण अभी निश्चित नहीं हुआ है। अतः इस समय इस सम्बन्ध में कोई सूचना देना सम्भव नहीं है ।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील-वार कितने नलकूप खोदे जायेंगे ?

श्री राममूर्ति--तहसीलवार तो नहीं लेकिन जिलों के ग्रूप में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिये नलकूप निर्धारित कर दिये गये हैं। आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर जिले में अगली द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगभग २०० नलकूप बनाये जायेंगे।

आजमगढ़ जिले में 'अमिला नलकूप' से पर्याप्त पानी न मिलना

*११--श्री झारखंडेराय--क्या सरकार को विदित है कि अमिला-नलकूप (तहसील घोसी, जिला आजमगढ़) दोबारा बनाने के बाद भी क्षमता से बहुत कम पानी देता है और प्रायः बिगड़ा रहता है जिससे स्थानीय जनता को बड़ी परेशानी हो रही है ?

श्री राममूर्ति--यह सत्य है कि उक्त नलकूप क्षमता से कम पानी देता है। परन्तु वह प्रायः बिगड़ा नहीं रहता ।

*१२--श्री झारखंडेराय--यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उसकी ओर से इस विषय में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री राममूर्ति--क्षेत्रीय स्ट्रैटा (Strata) के उपयुक्त न होने के कारण नलकूप की क्षमता को बढ़ाना सम्भव नहीं है ।

श्री झारखंडे राय--क्या सूचना मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखकर कि सूचना मंत्री जी के पास दो प्रार्थना-पत्र भी आ चुके हैं और प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं, इस नलकूप के कमांड एरिया में दूसरे नलकूप के निर्माण पर विचार करेंगे ?

श्री राममूर्ति--यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। क्या कोई सदस्य सदन में अखबार पढ़ सकते हैं ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)--मैं इसको एक पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के सिलसिले में देख रहा था ।

श्री अध्यक्ष--अगर सदन के किसी कार्य के सिलसिले में आप अखबार देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं ।

श्री रामसुभग वर्मा--क्या सूचना मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह नलकूप बिजली से चलता है या डीजल से ?

श्री राममूर्ति--यह नलकूप बिजली से चलता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस नलकूप की कितने पानी देने की क्षमता थी और कितना पानी अब इससे मिल पाता है ?

श्री राममूर्ति---प्रारम्भ में यह नलकूप २० हजार गैलन प्रति घंटा पानी दे रहा था लेकिन बाद में १६ हजार गैलन रह गया। प्रयत्न किया गया लेकिन उसकी क्षमता नहीं बढ़ी अब विचार यह है कि इसकी कमांड को कम कर दिया जाय और दूसरा नलकूप उस एरिया में बना दिया जाय जिससे वहां के लोगों के पानी की जरूरत पूरी हो सके।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---यह जो नलकूप कम पानी दे रहा है उसका कारण बिजली के वोल्टेज की कमी है अथवा नलकूप खराब है ?

श्री राममूर्ति---मैंने अर्ज किया कि जमीन का स्ट्रेटा खराब होने की वजह से पानी कम आ रहा है।

नैनीताल जिला बोर्ड द्वारा खैरना के डाक बंगले को हस्तान्तरित करने की मांग

*१३---श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या जिला बोर्ड नैनीताल ने अपने खैरना स्थित डाक बंगले को एक हायर सेकेंडरी स्कूल के निर्माणार्थ हस्तांतरित करने की अनुमति सरकार से मांगी है ? अगर हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

स्वशासन उप-मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)---जी नहीं।

नैनीताल के लिए पेय जल की योजना

*१४---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार को ज्ञात है कि गर्मियों के दिनों में नैनीताल में पीने के पानी की उचित तथा स्वच्छ व्यवस्था किये जाने की समस्या विकट रूप धारण कर लेती है ?

श्री कैलाश प्रकाश---जी हां।

*१५---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार के पास उपर्युक्त कठिनाई को दूर करने के लिये नैनीताल म्युनिसिपल बोर्ड ने कोई योजना भेजी है ? अगर हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, और सरकार ने इस सम्बन्ध में २,८०,०५० रु० का ऋण भी नगरपालिका को मार्च, १९५६ में दिया है और इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, छठी शाखा, नैनीताल उचित सामग्री इकट्ठा कर रहा है और इस गर्मी में कुछ कार्य ऐसे अवश्य कर दिये जाने का प्रयत्न किया जावेगा जिससे कि जनता को कम से कम जल कष्ट होने पाये।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कौन से ऐसे कुछ कार्य होंगे जो इस गर्मी तक समाप्त कर दिये जायेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर---यह खयाल है कि वहां एक टैंक बनवाया जायगा और उसमें पानी जमा हो जायगा बिजली के जरिये से और उसके जरिये पानी पहुंचाया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---यह जो पानी जमा किया जायगा, तालाब का ही पानी वहां जमा किया जायगा या सोतों का पानी वहां इकट्ठा किया जायगा।

श्री सैयद अली जहीर---नहीं, यह पीने का पानी होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि म्युनिसिपल बोर्ड ने जो यह योजना भेजी थी वह कितने रुपये लागत की थी ?

श्री कैलाशप्रकाश--पूरी योजना तो करीब ९ लाख रुपये की थी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--क्या माननीय स्वायत्त शासन मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पूरी योजना में ९ लाख रुपये के खर्च का अनुमान था तो क्या यह सही होगा कि दो लाख रुपये में वह योजना पूरी नहीं हो सकेगी और पानी की समस्या हल नहीं हो सकेगी ?

श्री सैयद अली जहीर--दो लाख रुपये में योजना का एक हिस्सा पूरा हो जायगा बकिया योजना बाद में जैसे जैसे रुपया मिलता जायगा वह पूरी की जायगी ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--सम्पूर्ण ९ लाख रुपये की योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर--खयाल तो है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के खत्म होने के पहले पूरी हो जायगी ।

मिर्जापुर में गंगा पार करने के लिए नवीन स्टीमरों की आवश्यकता

*१६--श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)--क्या सरकार को ज्ञात है कि मिर्जापुर नगर में गंगाजी पर यात्रियों को आर-पार ले जाने के लिये जो स्टीमर है वह बहुत पुराना है जो अक्सर बिगड़ जाया करता है और यातायात बन्द हो जाता है ?

निर्माण उपमन्त्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)--जी नहीं ।

*१७--श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या सरकार वहां पर दो नये मजबूत स्टीमर रखने की कृपा करेगी जिससे वहां की यातायात की बाधा मिट जाय ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह स्टीमर कितने दिनों का है और इस साल यह कितनी मर्तबा बिगड़ चुका ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--२३ अगस्त, १९५६ को बहरामघाट से यह लाया गया था । सम्भवतः तीन-चार वर्ष पहले यह बनाया गया होगा । पिछले दो वर्षों में यह एक बार भी नहीं बिगड़ा ।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो सरकार के विचाराधीन प्रश्न है वह कब तक तय हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सम्भवतः सन् १९५७-५८ के बजट तक ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)--क्या सरकार इसका पता लगायेगी कि आज के दूसरे साल पहले करीब तीन घंटे तक वही स्टीमर गंगा के बीच में रुका रहा और आगे नहीं बढ़ पाया और इस साल भी समय पर वह स्टीमर कभी नहीं खुल पाता और यात्रियों को नाव से आना-जाना पड़ता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--सदस्य महोदय लिखकर देने की कृपा करेंगे तो उस पर विचार किया जायगा ।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उस स्टीमर में क्या दोष है जो उस को रिप्लेसमेंट करने की बात सरकार सोच रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--रिप्लेसमेंट का प्रश्न नहीं है बल्कि एक स्टीमर और बढ़ाने का प्रश्न है ।

अलीगढ़ जिले में सिंचाई के साधन

*१८—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिल में प्रस्तावित तैयार और चालू नलकूपों की संख्या तहसीलवार क्या है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न में मांगी हुई सूचना संलग्न सूची संख्या १ में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४२ पर)

*१९—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—१९५६-५७ में कितने नलकूप उन क्षेत्रों में बनेंगे जिस क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था कम है या नहीं है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—१९५६-५७ में अलीगढ़ जिले के उन क्षेत्रों में जहां सिंचाई की व्यवस्था कम है या नहीं है, १० राजकीय नलकूप बनवाने का प्रस्ताव है।

*२०—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नहरी सिंचाई से तहसीलवार कितने एकड़ भूमि बिना सिंचे रह जाती है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—प्रश्न में मांगी हुई सूचना संलग्न सूची संख्या २ में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४३ पर)

मैनपुरी के दुकानदारों का दस्तकों से संबंधित कथित प्रार्थना-पत्र

*२१—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार के पास कुछ समय पूर्व मैनपुरी के दुकानदारों का कोई प्रार्थना-पत्र दस्तकों के सम्बन्ध में चालानों के बारे में आया है ? अगर हां, तो सरकार दुकानदारों की शिकायत दूर करने के लिये क्या कर रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—(अ) जी नहीं।

(ब) प्रश्न नहीं उठता।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या सरकार इस प्रश्न को सूचना मानकर इसके बारे में जांच कराने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, सूचना मिल गई, जांच कराने की कोशिश की जायगी।

आजमगढ़ जिले में दुवारी से हाहानाले तक बनने वाले बांध की जमीन का मुआवजा न मिलना

*२२—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दुवारी (आजमगढ़) से हाहानाले तक बनने वाले बांध में जितनी भूमि पड़ी है क्या उसका मुआवजा दिया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति—हाहानाला बांध में पड़ी हुई भूमि का मुआवजा अभी नहीं दिया गया है। लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धाराओं ४ व ६ के अधीन विज्ञप्ति जारी करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और जैसे ही विज्ञप्ति जारी हो गई, मुआवजा बांट दिया जायेगा।

*२३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बांध में पड़ी हुई जमीन की मालगुजारी भी २ वर्ष की किसानों से ही वसूली की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति---चूंकि हाहानाला बांध में पड़ी हुई भूमि के सम्बन्ध में लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ६ के अधीन विज्ञप्ति अभी प्रकाशित नहीं हुई है, अतएव किसानों से मालगुजारी वसूल की गई है। जैसे ही विज्ञप्ति प्रकाशित हो जायगी, और मुआवजा बांटा जायेगा, तो उसी के साथ काश्तकारों को (वसूल की हुई) मालगुजारी वापस कर दी जायगी।

*२४---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त बांध में पड़ने वाली भूमि की वसूल की हुई मालगुजारी सूद सहित किसानों को वापिस की जायेगी ?

श्री राममूर्ति---केवल वसूल की गई मालगुजारी उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा २१३ के अधीन वापस की जायेगी। उक्त रकम को सूद सहित वापस करने का नियम नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट के अनुसार देर में विज्ञप्ति निकलने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति---पिछले जमाने में चूंकि सिंचाई विभाग का कार्य बहुत विस्तार से हुआ और जमीनें ज्यादा ली गयीं, उस वक्त एक्वीजिशन आफिसर्स की कमी थी, अब ४ आफीसर और बढ़ाये गये हैं, अब इस बात की कोशिश की जायगी कि जल्द से जल्द मुआवजा बांट दिया जाय।

श्री राजनारायण---क्या सरकार ऐसी नीति बनायेगी कि जब किसी किसान की जमीन का एक्वीजिशन किया जाय तो जब तक उस जमीन का मुआवजा न मिले उससे मालगुजारी न ली जाय ?

श्री राममूर्ति---उसूली तरीके से तो बात मुनासिब है लेकिन चूंकि माल विभाग के कागजात में म्युटेशन की कार्यवाही में समय लगता है इसलिये उसमें देर हो जाती है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतायेगी कि हाहानाले का बांध बनाने के लिये जमीन कब ली गई ?

श्री राममूर्ति---जब काम शुरू किया गया होगा उससे कुछ दिन पहले ली गई होगी।

श्री राजनारायण---क्या सरकार बतायगी कि काम कब शुरू किया गया ?

श्री राममूर्ति---अब तो काफी काम बन चुका है, इसका अब क्या सवाल पैदा होता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री जी इस प्रकार की व्यवस्था पर विचार करेंगे कि जब तक जमीन हस्तांतरित न हो जाय तब तक उस पर कोई सरकारी निर्माण कार्य न हों ?

श्री राममूर्ति---इसमें शक नहीं कि इससे किसान को बड़ी राहत हो जायगी लेकिन काम बन जाने पर जो पानी आता है उस से तो और ज्यादा राहत होती है, अगर काम ज्यादा बढ़ाये जांयगे तो पानी जल्द पहुंच जायगा।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि सिंचाई विभाग की ओर से एक ऐसा बिल प्रस्तुत हुआ था और वह बिल ऐक्ट के भी रूप में बन गया जिसके मुताबिक किसानों से जमीन तत्काल ली जा सकती है और उसकी बिना पर मुआविजा देने की योजना बनाई जा सकती है ?

श्री राममूर्ति---जमीन लिये जाने के बारे में तो मुझे याद पड़ता है लेकिन जो दूसरा हिस्सा है मुझे उसकी याद नहीं आ रही है।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि यह जो मालगुजारी वसूल की जा रही है उस पर सूद क्यों नहीं दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति---मैंने अध्यक्ष महोदय आप से अर्ज किया था कि १९५० में जो भूमि व्यवस्था अधिनियम पास हुआ था उसकी धारा २१३ में कुछ ऐसा बन्दोबस्त हुआ था जिसकी वजह से यह सूद देने की व्यवस्था नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---जैसा कि माननीय सिंचाई मंत्री जी के उत्तर से विदित है कि अभी तक एक्विजीशन की प्रोसीडिंग्स जारी है तो क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब तक एक्वीजिशन की प्रोसीडिंग्स पूरी नहीं हुई थीं उस समय किस आधार पर बांध का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया ?

श्री राममूर्ति---जमीन लेने का जहां तक ताल्लुक है वह प्रोसीडिंग्स पूरी हो गई थीं। यह तो मुआवजे की बात है। इसके कागजात बनाने में तो देर लग जाती है। उसके बारे में मैंने यह जवाब दिया था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वह उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन नियम २१३ में इस प्रकार का संशोधन सरकार के सामने रक्खेंगे कि जिस जमीन पर सरकारी कार्य किया जाता है और सरकार उस पर जो मालगुजारी वसूल कर लेती है तो उसको सूद समेत वापस किया जा सके ?

श्री अध्यक्ष---यह केवल सुझाव है। प्रश्न नहीं है।

मौजा सुरतसापुर, जिला जौनपुर से नहर के लिए ली गई जमीन का मुआवजा

*२५---श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि मौजा सुरतासापुर, जिला जौनपुर से नहर के लिये जो जमीन पहले ली गई थी और फिर बाद में जो जमीन ली गई उन जमीनों और फसलों का मुआवजा किसानों को दिया गया या नहीं और यदि दिया गया, तो किस रेट से ?

श्री राममूर्ति---प्रश्न में उल्लिखित क्षेत्र के किसानों को फसलों का मुआवजा दिया जा चुका है। विवरण संलग्न सूची के अनुसार है। स्थायी रूप से भूमि को अधिकृत करने का मामला, कलेक्टर जौनपुर को भेजा जा चुका है। लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ४ और ६ के अनुसार कार्यवाही पूर्ण हो जाने पर भूमि का मुआवजा वितरित कर दिया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १४४ पर।)

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जो जमीन स्थायी तौर पर नहर के अन्दर आ गई है उसकी मालगुजारी किसानों से वसूल करने को मुल्तवी करने का भी कोई आदेश सरकार ने जारी किया है ?

श्री राममूर्ति---जी नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य---क्या सरकार को पता है कि जो जमीन नहर में चली गई है उसे नहर में लेने के बाद मालगुजारी के लिये किसान वारेंट द्वारा गिरफ्तार किये गये और उनसे इस तरह से मालगुजारी वसूल की जा रही है ?

श्री राममूर्ति--- मुझे इस बात का तो अफसोस है कि लोग गिरफ्तार कर लिये गये लेकिन यह बात सही है कि मालगुजारी ले ली गई है और जैसा कि पिछले प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूं जब हमारा मुआवजा दिया जाता है तो जो मालगुजारी वसूल कर ली जाती है वह भी लौटा दी जाती है।

श्री राजनारायण---क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि यह सुरतासपुर मौजे की जमीन नहर के काम के लिये कब ली गई ?

श्री राममूर्ति---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कितनी जमीन कुल ली गई और उनकी जमीन की फसलों का मुआवजा कितना दिया गया ?

श्री राममूर्ति---२.३८ एकड़ इतना तो रकबा लिया गया और धन है ८८ रुपये ८ आने ६ पाई।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमीन की फसल का जो मुआवजा बांटा गया उसके सम्बन्ध में कोई जानकारी भी किसानों से हासिल की गई या इंजीनियर ने स्वयं अपने आप मुआवजा बांट दिया ?

श्री राममूर्ति---मुआवजा बांटने के लिये तो नियम बने हुए हैं। उन्हीं के मातहत यह मुआवजा बांटा जाता है।

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर तथा बुलन्दशहर जिलों में बाढ़ रोकने के लिए बांध निर्माण योजना

*२६---श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि पश्चिमी जिलों में यमुना नदी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के निर्माण व विकास कार्यों के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राममूर्ति---सहारनपुर तथा मुजफ्फरनगर जिलों के ९९ ग्रामों के रक्षार्थ एक सीमान्त बांध, जिसके पश्चिम की ओर यमुना नदी और पूर्व की ओर सिंचौली तथा खोकरी नदियां होंगी, ३७.६५ लाख रुपयों की लागत पर बनाने की एक योजना है। यह राज्य बाढ़ निरोध समिति द्वारा स्वीकृत भी हो चुकी है और भारत सरकार के विचाराधीन है।

*२७---श्री रामचन्द्र विकल---क्या सिंचाई मंत्री यह भी बतायेंगे कि द्वाबा हिन्डन व जमुना तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के विकास व निर्माण के लिये कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राममूर्ति---हिन्डन नदी के दायें किनारे पर स्थित और जमुना नदी के बायें किनारे पर स्थित क्षेत्र, नीचे क्षेत्र हैं और जब इन नदियों में भीषण बाढ़ आती है तो यह नदियां अपने किनारे तोड़ कर बहने लगती हैं और नीचे बसे हुए कतिपय ग्रामों को जलमग्न कर देती हैं। इस वर्ष की हिन्डन नदी की भीषण बाढ़ में जो क्षेत्र जलमग्न हो गया था, उसके बचाव की योजना पर वर्षा ऋतु के बाद विचार किया जावेगा। इस समय कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे, कि सहारनपुर, मुजफ्फरनगर जिले के इस बांध के अतिरिक्त भी पश्चिमी जिलों के अन्य जिलों के लिये सरकार कोई विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति---वैसे तो सरकार की योजनाएं जिन-जिन जिलों के अन्दर बाढ़ आती है करीब-करीब सभी जगह हैं। अब अगर माननीय सदस्य किसी विशेष जिले का निर्देश करें तो मैं उसके बारे में कुछ कह सकूंगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो ३० लाख रुपये की धनराशि है उसमें कोई हिस्सा केन्द्रीय सरकार का भी होगा ?

श्री राममूर्ति---बाढ़ के बचाव के लिए लगभग सब रुपया केन्द्रीय सरकार देती है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले में भी कोई बांध बनेगा ?

श्री राममूर्ति---अभी तो परमात्मा की कृपा से बुलन्दशहर में कोई बाढ़ आयी नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ३७ लाख, ६५ हजार रुपये की योजना भारत सरकार को कब भेजी गई ?

श्री राममूर्ति---मुझे सही तारीख नहीं मालूम। लेकिन भेजे करीब दो महीने हो गये।

श्री श्रीचन्द्र---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन ९९ गांवों का कितना कृषि योग्य क्षेत्रफल बाढ़ग्रस्त हो जाता है ?

श्री राममूर्ति---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डाबा हिन्डन यमुना, तहसील सिकन्दराबाद, जिला बुलन्दशहर की जो योजना बरसात के बाद शुरू करने का विचार है उसका कुछ सूक्ष्म विवरण बताने की यहां कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति---अभी चूंकि उसका विस्तारपूर्वक सर्वे नहीं हो पाया है इसलिये कोई बात यहां पर बताये जाने में जरा दिक्कत महसूस कर रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो योजना भारत सरकार के विचाराधीन है, जो प्रदेश से गयी है उसमें खोखरी नदी को बन्द करने की भी उनकी स्कीम है ?

श्री राममूर्ति---खोखरी नदी को तो बन्द करने की कोई स्कीम नहीं है। लेकिन वहां पर एक स्पर बना देने की स्कीम है ताकि बाढ़ बचायी जा सके।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो योजना केन्द्रीय सरकार के पास भेजी गई है उसके स्वीकृत हो जाने की कब तक सम्भावना है और कब तक काम उस पर होने लगेगा ?

श्री राममूर्ति---वैसे तो केन्द्रीय सरकार का काम बड़ी जल्दी होता है और जैसे ही योजना वहां से मंजूर हुई काम शुरू कर दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जैसा मूल प्रश्न में पूछा गया है इस बांध के अतिरिक्त जो अन्य बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में विकास के कार्य हैं, जैसे रास्तों का होना, पानी वगैरह का प्रबन्ध, उन पर भी सरकार विचार कर रही है ?

श्री राममूर्ति---बांध बनाते वक्त इस बात का भी खयाल रखा जाता है।

झांसी में पाइप लाइन लगाने से रास्तों की खराब हालत

*२८—श्री लक्ष्मणराव कदम (जिला झांसी)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी में स्वायत्त शासन विभाग के इंजीनियर साहब की देखरेख में पाइप लाइन कब से लग रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—पाइप लगाने का कार्य झांसी में दिसम्बर, १९५५ में आरम्भ हुआ था।

*२९—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या वहां के स्थानीय अधिकारियों के पास इस आशय की शिकायतें पहुंची हैं कि पाइप लाइन लगाने के कारण खोदी गई सड़कों व रास्तों का ठीक तौर से पुराव न होने के कारण वह ऊंची-नीची हो गई हैं व फर्शों के पत्थर चूने में न जड़ कर यों ही पाट दिये गये हैं जिससे जनता को बहुत ही असुविधा हो रही है ?

श्री कैलाश प्रकाश—हां, इस सम्बन्ध में कुछ शिकायतें आई थीं और उन पर तुरन्त उचित कार्यवाही कर दी गई।

*३०—श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या सरकार को पता है कि पाइप लाइन लगाने के लिये जहां सड़कें व रास्ते खोदे जाते हैं वहां घेरा आदि बनाकर जनता की सुरक्षा का उचित प्रबन्ध न किये जाने के कारण कितने ही आदमियों, औरतों व बच्चों व जानवरों के गड्ढों में गिरने से चोटें आ चुकी हैं ? यदि हां, तो ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस सम्बन्ध में अभी तक कोई शिकायत किसी पुरुष, स्त्री व बच्चे या जानवरों के चोट लगने की नहीं आई है।

श्री लक्ष्मणराव कदम—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उक्त काम कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर—यह खयाल है कि यह काम मार्च, सन् १९५६ तक पूरा हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—मार्च, सन् १९५६ तो खत्म हो गया।

श्री सैयद अली जहीर—मेरा मतलब है मार्च, १९५६ तक खत्म होना चाहिये था। अब बहुत जल्द करीब खत्म हो जायगा।

श्री जगदीश सरन (जिला बरेली)—क्या सरकार बतायेगी इस कार्य को पूरा करने के लिये कितने समय का अनुमान था और उस समय के अन्दर पूरा कर देने की शर्त ठेके का अंग बनायी गयी थी या नहीं ?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो जैसा माननीय सदस्य जानते हैं जो पहली फ़ाइव ईयर प्लान के काम थे उनके मुताल्लिक़ यह खयाल था कि मार्च, सन् १९५६ तक खतम हो जाने चाहिये। लेकिन इसमें चूंकि पाइप वगैरह मिलने में देरी हुई और काफी दिक्कतें हुईं जिसकी वजह से काम में देरी हो गई। अब कोशिश यह हो रही है कि जल्द से जल्द काम खत्म हो जाय। और उम्मीद है जल्द खत्म हो जायगा।

श्री राजनारायण—क्या सरकार बतायेगी कि वह कौन सी वजूहात हैं जिनके कारण मार्च में समाप्त होने वाली योजना आज मार्च के बाद भी ७ महीने और ज्यादा हो रहे हैं अब तक पूरी नहीं हुई और आगे भी कोई निश्चित तिथि नहीं बतायी जा सकती ?

श्री अध्यक्ष—अभी कारण उन्होंने बताये, आप ने सुना नहीं।

मझिया ग्राम सभा, जिला हरदोई के भूतपूर्व प्रधान का खर्च का हिसाब न देना

*३१---श्री मोहनलाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या मझिया ग्राम सभा, जिला हरदोई के भूतपूर्व प्रधान ने तीन वर्ष हुये १,१०० रुपये पंचायत से बिना पास किये हुये निकाल कर खर्च कर डाला, जिसका कोई हिसाब आज तक बैठक के सामने पेश नहीं हुआ ?

श्री सैयद अली जहीर---मझिया गांव सभा के भूतपूर्व प्रधान ने पंचायत के प्रस्ताव के अनुसार ही १,१०० रु० निकाल कर खर्च किये हैं। यह ठीक है कि इसका हिसाब अभी तक पंचायत के सामने पेश नहीं हुआ।

*३२---श्री मोहनलाल वर्मा (अनुपस्थित)---क्या यह सत्य है कि ५१ सदस्यों में से लगभग ४२ सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिया है जिसकी पचासों सूचनायें अधिकारियों को दी गयीं परन्तु आज तक कोई जांच नहीं हुई ?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं।

आगरा सार्वजनिक निर्माण विभाग के टेक्निकल कर्मचारी

*३३---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा सार्वजनिक निर्माण विभाग में कितने इंजीनियर्स, ओवरसियर्स, ड्राफ्ट्समैन और अन्य टेकिनकल कर्मचारी हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---

इंजीनियर	..	६
ओवरसियर	..	१४
ड्राफ्ट्समैन	..	३
कम्प्यूटर	..	१
वर्क सुपरवाइजर	..	२
वर्क एजेन्ट्स	..	४७
मिस्त्री	..	७
कारपेन्टर्स	..	२
एन्सेक्टिकरा मैकनिकल मैन		३
कुल		८५

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि जो स्टाफ नियत होता है उसके लिये यह भी कोई नियम है कि इस परिमाण में काम होना चाहिए और ओवरहेड और टेकिनकल स्टाफ का एवसर्वेसेज जो है वह कितना प्रतिशत पड़ना चाहिये ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---प्रश्न के पहले भाग में तो कुछ हमारे यहां पी०डब्ल्यू०डी० में एक प्रोविंशियल डिवीजन यूनिट है और उसका यार्डस्टिक जो कि आजकल स्वीकार किया जाता है प्रायः ३० और ४० लाख के लगभग वर्कलोड उस पर रहता है। उसमें कभी कभी एक एक डिवीजन में साठ साठ लाख तक काम भी होता है और कभी कभी कम भी होता है। इस प्रकार काम चलता है और ओवर हेड तथा नीचे के स्टाफ में अलग अलग के लिये कोई यार्डस्टिक नियत अभी तक नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि जिन पदों के सम्बन्ध में संख्या उन्होंने आगरा के पी० डब्ल्यू डी० डिवीजन के सम्बन्ध में दी है उसमें कितने पद स्थायी हैं और कितने अस्थायी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इस समय तो मेरे पास इसका ब्योरा नहीं है ।

*३४-३५---**श्री देवकीनन्दन विभव**---[२३ अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*३६-३७---**श्री रामेश्वरलाल**---[२७ नवम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न १-२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

आजमगढ़ जिले में सार्वजनिक निर्माण विभाग का नया डिवीजन

*३८---**श्री विश्राम राय** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में कोई नया डिवीजन सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से स्थापित हुआ है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, ५, अप्रैल १९५६ से आजमगढ़ जिले में अस्थायी रूप से ६ महीने के लिये एक अस्थायी (temporary) डिवीजन खोला गया है ।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उस डिवीजन से कौन-कौन सा निर्माण कार्य और कहां-कहां कराया जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---बाढ़ रोकने के लिये यह डिवीजन खोला गया है और टोंस नदी पर एक बांध बनाने और अन्य आवश्यक कार्यों के लिये इसको प्रधानता खोला गया है ।

श्री विश्रामराय---यह नया डिवीजन जो स्थापित किया गया है यह कब से काम करेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---काम करना तो उसने शुरू कर दिया ।

आजमगढ़ में टोंस नदी पर नया पुल बनाने की योजना

*३९---**श्री विश्रामराय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ शहर में टोन्स नदी पर कोई नया पुल बनाने की योजना विचाराधीन है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी हां, इस पुल के निर्माण कार्य के अतिरिक्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया है ।

श्री उमाशंकर---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह पुल मौजूदा दोनों पुलों के अलावा होगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---इसका स्थान दूसरा होगा । मील १०२ में इसको लगाने की चेष्टा की जा रही है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल के बनाने में सरकार की लागत कितनी होगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---११·१७ लाख रुपये के लगभग ।

गोरखपुर---दोहरीघाट से आजमगढ़ जिले में रेलवे लाइन की आवश्यकता

*४०---**श्री विश्रामराय**---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि केन्द्रीय सरकार द्वारा गोरखपुर से दोहरीघाट होते हुये आजमगढ़ जिले में कोई रेलवे लाइन खोलने की योजना स्वीकृत हो चुकी है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी नहीं ।

श्री विश्रामराय---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से कोई लिखा-पढ़ी हो रही है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---कई बार पहले हुई थी । अब तो आवश्यक नहीं मालूम होता कि लिखा-पढ़ी की जाय, क्योंकि केन्द्रीय सरकार इस सम्बन्ध में कुछ निश्चय कर चुकी है ।

*४१-४२---श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)---[६ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

तहसील निघासन, जिला खीरी में बाढ़ रोकने के लिए अनुदान

*४३---श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि तहसील निधासन, जिला खीरी में बाढ़ रोकने के लिये बनाई गई योजना के अन्तर्गत कितना रुपया स्वीकार किया गया है ?

श्री राममूर्ति---तीन लाख रुपया ।

*४४---श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस योजना के अन्तर्गत अभी कितना कार्य हुआ है ?

श्री राममूर्ति---मार्च सन् १९५६ के अन्त तक दस हजार रुपये की लागत का कार्य हो चुका है ।

*४५---श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस योजना के अन्तर्गत कार्य कब तक समाप्त हो जायेगा ?

श्री राममूर्ति---आशा की जाती है कि यह कार्य जून, सन् १९५७ तक समाप्त हो जायेगा ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार कृपया बतलायेगी की बाढ़ की रोकथाम के लिये तहसील निधासन, जिला खीरी में किस प्रकार की व्यवस्था की जायगी ?

श्री राममूर्ति---करीब ५० गांव जो जल-मग्न हो जाते हैं, उनका स्तर ऊंचा उठा दिया जायगा ।

श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १० हजार रुपया किस प्रकार खर्च किया गया है ?

श्री राममूर्ति---१०,००० रुपये की लागत से केवल एक गांव का स्तर ऊंचा किया गया है ।

*४६---श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---[वापस लिया गया ।]

बस्ती जिले में भदेसरनाथ के पास बनने वाली पम्प नहर

*४७---श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिला में कुआनो नदी से भदेसरनाथ के पास से कोई पम्प नहर निकाली जा रही है ? यदि हां, तो अब तक उसमें कितना काम हो चुका है ?

श्री राममूर्ति---बस्ती जिले में भदेसरनाथ गांव के सामने कुआनो नदी के दायें किनारे पर ३० क्यूसेक डिसचार्ज की एक पम्प केनाल बनाने की योजना है ।

नदी को तली में कैनाल हेडवर्क के निर्माण हेतु कुएं गलाये जा रहे हैं । नहर का कच्चा काम तथा चुनाई का काम शीघ्र आरम्भ हो जायेगा ।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह पम्प का काम कब से प्रारम्भ कर दिया जायगा ?

श्री राममूर्ति--जब काम पूरा हो जायगा तब पम्प का काम शुरू हो जायगा ।

श्री शिवनारायण--क्या सरकार इसको एक्सप्लेन करने की कृपा करेगी कि कौन-सा काम पूरा करने को आप कह रहे हैं ? इसको साफ कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष--पहले आप अपना प्रश्न साफ कर दें ।

श्री शिवनारायण--मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि वह कौन-सा काम जारी है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, जिसके पूरा करने की बात कही गयी ?

श्री राममूर्ति--मान्यवर, मैंने अभी अर्ज किया कि अभी तो कुएं गलाये जा रहे हैं जब वह पूरे हो जायेंगे, मैसोनरी वर्क खत्म हो जायगा तब पम्प चलाने का काम शुरू होगा ।

श्री राजाराम शर्मा--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह योजना कितने रुपये की है ?

श्री राममूर्ति--इस योजना में ३,६३,७३७ रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--क्या माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि यह नहर कितनी लम्बी होगी और कहां तक जायगी ?

श्री राममूर्ति--इसकी लम्बाई की सूचना तो मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन इस चैनल से १३,२८२ एकड़ जमीन की सिंचाई होगी ।

श्री शिवनारायण--क्या यह सही है कि कुआनो नदी के दक्षिण की तरफ पिपरा के इलाके में भी इससे सिंचाई होगी ?

श्री राममूर्ति--जिस इलाके का जिक्र किया गया इसकी बाबत तो मैं नहीं कह सकता । इसके लिए नोटिस की जरूरत है ।

झांसी जिले में सपरार नदी से निकाली गई नहर

*४८--**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी)--क्या यह सच है कि सपरार बांध, जिला झांसी से नहर निकाली गई है ? यदि हां, तो कब और किन-किन ग्रामों के पास से ?

श्री राममूर्ति--जी हां । सन् १९५१ और ५६ के बीच में सपरार बांध से ७३ मील ५ फर्लांग लम्बी नहरें निकाली गई हैं । जिन ग्रामों के पास से यह नहरें निकाली गई हैं, उनकी एक सूची माननीय सदस्य को मेज पर रक्खी है ।

(देखिये परिशिष्ट 'घ' आगे पृष्ठ १४५-१४६ पर)

श्री गज्जूराम--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो ७३ मील लम्बी नहर बनाई गई है उसमें कितना धन व्यय हुआ है ?

श्री राममूर्ति--कुल योजना में ९६ लाख रुपया खर्च हुआ है ।

श्री गज्जूराम--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इससे कितना क्षेत्रफल सींचा जा रहा है ?

श्री राममूर्ति--इससे लगभग ४२,००० एकड़ जमीन सींची जायगी ।

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नहर निकली है उससे अभी तक सिंचाई हुई है? यदि हां, तो झांसी में कितनी हुई है और आस-पास के जिलों में भी हुई है?

श्री राममूर्ति---जब से नहर निकली है झांसी और हमीरपुर दोनों जगहों में सिंचाई हो रही है लेकिन सही आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं।

रेडियो मरम्मत के सरकारी केन्द्र

*४९---**श्री गज्जूराम**---क्या यह सही है कि सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में रेडियो मरम्मत तथा देखभाल के लिये लखनऊ, आगरा, झांसी में सेंटर खोले गये? यदि नहीं, तो क्यों?

सूचना मन्त्री के सभासचिव (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)---जी नहीं। वित्तीय वर्ष १९५५-५६ में भारत सरकार की सहायता योजना (Subsidy scheme) के अन्तर्गत ३,००० रेडियो सेट क्रय किये गये थे जिनकी देख-रेख व मरम्मत के लिये बजट में ५ जोनल सर्विसिंग स्टेशन खोलने का प्राविधान किया गया था। यह रेडियो सेट वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्त हुये थे। पांच जोनल सर्विसिंग स्टेशनों में से दो स्टेशन (मुरादाबाद व बनारस) गत वित्तीय वर्ष में खोल दिये गये और तीन जोनल सर्विसिंग स्टेशन अब कानपुर, झांसी व आगरा में खोलने का निश्चय किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। लखनऊ में रेडियो इंजीनियर के अधीन एक वर्कशाप पहले ही से स्थापित है।

अमर शहीद श्री गेंदालाल दीक्षित का स्मारक बनाने के लिए मांग

*५०---**श्री देवकीनन्दन विभव**---क्या सरकार यह सूचित करने की कृपा करेगी कि क्या वह अमर शहीद श्री गेंदालाल दीक्षित का स्मारक बनाने पर विचार कर रही है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---जी नहीं। सरकार ने जिन स्मारकों के बनाने का निश्चय किया है उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १४७ पर)

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि जो सूची संलग्न की है उसमें इस कार्य की पूर्ति में कितना धन व्यय होगा?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---कुल नहीं है, अलग-अलग इस प्रकार है कि लखनऊ में ३,६५,००० मेरठ में ३,००,०००, कानपुर में ६८,०००, बिठूर में ४५,०००, झांसी में ८०,०००, बनारस में ७२,५०० और इलाहाबाद में २८,०००।

श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी (जिला आगरा)---क्या सरकार का इस योजना के अन्तर्गत ऐसा भी विधान है कि जिसमें स्थानीय प्रयास किसी स्मारक के बनाने के लिये हो तो कोई सहायता दी जाय?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---जी हां, इसके लिये ७५,००० रुपया रखा गया है जो सहायता के रूप में दिया जा सकता है।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अब जो नये स्मारक बनाये जायेंगे तो उसमें श्री गेंदालाल दीक्षित के स्मारक पर विचार किया जायगा?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव---यह अभी नहीं कहा जा सकता है।

मैनपुरी जिले की कुरावली टाउन एरिया के खिलाफ शिकायत

*५१---**श्री गणेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी, कि मैनपुरी जिले में कुरावली टाउन एरिया के मुतल्लिक शिकायत आई है कि टाउन एरिया कुरावली में घुसते ही टोल-टैक्स के रूप में तहबाजारी ली जाती है और न देने पर मारपीट होती है?

श्री कैलाश प्रकाश--जी हां । इस प्रकार की एक शिकायत जिलाधीश, मैनपुरी को प्राप्त हुई थी ।

श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश की शिकायत के बाद टाउन एरिया के चेयरमैन को मुअत्तल करने पर विचार करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--मुअत्तल करने का कोई प्रश्न नहीं है, एक शिकायत आई और देखी गई और उसको टीक करने का आदेश दिया गया ।

श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टोल टैक्स के रूप में जो तहबाजारी ली जाती है, उसको रोकने का प्रयत्न करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश--तहबाजारी तहबाजरी के रूप में ली जायगी, टोल-टैक्स के रूप में नहीं ली जायगी ।

फांसी के कैदियों की मुआफी के लिये दरख्वास्तें

*५२--श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२ ई० से सन् १९५५ ई० तक उत्तर प्रदेश भर से फांसी की सजाओं के बाद सरकार के पास उनसे संबंधित माफी के लिये कितनी दरख्वास्तें आयी हैं और कितनों को माफी दी गई और कितनी दरख्वास्तें अभी विचाराधीन हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--सन् १९५२ से सन् १९५५ तक सरकार के पास फांसी से संबंधित माफी के लिये ४५८ दरख्वास्तें आई थीं और उनमें से २१२ व्यक्तियों को माफी दी गई । ऐसी १० दरख्वास्तें अभी विचाराधीन हैं ।

श्री गणेशचन्द्र काछी--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो दस दरख्वास्तें विचाराधीन हैं उनपर कब तक विचार हो जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर--विचाराधीन होने की वजह यह है कि इनमें से ८ दरख्वास्तें ऐसी हैं कि जिनमें उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रक्खी है और जब तक सुप्रीम कोर्ट की अपील का फैसला न हो जाय उस वक्त तक यहां कोई विचार नहीं हो सकता । बाकी दो दरख्वास्तों का फैसला अभी थोड़े दिन हुये सुप्रीम कोर्ट से हो गया है । इसलिये वे विचाराधीन हैं और जब आठों का फैसला हो जायगा तो उन पर कार्यवाही की जायगी ।

श्री रामेश्वर लाल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फांसी की सजा को बन्द करने के लिये केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार से कुछ लिखा-पढ़ी चल रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--कोई विशेष लिखा पढ़ी तो इस वक्त चल नहीं रही है ।

श्री राजनारायण--क्या कोई साधारण लिखा पढ़ी चल रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--लिखा-पढी इस माने में है कि यह सवाल लोक सभा में उठाया गया था तो उसमें हमारी भी राय पूंछी गयी थी । वह राय भेज दी गयी है । मगर कोई विशेष लिखा-पढ़ी केन्द्रीय सरकार से और हमसे नहीं चल रही है ।

श्री राजनारायण--तो क्या सरकार बतायेगी कि उसने अपनी क्या राय भेजी ?

श्री सैयद अली जहीर--यह बतलाना इस वक्त मुनासिब नहीं है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--जो ४५८ माफी की दरख्वास्तें उनके पास आईं तो सन् १९५२ से १९५५ तक कितने व्यक्तियों को फांसी की सजा दी गई इसकी सूचना माननीय मंत्री जी के पास है ?

श्री सैयद अली जहीर---यह सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

श्री शिवनाथ काटजू (जिला इलाहाबाद)---क्या इस मामले की अहमियत को देखते हुये कल इसके कि सरकार इसका फैसला करे कि फांसी की सजा रखी जाय या नहीं इस सदन के मेम्बरों को भी सरकार मौका देगी कि वे भी अपनी राय जाहिर कर सकें ?

श्री सैयद अली जहीर---सरकार कोई फैसला तो करेगी नहीं । यह तो महज अपनी राय का इजहार करेगी और वह इजहार राय हो चुका है । बाकी फैसला करना तो लोक सभा के हाथ में है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मंत्री महोदय को ज्ञात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं कि फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिये ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, मैं ऐसी राय दे चुका हूं । मेरी निजी राय अब भी है । लेकिन कोई जरूरी बात नहीं है कि जो निजी राय हो वही गवर्नमेंट की भी राय हो ।

जिला बोर्ड के अध्यक्षों को बोर्ड की मोटर प्रयोग करने के लिए नियम

*५३---श्री गंगाप्रसाद सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उसने जिला बोर्ड के अध्यक्षों को बोर्ड की मोटर के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई आदेश दे रखे हैं ? यदि हां, तो क्या वह उसकी प्रतिलिपि मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री कैलाश प्रकाश---माननीय सदस्य अपनी मेज पर रखायी हुई नियमों की प्रति में नियम संख्या ३ से ४ तक का अवलोकन करने की कृपा करें ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १४८-१४९ पर)

श्री जोशिन्द्र वर्मा---क्या माननीय न्याय मंत्री जी जो आदेश सूची उनकी मेज पर रखी है उसकी बाबत कुछ जानकारी सदन को भी करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि वह तो बहुत से नियम हैं । मैं उन्हें पढ़ने की इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैनों को जो मोटर दी जाती है उसका खर्चा प्रादेशिक सरकार देती है या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के फंड्स में से दिया जाता है ?

श्री कैलाश प्रकाश---यह तो जिला बोर्ड स्वयं वहन करते हैं ।

श्री श्रीचन्द---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन मोटरों का प्रतिमाह व्यय पेट्रोल इत्यादि का कितने तक अधिकृत किया गया है ?

श्री कैलाश प्रकाश---यह तो नियमों में लिखा हुआ है जो माननीय सदस्य की मेज पर रखा गया है । २६० रुपये माहवार दिया जाता है और पहाड़ों में कुछ और बढ़ा दिया जाता है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो आदेश डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैनों को दिये गये हैं उनमें उन्हें यह भी सूचित कर दिया गया है कि वे अपने निजी कामों में इन गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---माननीय सदस्य यदि नियमों को देखने का कष्ट करेंगे तो उन्हें इसका उत्तर मिल जायगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी सदन की जानकारी के लिये इन आदेशों की मुख्य मुख्य बातों को बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--यह जो इस्तेमाल करने या न करने का सवाल है इसके लिये नियम १ (एच) में दिया हुआ है :--

"(h) that a motor car given to the President of a District Board for his official use, shall on no account be utilized by him either for his private business or for the private business or any member or employee of the Board, or of any friend or relation of the President or a member or employee of the Board."

श्री राजनारायण--क्या सरकार सदन को कोई ऐसी तालिका दे सकती है कि इस समय प्रदेश के किन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैनों के पास मोटरें हैं और किनके पास नहीं है ?

श्री कैलाशप्रकाश--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

*५४-५६--**श्री रामप्रसाद सिंह** (जिला गोरखपुर)--[६ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

आजमगढ़-गाजीपुर जिला बोर्ड सड़क को द्वितीय पंच वर्षीय योजना में लेना

*५७--**श्री पद्मनाथ सिंह** (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़-गाजीपुर जिला बोर्ड सड़क को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--जी हां, आजमगढ़-गाजीपुर सड़क का पुनर्निर्माण अतिरिक्त द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित है ।

श्री पद्मनाथ सिंह--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सड़क पर काम कब आरम्भ हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--बहुत शीघ्र, क्योंकि प्रयास यह किया जायगा कि इसी वित्तीय वर्ष में कार्य को पूरा किया जा सके ।

मिर्जापुर नगरपालिका को प्रथम श्रेणी में लेने के संबंध में पूछताछ

*५८--**श्री व्रजभूषण मिश्र**--क्या सरकार के पास मिर्जापुर जिलाधीश ने मिर्जापुर नगरपालिका को प्रथम श्रेणी की नगर पालिका बनाये जाने के पक्ष में सिफारिश भेजी है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी नहीं । प्रश्न नहीं उठता ।

गाजीपुर म्युनिसिपल बोर्ड के ड्रेनेज सिस्टम में खराबी

*५९--**श्री कमलासिंह** (जिला गाजीपुर)--क्या सरकार को मालूम है कि गाजीपुर म्युनिसिपल बोर्ड का ड्रेनेज सिस्टम खराब है ? यदि हां, तो क्या सरकार ड्रेनेज स्कीम को म्युनिसिपैलिटी के अन्दर जारी करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां, ड्रेनेज स्कीम बनाने के लिये आवश्यक सर्वेक्षण (survey) लगभग किया जा चुका है । स्कीम जनवरी, १९५७ तक बन जाने की आशा है । उसके उपरान्त पर्याप्त रुपया भारत सरकार से प्राप्त होने पर काम शुरू किया जा सकेगा ।

नोट--तारांकित प्रश्न ५७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

गाजीपुर जिले की म्युनिसिपल बोर्ड की सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेने की प्रार्थना

*६०—श्री कमलासिंह—क्या सरकार गाजीपुर जिले की म्युनिसिपल बोर्ड की सड़कों को पी० डब्लू० डी० के अन्दर, जैसा कि बोर्ड का प्रस्ताव है, लेने की कृपा करेंगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रथम भाग—म्युनिसिपल बोर्ड, गाजीपुर से म्युनिसिपल बोर्ड की सड़कों को पी० डब्लू० डी० के अन्दर लेने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

गाजीपुर के नालों में फाइलेरिया के जर्म्स का पाया जाना

*६१—श्री कमलासिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर म्युनिसिपल बोर्ड के अन्दर जो नाले हैं उनमें फाइलेरिया तथा अन्य किस्म के जर्म पाये गये हैं ? सरकार इन नालों को दुरुस्त कराने के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—(क) सरकार को सूचना मिली है कि उक्त नालों में केवल फाइलेरिया के जर्म पाये गये हैं ।

(ख) गाजीपुर जल-निकास योजना (Ghazipur Drainage Scheme) तैयार की जा रही है जिसकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित होने की सम्भावना है ।

*६२-६४—श्री दर्शनराम (जिला बांदा)—[३० अक्तूबर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये ।]

डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर की गुटैया स्कीम के अन्तर्गत जमीन का मुआवजा

*६५—श्री त्रिलोकीनाथ कौल (जिला बहराइच)—क्या यह बात सही है कि डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर ने गुटैया स्कीम का पूरा "टी" ब्लाक हासिल कर मालिक मोराजी को कम्पेन्सेशन दे दिया था ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां ।

*६६—श्री त्रिलोकीनाथ कौल—अगर यह बात सही है, तो क्या उसके मालिक के कम्पेन्सेशन की रकम वापिस लेकर उसको वही पूरी जमीन दोबारा वापिस कर दी गई जिससे डेवलपमेंट बोर्ड, कानपुर को कसीर नुकसान पहुंचा ?

श्री सैयद अली जहीर—बोर्ड को कोई नुकसान नहीं हुआ । जमीन वापस करने पर जो कम्पेन्सेशन दिया गया था वह वापस लिया गया और ऊपर से विकास आदि का खर्च भी मालिक मोराजी से वसूल कर लिया गया था ।

*६७—श्री त्रिलोकीनाथ कौल—अगर यह सही है, तो सरकार ने इसके बाबत क्या कार्यवाही की और अगर कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई है, तो क्या सरकार आइन्दा कोई कार्यवाही करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ रीजन में नलकूप चालकों की ट्रेनिंग तथा नियुक्ति

*६८—श्री विश्राम राय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ रीजन में कितने अप्रेंटरों ने १९५४-५५ और १९५५-५६ में ट्रेनिंग प्राप्त की और इनमें कितने काम पा सके ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—सन् १९५४-५५ में केवल ६० उम्मीदवारों ने नलकूप चालकों की ट्रेनिंग प्राप्त की और सभी नियुक्त हो गये। सन् १९५५-५६ में कुल २२६ उम्मीदवारों ने नलकूप चालकों की ट्रेनिंग प्राप्त की और उनमें से १७० नियुक्त किये जा चुके ह।

मुजफ्फर नगर जिले में कांधला-बुढ़ाना सड़क पर हरे वृक्षों के काटने की शिकायत

*६९—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार के पास सन् १९५४ में कांधला-बुढ़ाना सड़क, जिला मुजफ्फरनगर के ग्राम जोगिया खेड़ा के पास से नाजायज तरीके पर हरे वृक्ष काटे जाने की कोई शिकायत आई थी ?

श्री सैयद अली जहीर—इस प्रकार की कोई शिकायत सचिवालय में नहीं आई। हां, एक शिकायत श्री बादामसिंह, सदस्य, जिला बोर्ड के हस्ताक्षर से २० जनवरी, १९५५ को जिलाधीश को अवश्य प्राप्त हुई थी।

*७०—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या यह सही है कि उक्त शिकायत की जांच S. D. M. बुढ़ाना ने स्वयं मौके पर करके रिपोर्ट अब से एक वर्ष पूर्व जिलाधीश को दे दी थी ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां।

*७१—श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी S. D. M. महोदय ने क्या रिपोर्ट की थी और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सैयद अली जहीर—परगनाधीश ने विज्ञाना ग्राम के बारू एवं अन्य बढ़इयों पर पड़ काटने का संदेह व्यक्त किया था। इस पर जिलाधीश ने मुकदमा चलाने के लिये पुलिस को लिखा किन्तु पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण कोई कार्यवाही न की जा सकी।

*७२—श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)—[६ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

फैजाबाद जिले की बीकापुर तहसील के नलकूप

*७३—श्री ब्रजवासी लाल (जिला फैजाबाद)—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बीकापुर तहसील, जिला फैजाबाद में जो नलकूप खराब हो गये या नाकामयाब हो गये वे फिर से बनवाये जायेंगे ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त तहसील में ७३ स्थानों पर नलकूपों के लिये खुदाई की गई थी जिनमें से ६४ नलकूप सफल रहे और शेष ९ नलकूप असफल रहे, क्योंकि ४०० फीट गहराई तक खोदे जाने पर भी उचित जलपूर्ण स्तर नहीं मिला। इनको पुनः बनवाने का प्रस्ताव नहीं है।

उक्त तहसील में अभी तक कोई भी सफल नलकूप खराब नहीं हुआ।

खलीलाबाद तहसील में ढोंढया ग्राम के निकट पम्प नहर में ली गयी जमीन का मुआवजा न मिलना

*७४—श्री राजाराम शर्मा—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि तहसील खलीलाबाद में ग्राम ढोंढया के पास जो पम्प नहर निकल रही है (क) उसमें अब तक कितनी जमीन ली जा चुकी है, (ख) जो जमीन किसानों की ली गयी है उसका मुआवजा किसानों को मिल चुका या नहीं, (ग) क्या किसानों को आज भी निकले हुये खेत का लगान देना पड़ रहा है

श्री कमलापति त्रिपाठी—तहसील खलीलाबाद में बखिरा पम्प नहर निर्माण के लिये:

(क) अब तक ५९.९७० एकड़ भूमि ली जा चुकी है।

(ख) जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है परन्तु शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा देने के लिये कानून के अनुसार कार्यवाही की जा चुकी है।

(ग) जी हां, परन्तु मुआवजा आंकने वाले अधिकारियों को आदेश है कि मुआवजा आंकते समय जमीन निकल जाने के बाद जो लगान लिया जाय, उसे भी वापस किया जाय।

गोरखपुर को बाढ़ से बचाने के लिये बांध निर्माण पर व्यय

*७५—श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर शहर को सैलाब से बचाव के लिये जो सरकार ने माधोपुर डोमिनगढ़ के नजदीक बांध बनाया है उस पर सरकार ने कितना रुपया व्यय किया है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—उक्त बांध पर सरकार का १,०७,४०४ रु० व्यय हुआ है।

*७६—श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि गोरखपुर शहर को हनुमान गढ़ी के स्थान पर नदी से कटाव को बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—गोरखपुर शहर में हनुमान गढ़ी को रापती नदी के कटाव से बचाने के लिये होबर्ट बांध के समीप स्पर्स (Spurs) बनाकर नदी के बहाव को बायीं ओर से दाहिनी ओर मोड़ने का कार्य चल रहा है।

विधान सभा में हरिजनों के सुरक्षित स्थान बढ़ाने के संबंध में जानकारी

*७७—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश में विधान सभा में हरिजनों के लिये १२ स्थान और सुरक्षित हो रहे हैं?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार को इस समय तक इस विषय की कोई सूचना नहीं है।

*७८—श्री खुशीराम—यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कुमायूं प्रदेश में हरिजनों के लिये और कितनी सीटें बढ़ाने का विचार है?

श्री सैयद अली जहीर—प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर नगरपालिका को ऋण तथा अनुदान

*७९—श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उसने पिछले तीन वर्षों में गोरखपुर नगरपालिका को कितनी-कितनी रकमें कर्जे या ग्रान्ट के रूप में दी हैं और वह किन-किन कामों के लिये दी हैं?

*८०—क्या सरकार बतायेगी कि वह सब रकमें नगरपालिका ने खर्च कर दी हैं या शेष हैं?

श्री सैयद अली जहीर—मांगी गई सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १५० पर।)

गोरखपुर नगरपालिका की ड्रेनेज स्कीम

*८१—श्री इस्तफा हुसैन—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गोरखपुर नगरपालिका के लिये जो सरकार द्वारा ड्रेनेज स्कीम बनाई गई है वह कब से चालू की जायेगी और काम किस एजेन्सी द्वारा कराया जायेगा तथा यह स्कीम कितने लाख रुपये की है ?

श्री सैयद अली जहीर—गोरखपुर की ड्रेनेज स्कीम Executive Engieer X Division, L. S. G. Department, Gorakhpur ने बना करके Chief Engineer के कार्यालय में भेज दी है, जिसकी जांच हो रही है। योजना के स्वीकृत हो जाने पर एवं आवश्यक धन का प्रबन्ध होने पर कार्य उपर्युक्त विभाग द्वारा करा दिया जायगा। इस योजना का अनुमानित व्यय Executive Engineer के estimate के अनुसार ६३,७६,००० रुपया है।

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में सड़कों को पक्की करने की आवश्यकता

*८२—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार बतायेगी कि १९५६-५७ वित्तीय वर्ष में आजमगढ़ की घोसी तहसील की कौन-कौन सड़कों को पक्की करने की योजना पर वह विचार कर रही है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—वित्तीय वर्ष १९५६-५७ में जिला आजमगढ़ की घोसी तहसीलों की किसी सड़क को पक्का करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

लखनऊ में नवाब सआदत अली खां के मकबरे का फाटक बन्द करने के संबन्ध में जांच रिपोर्ट

*८३—श्री तेजप्रताप सिंह—क्या स्वशासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फाटक मकबरा नवाब सादत अली खां (लखनऊ) के बन्द किये जाने की बाबत जिला अधिकारियों की जिस रिपोर्ट के इंतजाम की बात उन्होंने सदन में ८ मई, १९५६ को मेरे प्रश्न के उत्तर में कही थी, वह रिपोर्ट सरकार के पास आ गई है या नहीं ? यदि हां, तो वह रिपोर्ट क्या है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां। रिपोर्ट यह है कि इस विषय में दीवानी कानून के जटिल प्रश्न संनिहित हैं, अतएव सरकार का निर्णय वांछित है।

*८४—श्री तेजप्रताप सिंह—क्या स्वशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त रिपोर्ट मिलने पर उन्होंने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

श्री सैयद अली जहीर— भूमि की अवाप्ति के लिये प्रशासक को सुझाव दिये जा रहे हैं।

आजमगढ़ जिले में हाहानाला तथा महोला गढ़वाल बांधों का निर्माण कार्य तथा अनुमानित व्यय

*८५—श्री झारखंडेराय—क्या सरकार बतायेगी कि घाघरा की बाढ़ को रोकने एवं आजमगढ़ के उत्तरी भाग की रक्षा हेतु जिस बांध का निर्माण हो रहा है उसके सिलसिले में कितना कार्य हो चुका है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आजमगढ़ जिले में घाघरा के किनारे इस समय दो बांध हाहानाला तथा महोला गढ़वाल बांध बन रहे हैं। इन पर कार्य की प्रगति का विवरण मेज पर रखा हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १५१ पर)

*८६--श्री झारखंडे राय--क्या सरकार बतायेगी कि इस बांध के निर्माण में कुल कितना अनुमानित व्यय होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हाहानाला बांध की अनुमानित लागत ८ लाख रुपया है, जिसमें से आजमगढ़ का भाग ४,५०,००० रु० का है। बाकी बलिया जिले में पड़ेगा। ८ लाख में से अब तक ६,७७,४७३ रु० ८ आना ६ पाई व्यय हो चुका है।

गढ़ोला गढ़वाल बांध की अनुमानित लागत ३० लाख रुपया है, जिसमें से अब तक १३,०८,०७४ रु० ७ आना ६ पाई व्यय हो चुका है।

अल्मोड़ा नगरपालिका पर सरकारी कर्ज

*८७--श्री ब्रजभूषण मिश्र--अल्मोड़ा नगरपालिका को राज सरकार का कितना कर्ज व उस पर बकाया सूद अदा करना है ?

श्री सैयद अली जहीर--अल्मोड़ा नगर पालिका को राज सरकार का १०,११,६६२ रु० ५ आना का कर्ज तथा २,१६,५७७ रु० ७ आना बकाया सूद अदा करना है।

*८८--श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या राज्य सरकार ने इस कर्ज की किस्तों व पुराने सूद की वसूली के बारे में कोई प्रयत्न किया है ?

श्री सैयद अली जहीर--जी हां। लेकिन नगर पालिका की असमर्थता से विवश हो कर तथा अन्य कुछ कारणों से उसको एक वर्ष के लिये Supersede कर दिया गया है ताकि Administrator के सुचारु प्रबन्ध से नगरपालिका पुराने कर्जों को अदा कर सके।

*८९--श्री ब्रजभूषण मिश्र--क्या अल्मोड़ा नगर पालिका की वार्षिक आय उसके वर्त्तमान व्यय के अनुकूल है।

श्री सैयद अली जहीर--जी हां।

*९०-९१--श्री कमला सिंह--[६ नवम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न ७४-७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

---

२० मार्च, १९५६ के प्रश्न ६६ के उत्तर में संशोधन

[२० मार्च, १९५६ को तारांकित प्रश्न ६६ का निम्नलिखित उत्तर दिया गया था]

*६६--श्री यमुना सिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर के पीपे के पुल को नये स्थान से पुराने स्थान पर लाने के लिये सरकार का कितना रुपया व्यय हुआ ?

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--११,००० रुपये।

किन्तु अब जो सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार शायद यह धन कम है। कुछ गणित आंकड़ों के कारण यह धन ११ हजार दिखा दिया गया है।

श्री अध्यक्ष--माननीय निर्माण मंत्री अब ६६ वें प्रश्न के उत्तर में संशोधन उपस्थित कर दें। समय हो गया है।

श्री लक्ष्मी रमण आचार्य--अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रथम सत्र में ५ वें मंगलवार (२० मार्च, १९५६) को श्री यमुना सिंह द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ६६ का उत्तर देते हुये यह बतलाया गया था कि गाजीपुर के पीपे के पुल को नये स्थान से पुराने पर लाने में सरकार द्वारा किये गये व्यय का सही उत्तर बाद में दिया जायेगा। पीपों के पुल के स्थानान्तरण में सरकार का ५,९३१ रुपये व्यय हुआ।"

श्री शम्सी मीनाई की नज्मों के पुलिस द्वारा जब्त किये जाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—मेरे पास जो कल काम रोको प्रस्ताव आये थे उनमें से एक श्री राजनारायण जी का था और वह इस प्रकार था कि "उत्तर प्रदेश सोशलिस्ट पार्टी के संयुक्त मंत्री श्री शम्सी मीनाई जी की समजवादी विचारधारा से युक्त नज्म, जो कानपुर के आर्मी प्रेस में छप रही थी, उसे कानपुर की पुलिस द्वारा गैरकानूनी ढंग से छापा मारने और सरकार द्वारा कानपुर की पुलिस का गैरकानूनी हरकतों पर ध्यान दिलाने के बाद भी उदासीनता की नीति अख्तियार करने से विषम परिस्थिति पैदा हो गई है। अतः सदन उपर्युक्त विषय पर विचार करने के लिये आज अपना कार्य स्थगित करता है।"

इस सम्बन्ध में उन्होंने मेरे पास नज्में भी भेजीं। अब मैं यह नहीं कह सकता कि सभी नज्में इसमें शामिल हैं या नहीं जिनके बारे में वे कहते हैं कि छीन ली गयीं। दूसरे जो पत्र श्री शम्सी मीनाई साहब ने राजनारायण जी के पास भेजा है, वह भी उन्होंने मेरे पास भेज दिया है। इसमें लिखा है कि उनको यह नहीं बताया गया कि क्यों ऐसा हो रहा है, कोई नोटिस भी नहीं दिया गया कि यह किताब जब्त की गई या क्या किया गया। उन को कोई हुक्म नहीं मिला बल्कि पुलिस ने छापा मार कर उन नज़्मों को ले लिया। तो ऐसी हालत में जो प्रश्न उपस्थित किया गया है उसका विषय एक महत्व का विषय अवश्य हो जाता है और निश्चित भी है। इस विषय में म माननीय मुख्य मंत्री जी से यह सुनना चाहता हूं कि उनको आपत्ति क्या है इसकी मंजूरी के बारे में।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, मुझे आपत्ति है और वह इस लिये कि मेरी जो सूचना है फैक्ट्स की बाबत, वह जो फैक्ट्स आप के सामने रखे गये हैं उनसे भिन्न हैं। न तो नज्में जब्त की गई हैं और न पुलिस ने छापा ही मारा है।

श्री अध्यक्ष—आप का यह मतलब है कि वे वाक़यात भी निश्चित नहीं हैं।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—मेरी वाक़यात के बारे में इत्तला इससे बिलकुल भिन्न है। जो वाक़यात मुझको मालूम हैं वह मैं आप को यदि आप इजाजत दें, तो बतला सकता हूं।

श्री अध्यक्ष—तो ऐसी अवस्था में मैं तो सिर्फ यह कह सकता हूं कि चूंकि यह खुद नज्म तैयार करने वाले की शिकायत आई है और श्री राजनारायण जी ने मेरे पास अन्य कागजात भी उपस्थित किये हैं और माननीय सदस्य खुद कहते हैं कि बात सही है, इस कारण मैं सदन पर ही छोड़ूंगा कि सदन इस विषय पर विचार करे कि इसके ऊपर कोई विचार होना चाहिये या नहीं। माननीय राजनारायण जी को मैं अनुमति देता हूं और यह बैध है ऐसा निर्णय देता हूं। अब वह अनुमति के लिये सदन से प्रार्थना करें।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, यह जो कामरोको प्रस्ताव मैंने रखा है उस सम्बन्ध में मैंने स्वतः जानकारी हासिल की है और जो नज्म छप रही थी आर्मी प्रेस में, यह पुस्तिका कविताओं के संकलन मात्र के रूप में ही निकलने वाली थी और वह पूरी सात नज्में मैंने आपकी सेवा में दे दी थीं। मैं समझता हूं कि यदि आप मुझे आज्ञा दें यह बतलाने की कि वह नज्में क्या थीं तो मैं उनकी हेड लाइन यहां पढ़ दूं।

श्री अध्यक्ष—जब वह कह रहे हैं कि जब्त नहीं की गईं तो यह प्रश्न उठता नहीं। आप तो जो जो वाक़यात हुए हैं केवल उन्हीं को बतलायें। उसके ऊपर आप अनुमति सदन की ले लें।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—श्रीमन्, मैं.....

श्री अध्यक्ष—मैं श्री राजनारायण को इजाजत दे चुका हूं। आप शायद नहीं उठा सकते।

श्री राजनारायण—तो यह जो ७ नज्में थीं इनको छापने के लिये आर्मी प्रेस, कानपुर को दिया गया। २१ तारीख को आर्मी प्रेस वालों ने यह वायदा किया था कि श्री शम्सी मीनाई को यह नज्में हम पुस्तिका के रूप में छापकर दे देंगे। मैंने शम्सी मिनाई से कहा कि वह नज्में मुझे ला दीजिये। उनकी मुझको जरूरत थी। अपने देश के बहुत स्थानों से उसकी हमारे पास मांग है। इसलिये मैंने उनको पुस्तिका का स्वरूप देना उचित समझा था। शम्सी साहब जब वहां गये तो प्रेस वालों ने उनको बताया कि शीशामऊ थाने की पुलिस आयी और वह पुलिस जो हम मैटर बना रहे थे उसको उठा ले गये। इसके बाद प्रेस वालों ने उनसे कहा कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो अवैध हो क्योंकि यह बिलकुल समाजवादी पार्टी के संयुक्त मंत्री की लिखी हुई नज्में हैं और उसी विचारधारा से ओत-प्रोत होकर यह नज्में लिखी गयी हैं, लेकिन पुलिस ने यह कहा कि यह सब सरकार के विरुद्ध जाती हैं और इनको यहां नहीं छपने दिया जायगा और पुलिस वहां से उन नज्मों को उठा ले गयी।

इसके बाद २३ तारीख को मैं भी कानपुर गया और उस तारीख को मैंने स्वतः इस बात की जानकारी हासिल करने की कोशिश की कि आखिर क्या कुछ बताया जाता है और उसमें क्या अवैधता है और इनके अन्दर कौन सी लाइनें हैं जो गैरकानूनी हैं इसलिये अगर कोई ऐसी चीज है तो उसको छांट-छांट कर सीधा सादा मजमून रखें। मगर उसमें कोई ऐसी चीज नहीं थी। जब ऐसी नज्मों पर भी प्रतिबन्ध लगाया जायगा तो फिर प्रजातांत्रिक राज्य कैसे चल सकता है? मैंने वहीं उस दिन कानपुर से माननीय मुख्य मंत्री जी को एक पत्र लिखा और उसकी मूल प्रति आपकी सेवा में भी भेजी है। मुझे अफसोस है कि २३ तारीख को लिखे हुए पत्र का ८ तारीख तक, जबकि मैंने कामरोको प्रस्ताव यहां दिया, उत्तर नहीं मिला। मैंने सोशलिस्ट पार्टी के दफ्तर से और अपने असेम्बली पार्टी के दफ्तर से मालूम किया तो मालूम हुआ कि माननीय मुख्य मंत्री जी का कोई पत्र नहीं आया। माननीय मुख्य मंत्री जी ने, कानपुर की पुलिस ने जो अवैध कार्य किये थे उसकी जांच कराना उचित नहीं समझा और न उत्तर देना ही उचित समझा। इसलिये बाध्य होकर आपकी सेवा में आना पड़ा और यह कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार से रखना पड़ा। इसलिये यह महत्वपूर्ण विषय है और मैं इस सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर अब जजबात का जाहिर होना सरकार की पुलिस की इच्छा शक्ति पर निर्भर कर दिया जायगा और हम अपने ख्यालात को भी प्रकट नहीं कर पायेंगे तो इससे हमारे ख्यालात और जजबात पर रोक लगेगी।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं, आप अधिक गहराई में जा रहे हैं। आपने फैक्ट्स बाकयात को बताइये।

श्री राजनारायण—मैं श्रीमन्, फैक्ट्स ही बतला रहा हूं और मैं आपके द्वारा इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन करूंगा कि यह किसी पार्टी पालिटिक्स का सवाल नहीं है। इसमें जनतांत्रिक उसूलों का सवाल है कि वे दृढ़ और अडिग हैं या नहीं। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि अगर हम जनतांत्रिक मुल्क को विकसित करना चाहते हैं तो सरकार द्वारा जो हमारे अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है उसमें हमारे सम्मानित सदस्य हमारा साथ दें।

*डाक्टर सम्पूर्णानन्द—अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी यह है कि शम्सी मीनाई साहब ने आर्मी प्रेस को छापने के लिए यह कविता नहीं दी। उन्होंने १६ सितम्बर को यह नज्में हिन्दी और उर्दू में छापने के लिये कानपुर के नवयुग प्रेस को दीं। आर्मी प्रेस को नहीं। नवयुग प्रेस में हिन्दी में छापने का प्रबन्ध है, उर्दू में छापने का प्रबन्ध नहीं है। इसलिये नवयुग प्रेस ने अपने जरिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आर्मी प्रेस वालों को दीं इसलिये कि वे उर्दू में इनको छाप दें। आर्मी प्रेस वालों ने उनको कम्पोज किया और कम्पोज करने के बाद उसके मजमून पर कुछ संदेह किया कि इसमें कुछ मजमून आब-जक्शनेबिल मालूम होता है। पुलिस उनके प्रेस में नहीं गयी। उनकी जो ओरीजनल कविता है वह १२ पेजी कविता है। वह ओरिजिनल कविता और प्रफ उन्होंने कोतवाली के स्टेशन आफिसर के पास भेज दिया कि वह उसे छापें या नहीं। वह कोई कानूनी राय नहीं दे सकते थे क्योंकि वह वकील तो थे नहीं। इसलिए उन्होंने सरकारी वकील के पास भेज दिया है। इस समय तक वह कविता कहीं जब्त नहीं है। सरकारी वकील ने अभी अपनी राय नहीं दी है।

श्री अध्यक्ष—जो माननीय सदस्य इस पक्ष में हों कि इस कामरोको प्रस्ताव पर विवाद होना चाहिये वे कृपाकर अपने स्थान पर खड़े हो जावें।

(२३ सदस्य खड़े हुये)

२३ की संख्या है और कम से कम ३६ होने चाहिये, तब अनुमति समझी जाती है। इसलिये मैं समझता हूं कि सदन की अनुमति इस पर विवाद के लिये नहीं है।

सदन में अनधिकृत रूप से कविता बांटने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना

श्री ब्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—मेरा वैधानिक प्रश्न है। अभी यहां सुबह आपके आने से पहले वही कुछ कविता टेबिल पर रखी गई, लेकिन उसके बाद फिर उठा ली गई। कुछ तो यहां बच रही है और कुछ उठा ली गई। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये कैसे आई ?

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य ने अपने भाषण में यह कहा कि उन्होंने कुछ प्रतियां नज्मों की माननीय सदस्यों को दिखाने के लिये दीं और चूंकि यह जब्तशुदा नहीं है तो उन्होंने किन्हीं सदस्यों को दी होंगी। मैं समझता हूं कि सबकी टेबिल पर नहीं होंगी ?

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—सबकी मेज पर है।

श्री अध्यक्ष—तो मैं समझता हूं कि राजनारायण जी को चाहिये था कि इन नज्मों को बांटने के पहले मुझसे अनुमति ले लेते।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—सरकारी चपरासी से बंटवाई गई है।

श्री अध्यक्ष—यदि आप विशेषाधिकार का प्रश्न उठाते हों तो आप मुझे नोटिस दे दें और उसकी कायदे से कार्यवाही होगी।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—मैं विशेषाधिकार का प्रश्न आपके पास भेज दूंगा।

श्री केशव गुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)—अभी जब आपने कामरोको प्रस्ताव इस सदन के सामने प्रस्तुत किया तो उस समय मुख्य मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर बतला दिया कि वह कविता जब्त नहीं है, लेकिन उससे पहले सोशलिस्ट पार्टी के नेता यह समझते थे, १२ बजे से पहले, कि ये जब्तशुदा हैं और इसलिये उन्होंने यह समझते हुये ही वह हमारी मेंजों पर रखवाईं। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण विशेषाधिकार का प्रश्न बन जाता है इसलिये भी कि बिना आपकी आज्ञा ऐसा उन्होंने किया। यह दूसरी बात है कि वह जब्तशुदा वास्तव में हों या नहीं। इसके ऊपर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—जहां तक किसी व्यक्ति को यह भ्रम हो जाय कि उनके पीछे कोई भूत लगा है या कोई इसी प्रकार की बात है और उस शंका की वजह से कोई काम कर बैठे तो उसके सम्बन्ध में तो कोई नोटिस मैं नहीं ले सकता हूं। मैं सत्य के ऊपर नोटिस ले सकता हूं। अगर प्रोस्क्राइब्ड नज्में होतीं तो वह महत्व का विषय होता और उन्हें पूछ लेना चाहिये था। इस सम्बन्ध की शंका का समाधान मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कर दिया है कि वे प्रेस्क्राइब्ड नहीं की गई हैं। अब मुझसे बगैर पूछे हुए जो उन्हें सदन में बांटा गया, यह मैं मानकर चलता हूं कि वह प्रोस्क्राइब्ड नहीं थी, तो कोई भी प्रकाशन या लेखन बगैर मेरी इजाजत के अन्दरूनी सदन के सदस्यों की टेबिल पर रख देना, उचित नहीं है, क्योंकि कल को बहुत से नोटिस इस प्रकार से मेज पर रक्खे जा सकते हैं और सदन के काम में विघ्न हो सकता है। इस दृष्टि से यह ठीक नहीं है। अब इस पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठ सकता है या नहीं, इसके बारे में मैं उसका नोटिस मिलने पर अपनी राय दूंगा। लेकिन यह चीज गलत हुई कि माननीय राजनारायण जी ने बिना सोचे हुए ही और मेरे दफ्तर को बताये हुए इस तरह से उन नज्मों को यहां बांट दिया। ऐसा नहीं होना चाहिये था।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के लिये अनुमति की मांग

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण करने के लिये अनुमति दिये जाने की याचना करता हूं। कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब यह कहा था कि उन्हें मेरे भाषण से आश्चर्य और खेद हुआ उसी समय में स्पष्टीकरण देना चाहता था, लेकिन चूंकि आपने यह कहा था कि अभी प्रश्न उपस्थित करने के लिये भी समय नहीं है इसलिये मैंने उस समय वह स्पष्टीकरण नहीं दिया। इसलिये आज मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की आज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—इसके लिये आप मेरे दफ्तर में आकर मुझे यह बता दें कि आप यह स्पष्टीकरण किस बारे में देना चाहते हैं, उसी समय मैं स्पष्टीकरण देने की इजाजत दे सकूंगा। मुझे वे शब्द मालूम हो जाने चाहियें। कल आप इस प्रश्न को उठाते तो समय रहने पर मैं आपको इजाजत दे सकता था, लेकिन फिर भी यदि उचित होगा तो मैं आपको मौका दूंगा। आप जब उन शब्दों को बता देंगे जिन पर आपको आपत्ति है तो मैं प्रोसीडिंग्स में भी उनको देख लूंगा।

सदन में अनधिकृत रूप से पर्चे बांटने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (क्रमागत)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा (जिला देहरादून)—अध्यक्ष महोदय, मैं नोटिस देता हूं कि यह प्रश्न प्रिविलेज कमेटी में भेज दिया जाय। मैं इसको लिख कर भेज दूंगा।

श्री अध्यक्ष—यह नोटिस मुझको श्री ब्रजभूषण मिश्र ने दे दिया है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—अध्यक्ष महोदय, मुझे यह सुनकर बड़ी खुशी हुई कि सदन को टेजरी बेंच के कुछ माननीय सदस्यों ने प्रिविलेज का मोशन लाने के लिये नोटिस दिया है। लेकिन यह आज प्रथम बार ही नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—आपके बारे में जो कुछ कहा गया है अगर आप उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं।

श्री राजनारायण—मैं आपको सूचना देना चाहता हूं कि आज ही कांग्रेस पार्टी की ओर से करीब करीब सब मेम्बरों को यह पर्चा (एक पर्चा दिखाकर) बांटा गया है। यह करीब करीब सब की टेबिलों पर रक्खा हुआ मिला है।

श्री अध्यक्ष--उसके लिये अगर आप भी कोई प्रश्न उठाना चाहते हैं तो उठा सकते हैं। मैं उसकी भी तहकीकात करा लूंगा ।

श्री राजनारायण--मैंने वह पुराना उसूल कि "बार्बेरिज्म बी मेट विद् बार्बेरिज्म", मैंने वह छोड़ दिया है। अब तो दुष्ट अगर दुष्टता नहीं छोड़ता तो साधु को साधुता भी नहीं छोड़नी चाहिये, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। मैं यह कभी नहीं मानता था कि यह पुस्तक जब्त है। और आज भी मैं यह बता देना चाहता हूं कि आज भी अगर किसी छापेखाने से पुलिस उठा ले जाय और पुलिस क्या उत्तर प्रदेश की सरकार यह कह दे कि यह जब्त है तो भी मैं उसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। मैं समझता हूं कि यह नजम बिलकुल जायज है और उसको ले जाकर कानपुर की पुलिस ने गलत काम किया है। दूसरी बात यह है कि उसी शुद्ध भावना से उसको छपवाने का बर्डन मैंने अपने ऊपर लिया और सदस्यों की जानकारी के लिये यह किया गया कि सदस्यों को मालूम हो जाय कि पुलिस क्या उठा ले गयी थी।

श्री अध्यक्ष--मैंने उसके लिये रूलिंग दे दी है कि ऐसी स्थिति में मुझसे पूछ लिया जाया करे।

कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)--जनाब स्पीकर साहब, असेम्बली शायद १२ तारीख से बन्द हो रही है। एक तारीख के बारे में कुछ गलतफहमी है, जिसे मैं साफ कर देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--अभी कई कामरोको प्रस्ताव रह गये हैं। उनके ऊपर मैं निर्णय दे दूं उसके बाद आप बोल सकते हैं।

मेरठ जिले की मुरादनगर फैक्टरी के मजदूरों के साथ पुलिस अत्याचार संबंध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--श्री नारायणदत्त तिवारी के एक कामरोको प्रस्ताव के ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल कहा था कि इस वक्त परिस्थिति क्या है उसके ऊपर वे प्रकाश डालेंगे। तो माननीय मुख्य मंत्री जी कृपा करके उस पर प्रकाश डालें ।

***मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको विदित है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह निश्चय किया कि उनके हथियार बनाने के जो कारखाने हैं उनमें आज मजदूरों की जितनी आवश्यकता है उससे जो ज्यादा हैं उन मजदूरों को वे काम से अलग कर देंगे और उनके इस निर्णय के अनुसार देश भर में जहां उनकी फैक्टरीज इस किस्म की हैं उनसे कुछ लोग अलग किये गये इसी किस्म की एक फैक्टरी मेरठ जिले के मुरादनगर में है वहां ढाई सौ आदमियों को अलग किया गया। मैं यह भी सूचना दे दूं कि उन ढाई सौ में २१० आदमियों को रेलवे का दूसरा काम आफर किया गया कि अगर वे चाहे तो दूसरा काम कर लें। अभी तक वे ४० आदमियों को कोई इन्तजाम नहीं कर सके हैं। बहरहाल, जब ये लोग १५ सितम्बर को अलग किये गये तो उस फैक्टरी में काम करने वाले १५०० मजदूरों ने उनके साथ सहानुभूति में ही समझिए हड़ताल कर दी, लेकिन जो सुपरवाइजरी स्टाफ था और जो ऐशियल स्टाफ था वह इस हड़ताल में शरीक नहीं हुआ। १५ सितम्बर से २ अक्तूबर तक हड़ताल करने वाले अपना जलसा करते रहे, जुलूस निकालते रहे, नारे लगाते रहे लेकिन किसी अधिकारी ने उनके इस काम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। ३ अक्तूबर को इसी मिल के अन्दर जाने वाले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[डाक्टर सम्पूर्णानन्द]

एक मजदूर को उन लोगों ने पीटा और पीटने के बाद इतना ही नहीं कि एक आदमी को पीटा हो बल्कि सुपरवाइजरी स्टाफ जो अन्दर काम करने जाना चाहता था उसको लोगों को उन्होंने जाने से जबरदस्ती रोका। उस वक्त जिले के अधिकारी आये और उन्होंने समझाया कि आप हड़ताल कर रहे हैं तो करें, जैसे रोज जलूस वगैरह निकालते हैं उसको निकालते रहें लेकिन जो काम करना चाहते हैं और खास करके हथियार बनाने का काम जो देश के लिए बड़े ही महत्व की चीज है, इसमें कोई बाधा न डालें। लेकिन उन्होंने नहीं माना। जब वे लोग नहीं माने तो उन्हें मजबूर होकर कुछ लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा और दफा १४४ की नोटिस भी लगानी पड़ी। दफा १४४ लगाने पर भी जब वे लोग नहीं माने और इस किस्म का काम करने लगे तब उन्होंने टियर गैस का प्रयोग किया। टियर गैस का प्रयोग करने पर वे लोग वहां से हट गये। सब मिला कर ८३ आदमी गिरफ्तार किये गये थे जिनमें से ३० आदमियों को माफी मांगने पर छोड़ दिया गया। ४,५ अक्तूबर को फिर यही कोशिश की गयी और दफा १४४ जो लगी हुई थी उसको वे लोग तोड़ने लगे और जो लोग काम करने के लिये अन्दर जाना चाहते थे उनको जबरदस्ती जाने से रोका। इस पर उनके २६ आदमियों को गिरफ्तार करना पड़ा। ६ तारीख से वहां बिलकुल शांति है और तमाम मजदूर भी कारखाने में काम करने लग गये हैं। यही इस वक्त की परिस्थिति है। इसके अलावा आपकी इजाजत से मैं इतना और कह दूं कि लाठी चार्ज का जो जिक्र किया गया है, तो लाठी चार्ज किसी पर भी नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष—मैंने कल ही कहा था कि इस प्रस्ताव का विषय अनिश्चित सा मालूम होता है, लेकिन माननीय सदन यह जानना चाहता है कि मामला क्या है, लाठी चार्ज का भी प्रस्ताव में जिक्र है, आंसू गैस के प्रयोग का भी जिक्र है इसलिए मैंने चाहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी चाहें तो स्पष्टीकरण दे दें। वैसे भी यह बिलकुल अनिश्चित विषय था और इस स्पष्टीकरण के बाद तो यह अनिश्चित ही नहीं बल्कि अनावश्यक भी मालूम होता है। इस कारण मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

प्रदेश में चीनी मिलें १५ अक्तूबर से न चलाये जाने तथा अतिवृष्टि से गन्ने की बर्बादी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—तीसरा कामरोको प्रस्ताव जो आया है, वह इस तरह से है—

"राज्य सरकार ने अब तक प्रदेश की चीनी मिलों को १५ अक्तूबर से चलाने की कोई व्यवस्था नहीं की है यद्यपि ऐसा निश्चय शुगर केन बोर्ड द्वारा पहले हो गया था। राज्य के पूर्वी जिलों में गन्ना अति वृष्टि के कारण सूख रहा है और पश्चिम में पेरा नहीं जा सकता है। इसका भय है कि लाखों किसानों का करोड़ों मन गन्ना बरबाद हो जाने वाला है। ऐसी गम्भीर परिस्थिति पर विचार करने के लिये सदन अपना आज का कार्य-स्थगित करता है।"

तो जैसा मैंने अर्ज किया है कि एक कामरोको प्रस्ताव ही एक दिन में लेता हूं चूंकि एक को मैं वैध करार देकर मंजूर कर चुका हूं और अनुमति दे चुका इसलिये इसको मैं अब कल लूंगा। वह पढ़कर मैंने आज सुना दिया है और इस विषय में संबंधित मंत्री जी को भी सूचना दे दी ताकि वह भी उसके लिये तैयार हो जायं और उन्हें इसकी जानकारी हो जाय।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—यह किस का प्रस्ताव है?

श्री अध्यक्ष—श्री जगन्नाथ मल्ल जी का है।

बारावफात की छुट्टी के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)—जनाबवाला की इजाजत से मैं यह अर्ज कर रहा हूं कि जहां तक असेम्बली के प्रोग्राम का ताल्लुक है वह ११ को होकर बन्द हो रही है

और १८ को खुल रही है। १७ की बारावफात की तातील समझी गयी है, लेकिन चांद में कुछ फर्क हो गया है और इस वजह से बारावफात बजाय १७ के १८ की पड़ रही है, इसलिये मैं दरख्वास्त करूंगा कि हाउस १८ तक बन्द हो जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—१८ को बारावफात है ?

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—जी हां, गजटेड हालीडे है।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—अध्यक्ष महोदय, अब तक ख्याल यह था कि बारावफात १७ की है लेकिन चूंकि फाखरी साहब बता रहे हैं कि वह १८ को है इसलिए इस विषय में निश्चय कर के कल तक बता दिया जायगा।

श्री राजनारायण द्वारा पर्चे बांटने की अनुमति मांगना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—यह इतने सारे पर्चे मेरे पास हैं इनके बारे में आप आज्ञा दें तो बता दूं और इनको बांट दूं।

श्री अध्यक्ष—मैं इनको बांटने की इजाजत नहीं देता, इनके बारे में आप चाहें तो मेरे दफ्तर में बात कर लें।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—अध्यक्ष महोदय, मैं एक सवाल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—अब इस वक्त सवाल नहीं होंगे अब आज का कार्यक्रम शुरू होगा।

उत्तर प्रदेश रुई ओटने और उसकी गांठें बनाने के कारखानों का (संशोधन) विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश रूई ओटने और उस.....

मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि जिस वक्त मैं घोषणा वगैरा करता होऊं उस वक्त माननीय सदस्य अपने स्थानों को न छोड़ें, मेरे घोषणा करने के बाद जब कार्य शुरू हो तो वे शांतिपूर्वक बाहर जा सकते हैं।

(कुछ रुक कर)

मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश रुई ओटने और उसकी गांठें बनाने के कारखानों का (संशोधन) विधेयक, १९५६, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १७ अप्रैल, १९५६, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १७ जुलाई, १९५६ की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति १ सितम्बर, १९५६ को प्राप्त हो गई और वह १९५६, का उत्तर प्रदेश का २६ वां अधिनियम बन गया।

वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि वाराणसेय संस्कृत विश्वाविद्यालय विधेयक, १९५६, पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी ३० जुलाई, १९५६, की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी १४ अगस्त, १९५६ की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति ११ सितम्बर, १९५६ को प्राप्त हो गई और वह १९५६ का उत्तर प्रदेश का २८ वां अधिनियम बन गया।

१९५६-५७ के प्रथम अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—अब वित्तीय वर्ष, १९५६-५७ के प्रथम पूरक अनुदानों पर सामान्य विवाद जारी होगा।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, साधारणतौर पर मैं ऐसी आशा करता था कि जिस वक्त अनुपूरक अनुदान विधान सभा के सामने प्रस्तुत होगा तो उस में कुछ ऐसी मदों का जिक्र होगा और ऐसी मदों में धन मांगा जायगा जिनको कि मूल बजट बनाते समय देखा नहीं जा सकता था और जिनके लिये उस समय कल्पना नहीं की जा सकती थी कि उनमें कितने धन की आवश्यकता होगी। मैं नम्रतापूर्वक यह कहना चाहूंगा कि सरकार ने और वित्त विभाग ने इस नियम को सामने नहीं रखा। इसमें बहुत सी मदें ऐसी मिलेंगी जो ऐसी हैं, जो मूल बजट बनने के पहले से उनकी जरूरत पेश थी, लेकिन उनको ध्यान में नहीं रखा गया। मैं नहीं कह सकता क्यों नहीं ध्यान में रखा गया और जो सप्लीमेंटरी बजट में उसके लिये मांग की जा रही है। कन्टिन्जेन्सी के सम्बन्ध में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कन्टिन्जेन्सी रखने का जो अभिप्राय है उस अभिप्राय को सरकार निभा नहीं रही है। यह बात समझ में आ सकती है, कोई ऐसी दुर्घटना देश में घटे या कोई ऐसी जरूरत पेश हो कि आकस्मिक निधि से धन निकालना आवश्यक हो जाय तो जरूरी है, निकालना चाहिये। लेकिन इसमें अध्यक्ष महोदय, आप जब तफसील में जायेंगे तो देखेंगे कि ऐसे-ऐसे कामों के लिये आकस्मिक निधि से धन निकाला गया है जिनके लिये कभी भी, किसी भी हालत में आकस्मिक निधि से धन नहीं निकाला जाना चाहिये और उन मदों का भी मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा संक्षेप में, और मैं चाहूंगा कि आइन्दा से सरकार जो बजट प्रस्तुत करे उसमें इन सब बातों का ध्यान रखा जाय।

इस अवसर पर जिन मदों में सरकार ने मांग की है, उन मदों में एक बड़ी रकम सरकार ने पुलिस पर मांगी है। मैं घबड़ाता नहीं हूं कि पुलिस को आराम, आसाइश देने में धन की मांग न की जाय। जिस प्रकार मांग की गई है उसमें कुछ पुलिस के लोगों को मकान बनाने के लिये या कुछ बुद्ध जयन्ती के अवसर पर जो यात्रायें होंगी बड़े-बड़े लोगों के लिये, उनकी हिफाजत के लिये, मैं उसकी आवश्यकता की बात छोड़ देता हूं। लेकिन मैं एक तरफ सरकार का ध्यान अवश्य दिलाना चाहता हूं कि जहां पुलिस के भत्ते का जिक्र आता है वहां यह बात हमेशा ध्यान में रहती है कि जो ६ आना रोज भत्ते का नियम है सरकार का, पुलिस के कांस्टेबिलों के लिये, और चौकीदारों के लिये मैं जानता भी नहीं, उस नियम को सरकार ने अभी तक बदला या नहीं बदला? मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी का जो विभाग पुलिस है उसमें इस बात की व्यवस्था इस मर्तबा जरूर हो जायगी और हमको फिर आगे ऐसा उत्तर नहीं मिल सकेगा कि कांस्टेबिलों और चौकीदारों के लिये ६ आना या ६ आना से कम भी भत्ता दिन भर २४ घंटे रहने पर मिला करता है। मकान पुलिस के लिये बनाये जायं, डाकुओं से रक्षा करने के लिये व्यवस्था की जाय, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती।

हम जरा सा उस पुलिस के प्रबन्ध की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहते हैं। मैं अभी दो, तीन दिन पहले कानपुर गया था। कानपुर जैसे जिले में दो रात में दो डकैतियां हुईं और उन दोनों डकैतियों में दो औरतें मारी गयीं। गोंडे की हालत हम देखते हैं। कोई भला आदमी अपनी जिन्दगी को खतरे से खाली नहीं समझता। हम उस पुलिस आफिसर को बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे और हम बहुत शुक्रगुजार हैं जो अभी कुछ दिन पहले इस बात को प्रकाश में लाया कि हमारे सूबे में क्राइम सिचुएशन बढ़ती जा रही है। एक महत्व के स्थान पर वह पुलिस आफिसर था और आज भी वह डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस है और उन्होंने सरकार के उन आंकड़ों को ग़लत सिद्ध किया जिन आंकड़ों को हमको सरकार बराबर सदन में देती है और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि पिछले कुछ वर्षों में जरायम बहुत बढ़ा। कुछ कारण भी उन्होंने बतलाये थे। तो मैं ऐसा समझता हूं कि यह जरायम अगर बढ़ रहे हैं और लोगों की जानमाल की रक्षा करने में हम असमर्थ हो रहे हैं तो विधान सभा में कोई हक़

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं है कि पुलिस विभाग अधिक पैसा मांगने की चेष्टा करे। हमारी जान और माल ज्यादा क़ीमती चीज है और देश की जनता की जान माल की हिफ़ाज़त के नाम सरकार हमसे सर्वस्व ले सकती है। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस वक्त हमारी जान माल की हिफ़ाज़त करने में वह असमर्थ रहती है तो वह उसकी जवाबदेह होती है। गोंडा का रूप और बस्ती का रामबरन---अगर विधान सभा में उसकी बहुत चर्चा न होती तो मेरी समझ में यह बात न आती, न वहां के पुलिस कप्तान के कान पर जूं रेंगती और न दूसरे अधिकारियों के कान पर जूं रेंगती। मैं यह बात बहुत साफ़ कहना चाहता हूं कि आखिर गोंडा के पुलिस कप्तान के बारे में सोचा क्यों नहीं जाता? क्या उनके बारे में सरकार के पास शिकायतें नहीं पहुंची हैं? मैं चाहूंगा कि मेरी यह राय झूठी साबित हो जाय कि गोंडा के कप्तान पुलिस चारपाई से उठने की कोशिश नहीं करते। बहुत उपकार किया भाई गंगा प्रसाद जी ने हमारी बात को स्वीकार करते हुये यह कहा कि वह चले गए। वह चले गये। कितने दिन तक रहे गोंडा में और कितने दिन तक उन्होंने गोंडा की सिचुएशन को ख़राब किया। इसकी ज़िम्मेदारी मैं नहीं समझता कि किसकी है।

तो मैं, अध्यक्ष महोदय, इस मामले में सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि अगर पुलिस चाहे तो क्राइम सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है। मैं पुलिस की क्षमता पर विश्वास करता हूं। अगर क्राइम सिचुएशन बिगड़ती है तो इसके मानी यह हैं कि पुलिस की इच्छा नहीं है कि उस बुरी हालत से मुल्क को बचाया जाय। तो इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगा कि पुलिस के ऊपर, हमारे कांस्टेबिलों को स्वस्थ करने के लिए, उनको मानसिक स्वस्थ बनाने के लिये अगर सरकार पैसा खर्च करना चाहती है तो हमको उसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन हम यह जरूर चाहते हैं कि हमारी जान-माल की हिफ़ाज़त जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह से हो और उसमें पुलिस पीछे है। उसमें पुलिस हमारी हिफ़ाज़त उस हद तक नहीं कर पाती। मैं आज भी कहना चाहूंगा कि पुलिस का रवइया सच्चे आदमियों को फांसने का और झूठे आदमियों को छोड़ने का है। हो सकता है कि इसका अनुपात बहुत कम हो लेकिन १०० आदमी अपराधी पकड़े जायं और पांच आदमी निरपराधी पकड़े जायं और पांच आदमी निरपराधी फंस कर सज़ा पा जायं और उसी मुकदमें में अपराधी छूट जायं, इससे बदमाशी और शरारत करने वालों की तबियत बढ़ती है और क्राइम सिचुएशन भी बिगड़ती है। तो मैं जरूर इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पुलिस को किसी तरह से इस बात के लिये राज़ी किया जाय कि वह निरपराधी लोगों को फंसाने की कोशिश मत करे। अपराधी लोगों को फंसाने की कोशिश करने में मेरा विश्वास है कि जहां कोई कप्तान पुलिस इस लायक गया कि अपराधी लोगों को फंसाने की कोशिश करे, उस कोशिश में वह अपने अख़्तियार के कुछ बाहर भी चला गया तब भी हम लोगों ने उसका समर्थन किया और हमने देखा कि वहां की हालत दुरुस्त हुई। तो मैं इसलिये चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

एक बात मैं जरा कम्प्लेंट अफसर साहबान के सिलसिले में ज़रूर कह देना चाहता हूं। कम्प्लेन्ट अफसर साहब पुलिस का अभिन्न अंग हो गया है। वह कम्प्लेंट अफसर नहीं। वह पुलिस में भय नहीं पैदा करता। उसकी नियुक्ति, उसका ढंग, उसका काम करने का तरीक़ा, यह सारी चीजें ऐसी हैं जिन पर हमको फिर विचार करना चाहिए। कम्प्लेन्ट अफ़सर जिले की ऐंटी करप्शन कमेटियों की मीटिंगों में नहीं जाता। ऐंटी करप्शन कमेटी से उस कम्प्लेंट अफ़सर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहले जो ज़िले की ऐंटी करप्शन कमेटी बनी हुई थीं उसका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था। मेरा ख़याल है कि पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट भी उन कमेटियों में आते थे। सरकार के अफ़सर भी उन कमेटियों में आते थे।

हमारी कमेटियों की ऐसी कम्बख़्त हालत हो गई है कि हमारी ऐंटी करप्शन कमेटियां अब १६ आने इनऐफ़ेक्टिव हैं। मैं इस मौक़े पर माननीय मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि एक बार फिर वह गौर करें और अपनी भ्रष्टाचार निरोधक समितियों को बल देने की चेष्टा करें। अगर उसमें कोई जांच हम करते हैं तो जांच करने के बाद विभागीय अफ़सर अगर उससे मतभेद रखते हैं तो कोई गुंजायश नहीं ऐंटी करप्शन कमेटियों को कि उसके बाद वे कुछ कर

[श्री गेंदा सिंह]

सकें। तो फिर एक मात्र चारा सरकार रह जाती है। तो मैं समझता हूं ऐंटी करप्शन कमेटियों में विभागीय अफ़सर बैठें और हम दोनों मिल कर के किसी एक राय पर पहुंचने की कोशिश करें। अधिकांश में ऐसा होगा जिसमें एक राय पर पहुंच जायंगे हम लोग। मैं नहीं जानता हूं कि करप्लेंट अफ़सरों की देख रेख करने के लिये क्या प्रबन्ध है। करप्लेन्ट आफ़िसर कितने मुक़दमों को अब तक पकड़ सकें हैं, कितनों की जांच की, और कितनों को छोड़ा यह बातें हमको कतई मालूम नहीं। मैं समझता हूं कि विधान सभा को इस बात के जानने का हक़ है, और नई योजना है और उसके बारे में अगर हमारी जानकारी होती तो इस मौक़े पर अपनी अच्छी से अच्छी राय सदन के सामने रख सकते थे।

अध्यक्ष महोदय, मालगुजारी विभाग हमारे देश का एक ऐसा विभाग है जिसकी बुनियाद पर आज भी सारी ऊपर की दीवारें खड़ी होती हैं। मुझे खुशी है मालगुजारी विभाग ने यह महसूस किया कि अब उसको काग़जात की दुरुस्ती का काम करना चाहिये। और ४, ५ जिलों में काग़जात दुरुस्ती के काम का जारी करने का फ़ैसला किया। लेकिन मैं इस मौक़े पर यह ज़रूर कहना चाहूंगा कि काग़जात इतने ग़लत हैं कि केवल ५ जिलों में काम शुरू करने से कोई लाभ नहीं। आज गांव-गांव में इस तरह के झगड़े उठ खड़े हो गये और अध्यक्ष महोदय, हमको नहीं सभी सम्मानित सदस्यों की जानकारी में यह बात है कि जो भी कानून यहां से बनाया जाता है उसका पालन मौक़े पर होता नहीं। गांव सभा के सभापतियों को यह अख़्तियार है कि लेखपालों के काग़जात को देख सकते हैं, दुरुस्त भी देख सकते हैं, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि लेखपाल आज भी गांव सभा के सभापतियों के अख़्तियार को पूरा करने में आना-कानी करते हैं। लेखपाल इन्तख़ाब देने में आना-कानी करते हैं। और मैं तो माननीय राजस्व मंत्री जी से कहना चाहता हूं, वह बहुत दौरा करते हैं अपने दौरे में मालूमात कर लिया करें कि अक्सर जिले में इन्तख़ाब किस रेट पर किसानों को मिलते हैं। इससे बड़ा उपकार होगा। मैं जब कभी सभाओं में जाता हूं तो आम तौर से पूछता हूं कि तुम्हारे यहां इन्तख़ाब का क्या भाव है। वह लोग कहते हैं बड़ी खुशी से कहीं ५ रु० कहीं १० रु० और कहीं २५ रु० भी होता है। तो इंतख़ाब अगर वक़्त से और क़ायदे से नहीं मिलते हैं तो नतीजा यह होता है झगड़े बढ़ते हैं। पटवारी के कागजों में सारे झगड़े छिपे रहते हैं जिनको जानने का हक़ है और अब जब आखिरासियों वाले नोटिस बंद रहे हैं तो प्रत्येक गांव झगड़े का अखाड़ा बना हुआ है। उसमें फ़ैसला करने के लिये और सुचारु रूप से किसानों की व्यवस्था करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है।

तो मैं कहना चाहता हूं कि कागजात की दुरुस्ती करना सब से पहला कर्तव्य सरकार अपना समझे। पुराने जमाने में कमिश्नर जब दौरा करते थे तो घोड़े पर सवार होकर उनके लिये पड़ताल करना लाजिमी था। आज हमको ऐसा लगता है कि शायद ही कोई कलेक्टर अपने इस कर्तव्य का पालन करता है। अव्वलन तो कलेक्टर और कमिश्नर ने घोड़े पर चढ़ना बन्द कर दिया। वे ऐसी गाड़ियों में चलते हैं जो गाड़ियां अध्यक्ष महोदय, आसानी से इंटीरियर में नहीं जा सकतीं। अब उनको अपनी टांगों से ज्यादा मोहब्बत अपनी गाड़ियों से है। पैदल वह जा सकते हैं लेकिन गाड़ियां नहीं पहुंच सकतीं। फिर पड़ताल तो नहीं हो सकती। पड़ताल में ग़लती उन जगहों में होती है जो इंटीरियर में होती हैं। जो सड़क के किनारे होते हैं वहां गलती जल्दी नहीं होती है। सड़क पर मोटर आ सकती है और आज लोग यह समझने लगे हैं कि सड़क के किनारे गलती कम करो। लेकिन इसके अलावा गलती की जा सकती है। तो मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि अपने अफ़सरों को वह सख्ती के साथ हिदायत दे कि वह उन चीजों को देखें और सरकार एक बार समूचे सूबे में काग़जात को दुरुस्त करा देने की चेष्टा करे। पिछले मर्तबा ड्राइव हुआ था। अकेले सुल्तानपुर जिले में ३ लाख से अधिक गलतियां एक तहसील में मिलीं। बहेड़ी तहसील में करीब १ लाख गलतियां मिली थीं। अब अध्यक्ष महोदय, आप अन्दाजा करें कि जहां के अफसरों ने दिल लगा कर काम किया

वहां गलतियां पकड़ी गयीं। उनको दुरुस्त कर दिया गया। लेकिन अगर इस अनुपात में गलती हो तो आप बतायें कि यह झगड़े की जड़ किस तरह से हमारे कागज बने हुये हैं ?

तो इस गांव के झगड़े को दुरुस्त करने का जतन अगर न किया गया तो कोई भी खेती-बाड़ी वाला काम और कोई भी काम चाहे चकबन्दी का हो या दूसरा हो, सुलझ नहीं सकता। मैं इसी सिलसिले में चूंकि मालगुजारी विभाग भी हमारे सामने है, यह जरूर कहना चाहूंगा कि चकबन्दी की तरफ सरकार का विशेष ध्यान होना चाहिये। एक बड़ी भारी योजना थी लेकिन उस योजना में जहां कहीं भी काम शुरू हुआ है वहां मैं देखता यह हूं कि जिन लोगों की जमीन को हम इकट्ठा करते हैं, जिन लोगों के भले के लिये हम काम करते हैं उनमें अधिकांश लोग आज असन्तुष्ट हैं। हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया। हमको ऐसा लगता है कि चकबन्दी के अधिकारी जो हैं वह अपने अख्तियारात को बहुत एक्सीड करते हैं। सरकार ने नियम बनाने में जो गलती की हो वह तो सरकार की गलती है लेकिन सरकार ने जो नियम बना कर के दे भी रखे हैं चकबन्दी के अधिकारियों को उसका भी चकबन्दी के अधिकारी पालन नहीं करते और उसका परिणाम यह होता है कि झगड़े खड़े होते हैं और उन झगड़ों की वजह से परस्पर इतना विद्वेष है कि उसका कहीं पर रेफ्लेक्शन तो होगा। झगड़े हो रहे हैं, बलवों की तैयारी हो रही है। सैकड़ों के ऊपर १०७ और ११७ की कार्यवाही हो रही है। तो यह बहुत जरूरी काम है चकबन्दी करना लेकिन उसका जो दूसरा रूप हो रहा है वह खतरनाक है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह चेते और पिछले मर्तबे भी हमने कहा था। मुझसे कहा था रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कि तुम स्वयं देख कर के सलाह दो तो मैं चकबन्दी बन्द कर दूं। लेकिन मैं यह जानता हूं कि पिछले मर्तबे जब नैनीताल में डेवलपमेंट कमिश्नर्स का सेमिनार हुआ तो उसमें यह पहला प्रोग्राम रखा गया कि जो एन० ई० एस० ब्लाक खुलें, वहां चकबन्दी पहले हो जानी चाहिये। तो मेरी सलाह से वह चकबन्दी बन्द करने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर चकबन्दी का काम बन्द न हो तो उसमें यह मैं जरूर चाहता हूं कि जो चकबन्दी में आफिसर जायं वह गैरमामूली तरीके से ईमानदार हों। सेटिलमेंट का काम जब होता था तो उस समय कितना रुपया लोग किसानों से लटते थे इसका ज्ञान हमारे माननीय सदस्यों को सबको होगा। चकबन्दी में दोनों काम उनको मिले हुये हैं। एक तो जमीन के इन्दराज को समरी तरीके पर दुरुस्त करने का अख्तियार और दूसरा एक जमीन के बदले में दूसरी जमीन दे देने का अख्तियार, यह दोनों अख्तियार पाने के बाद भगवान हो जाता है चकबन्दी का हाकिम और अगर उसको बेईमानी सूझी तो किसानों को नरक में ढकेल देता है। मैं चाहूंगा कि अगर नियमों में परिवर्तन करने की भी जरूरत पड़े तो वह कर लिया जाय और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह मिनिस्टर साहबान को भी यह पावर दें कि वह भी कहीं-कहीं पड़ताल कर लिया करें तो क्या हर्ज है ? एग्जीक्यूटिव पावर तो उनके हाथ में पहले से ही है। अगर कलेक्टर और कमिश्नर तक पड़ताल कर सकते हैं तो मिनिस्टर साहबान भी कहीं-कहीं पड़ताल कर लिया करें तो बेहतर होगा। कहीं-कहीं हम पड़ताल जरूर कर लें। अगर वह पड़ताल करेंगे तो सारी उन गलतियों की जानकारी होगी और जानकारी होने के बाद शायद इतनी गलतियां जो होती हैं वह न हों। नहीं, एम० एल० ए० लोगों को यह अधिकार नहीं दिलाना चाहता हूं। और सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह माननीय लक्ष्मीरमण आचार्य को इस झगड़े से दूर ही रखे। अपोजीशन लीडर को तो बिलकुल नहीं अख्तियार मिलना चाहिए। उसके पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर तो है नहीं। मैंने साफ़ कहा कि एग्जीक्यूटिव पावर जिसके पास हो उस को यह अख्तियार दे दिया जाय। डिप्टी मिनिस्टर साहबान को मैंने उसमें से एक्सक्लूड कर रखा है। इसीलिये उधर से आवाजा कशी हो रही है, अभी कुछ दिन और सब्र रखें। कुछ दिन और इन्तजार करें।

जंगल बड़ी भारी सम्पत्ति है उसमें कुछ कंजरवेटर्स लोगों को विदेश में भेजने की योजना बनायी गयी है और इस जगह पर जहां पर कि पानी न हो वहां बन लगाने की शिक्षा उनको मिलेगी। बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बात निवेदन करना चाहता हूं। बन लगे, उस

[श्री मेंदा सिंह]

पर धन खर्च हो, लेकिन वन का मामला हमारी विधान सभा को भी ज्यादा नहीं मालूम हो पाता। कुछ ठेका हो गया है कि वन पहाड़ों तक सीमित हो गया है। वजह हम नहीं जानते। मैं तो यह सोचता हूं कि सारे देश में वन की जरूरत है और अगर सारे देश में वन की जरूरत है और मैं अपने राज्यपाल जी का बहुत शुक्रगुजार हूं इस मामले में--- उनके कई मामलों में तो मैं क्रिटिक हूं, इस मामले में तो शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने वन लगाने की तो प्रथा जारी की थी और उस तरफ लोगों का ध्यान लगाया तो यह बड़ा भारी काम किया, क्योंकि बाढ़ से रक्षा हो सकती है। वन तो मैदानी इलाकों में भी लगाये जा सकते हैं और क्या हम कर सकते हैं उसकी विधान सभा को कुछ विशेष जानकारी कराने की आवश्यकता है और दूसरे जिलों में भी जहां अब तक वन नहीं है और वन न होने से नदियां जो हमारे साथ बदतमीजी करती हैं उसका इलाज वन मंत्री सोचें। अगर इसका इलाज कुछ हो पाया तो वन विभाग बहुत कुछ पापुलर हो जायगा। जहां यह विभाग है वहां वह पापुलर नहीं है, वहां अनपापुलर है। किनारे के लोग उससे बहुत घबराते हैं, लेकिन अगर वन विभाग की सारी अच्छाइयों को हम जानें तो थोड़ी सी अगर उसमें बुराई है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम खुद ही वन में नहीं जाते हैं तो वन में विचरने वाले अपने मन से विचरते ही हैं, हम क्या कर सकते हैं? इसलिये मंत्री जी हमको भी वहां ले जाने की कोशिश करें ताकि हमें भी मालूम हो सके कि क्या हो रहा है और हम मंत्री जी को सलाह दे सकें और वह उससे लाभ उठा सकें।

सिंचाई विभाग हमारा जो है उसको अगर यह कहें कि इन्द्र हम उसको मानते हैं तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी, लेकिन सिंचाई विभाग से इतनी प्रार्थना जरूर करना चाहता हूं कि सिंचाई विभाग जरा रुपये को रुपया समझा करे। सिंचाई विभाग वाले नोट को कागज समझते हैं, यह मैं जरूर कहूंगा। असल में उनके यहां रुपये की इज्जत जरा कम हो गई है। हमारे गांव ऊंचे किये गये हैं, यह बड़ा उपकार किया। कुएं बनाये, यह उपकार किया। नल-कूप बनाये यह भी बड़ा उपकार किया, लेकिन दो तीन सुझाव दे देना चाहता हूं। अगर नहर बनायी जाय, नल-कूप की नालियां बनायी जायं तो जरा सिंचाई विभाग यह भी सोचे कि पानी जो गैरमामूली तरीके से रुक गया उसका रास्ता कहां होगा? पहले से इसकी भी योजना बना लें। गर्मी में पानी देंगे नहीं और बरसात में जब पानी बरसेगा तो पानी रोक देंगे। वाटर-लागिंग की बीमारी और बढ़ ही गयी है लेकिन इस वजह से भी और बढ़ रही है। कोई योजना होनी चाहिये।

मुझे बड़ी शिकायत है कि सिंचाई विभाग के इंजीनियर साहबान जब पानी बरसता है और पानी खुल जाने के बाद भी जब तक बाढ़ का प्रकोप रहता है तब तक अपने बंगलों को छोड़ते नहीं। बाढ़ सूख जाने के बाद जब उनकी खूबसूरत-खूबसूरत मोटरें जा सकती हैं तब भी उन्हीं सड़कों तक जाते हैं जहां उनकी मोटरों में ज्यादा कीचड़ न लगने पाये। तो इससे तो बाढ़ और सिंचाई की रक्षा नहीं हो सकती है। इससे तो बड़ा काम गड़बड़ होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा निजी अनुभव है, उसके आधार पर कहता हूं कि जब सिंचाई मंत्री जी चन्दौली में कमर कमर पानी पार कर रहे थे उसी दिन मैंने पता लगाया और मुझे मालूम हुआ कि सब इंजीनियर गोरखपुर में अपने घरों पर थे। पर मैंने पता लगा कर छोड़ दिया, मेरे कहने से थोड़े ही वे जा सकते थे? तो मैं ऐसा समझता हूं कि इनको आवश्यता से अधिक धन मिलता है, यह मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। इंजीनियरों को मैं यह नहीं कहता हूं कि सभी के सभी ईमानदारी से अपने को दूर रखते हैं। नहीं, बहुत अच्छे हैं जो नये इंजीनियर्स निकल रहे हैं, उनमें काफी लोगों की संख्या ऐसी है, जिनकी ईमानदारी पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन उन इंजीनियर्स, जिन्होंने अपनी तनख्वाह से चौगुनी, अठगुनी और दसगुनी रकम प्राप्त की है, उसकी जानकारी सरकार के गुप्त विभाग को न हो तो सरकार चल नहीं सकती है। मैं कहना चाहता हूं, लेकिन हमसे तो सबूत मांगे जायंगे, हम नाम दे सकते हैं लेकिन यदि हमसे कहा जाय कि सबूत दो तो मैं कहां से दूंगा? आखिर सरकार के पास पुलिस विभाग है, गुप्त विभाग है और एंटी करप्शन

विभाग है, यह सब क्या करते हैं। मैं उनके नाम बतला सकता हूं उनके बंगले देख लिये जायं, उनका लिविंग देख लिया जाय, रहन सहन देख लिया जाय, वह तनख्वाह तो ४००-५०० पाते हैं लेकिन दो हजार रुपया खर्च करते हैं, यह कहां से करते हैं ? मैं तो चाहता हूं कि हमारे यहां के लोग पांच हजार रुपया माहवार खर्च करें। लेकिन जब लोग भूखों मरते हों तो उनको इतना रुपया खर्च करने का क्या हक है ? मैं कहना चाहता हूं कि उन इंजीनियर्स के सम्बन्ध में बहुत ही गहराई के साथ खोजबीन होनी चाहिये। जितना रुपया नलकूप बनाने तथा बांध वगैरा बनाने में खर्च हुआ है उसकी तफसील मुझसे पूछी जायगी तो मैं बतला दूंगा। लेकिन इस समय मैं विधान सभा का बहुमूल्य समय लेना नहीं चाहता हूं। मैंने इस ओर संकेत कर दिया ह और यह प्रश्न बड़े महत्व का है। हमारे यहां कंस्ट्रक्शन का काम अरबों रुपये का होना है। अगर इसी प्रकार से रुपये का अपव्यय हुआ तो फिर प्लानिंग की तरफ से लोगों का विश्वास हट जायगा और फिर सरकार को स्माल सेविंग में एक पैसा भी नहीं मिल सकता है। जबर्दस्ती सरकार भले ही जो चाहे ले ले लेकिन स्वेच्छा-पूर्वक सरकार को धन नहीं मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय, कुछ घोड़े खरीदे जायंगे और नाली देखने का काम घोड़े पर चढ़ कर करेंगे। मुझे खुशी है कि घोड़े पर चढ़ कर नाली देखने का काम होगा। लेकिन इतना मैं जरूर चाहता हूं कि उनके दिमाग घोड़े पर न हो जायं और उनके दिमाग जमीन पर रहने चाहिये, किसानों के साथ रहने चाहिये। पहले घोड़े बड़े आफिसरों को दिये गये थे। अब छोटे अफसरों को दिये जा रहे हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। चाहे वह हवाई जहाज पर चलें लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाय कि ऐसे काम हों, जिससे किसानों की भलाई हो।

एक रकम के बारे में मुझे शिकायत है। यह सामान्य प्रशासन के बारे में मांग की जा रही है। १९ हजार रुपये की मांग राज्यपाल के यहां मेहमान आये उसमें मनोरंजन के लिये लोगों ने भत्ता लिया, इसमें मांगी गई है। यह उन्हें देनी पड़ेगी जो सात हजार से अधिक की मनोरंजन की बात देखेंगे। यह काफी बड़ी रकम है, जब कि इस मुल्क में लाखों आदमी फाकाकशी करते हैं, तो यह उपहास है, नहीं मांगनी चाहिए। यह मामूली बात है, १९५५ में यह रकम दी गई थी और वह माननीय राज्यपाल के वेतन के साथ चली गई। जब यह १९५५ में माननीय राज्यपाल के वेतन के साथ चली गई तो यह मूल बजट में क्यों नहीं आई, मूल बजट में यह पास हो सकती थी तो यह मामूली सी इर्रेग्यूलेरिटी है, लेकिन यह स्टेट के हेड के ऊपर है। इसलिये दूसरे लोग यह सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी जगह पर ऐसी चीज हो सकती है तो फिर हम क्यों न करें। इसलिये मैं सरकार का ध्यान इधर जरूर खींचना चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और ऐसे मामलों में सतर्क रहे। मुझे खुशी होती अगर शिक्षा पर खर्च और किया गया होता। मुझे खुशी होती यदि शिक्षा पर प्रारम्भिक पाठशालाओं तक तो पूरी फीस माफ करने की घोषणा हो जाती। मैं अब भी अपेक्षा करूंगा कि उसको फ्री होना चाहिये। मैं तो फीस माफ करने की बात आगे भी सोचता हूं लेकिन सरकार की कठिनाइयों को सरकार की जबान में सुनकर इतना ही कहता हूं कि हो जाय। जुलाई से हो, ठीक है। लेकिन मैं तो समझता हूं कि इसी समय यह एलान कर दिया जाय कि प्रारम्भिक पाठशालाओं की पूरी फीस माफ कर दी गयी तो यह खुशी की बात होगी।

शिक्षा विभाग ने जो मांग की है उस सम्बन्ध में स्मृति-पत्र को जब हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि हमारी दरख्वास्तें ठीक समय से नहीं पहुंच सकीं इसलिए केन्द्र से रुपया नहीं मिल सका। यह बड़ी शिकायत की बात है। कम से कम इस मामले में शिक्षा विभाग को सतर्क रहना चाहिए। पहले भी यह शिकायत मिल चुकी है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो। शिक्षा विभाग अपनी कन्जूसी का बोझ केन्द्र के ऊपर भी डालता है। कागज तैयार करके ठीक समय से वहां नहीं भेजता है जिसके कारण जितना रुपया हमें

[श्री गेंदा सिंह]

मिलना चाहिये वह नहीं मिलता। दरख्वास्तें ठीक समय पर क्यों नहीं आ सकीं, इसको शिक्षा विभाग अपने ऊपर कुछ जिम्मेदारी समझता है या नहीं वह जरा सदन को बताये।

अध्यक्ष महोदय, चिकित्सा पर धन जितना खर्च हो बुरा नहीं है। असल में हम प्रिवेन्टिव मेजर वाले हैं, क्यूरेटिव मेजर में विश्वास ज्यादा नहीं करते हैं। बीमारी होने ही न पाये यह ज्यादा अच्छा है। मैं ही नहीं इस विचार का हूं, मैं विश्वास करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी इसी विचार के हैं क्योंकि वे भी जल्दी बीमार नहीं पड़ते। एक बीमारी ने न मालूम उनको कैसे पकड़ लिया है। वह उनको कभी-कभी तंग करती है।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—वही तो बड़ी बीमारी है।

श्री गेंदासिंह—वह शायद काशी में रहने की वजह से है। अगर कहीं दूसरी जगह आप लोग रहिये तो दोनों ठीक हो जायंगे।

चिकित्सा विभाग जिन मिनिस्टर के पास है उनको भी चिकित्सा की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि यह ठीक ही है कि लखनऊ के इर्द-गिर्द चिकित्सा का माकूल प्रबन्ध रहे, लेकिन मैं उनकी दृष्टि लाखों, करोड़ों गांव वालों की तरफ ले जाना चाहता हूं और शायद वे अगले १०, १५ वर्षों में वहां कुनीन देने की व्यवस्था नहीं कर पायेंगे जो मलेरिया से परेशान हैं। चाहे उनका मेडिकल डायरेक्टोरेट बीमारी का नाम बदल कर गैस्टो इंटाइटिस कहे या कुछ और लेकिन उनको तकलीफ उतनी ही होगी, दोनों में मृत्यु एक ही तरह से होती है। तो मैं समझता हूं कि उन लोगों की मदद करने की वे चेष्टा करें।

कुछ अस्पताल ऐसे हैं कि जिनमें यह हालत है कि डाक्टर तो हैं लेकिन दवा नहीं है और अगर दवा है तो डाक्टर नहीं हैं।

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—और अगर दोनों हैं, तो मरीज नहीं हैं।

श्री गेंदासिंह—भगवान करे, अगर ऐसा हो तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। मैं तो कहूंगा कि ऐसी जगह हम तीनों, मैं, कृषि मंत्री और उद्योग मंत्री अपने मर्ज की परीक्षा करायें क्योंकि वहां डाक्टर फुर्सत से होगा। तो ऐसे अस्पताल अगर हों तो चिन्ता की बात नहीं है बहुत अच्छी बात है लेकिन ऐसे अस्पताल नहीं हैं। मैं इस वक्त ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो महामारी फैलने वाली है इस बाढ़ की मुसीबत से उसको रोकने की चेष्टा करें। उसको मैं अन्न मंत्री जी से बाद को कहूंगा लेकिन इस समय इस सिलसिले में इतना कहूंगा कि दवा ही न करने की जरूरत पड़े इस बात की आवश्यकता है।

कृषि के सम्बन्ध में मैं जरूर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि उन्होंने जो राज्य कृषि महाविद्यालय, कानपुर को रुपया देने का विचार किया है वह बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि कृषि विभाग और अन्न विभाग दोनों आपस में सलाह कर के क्यों नहीं कोई बात करते। कृषि-विभाग जो कहता है उसको सिविल सप्लाईज या प्लानिंग विभाग दबा देता है और वह दबा कर ऐसी बात कहता है जिससे धोका होता है। अब मैं इस वक्त पूछना चाहता हूं दोनों साहबान बैठे हुए हैं कि पिछले वर्ष जो आपका अन्न उत्पादन इस हद तक बढ़ गया था वह क्या इस वक्त कम हो गया। अध्यक्ष महोदय, जरा इस बात पर गौर किया जाय। अन्न मंत्री जी ने आज से ६ महीने पहले इसी जगह पर खड़े होकर कहा कि हमारे प्रदेश में इतना अन्न पैदा हो गया है कि न सिर्फ हम अपने यहां की जरूरत को पूरा करेंगे बल्कि जो नेबरिंग स्टेट्स हैं उनकी मदद करने लायक भी होंगे। यह उन्होंने कहा था अगस्त के महीने में शायद, रबी की फसल आ जाती है अप्रैल के महीने में और उसके अनुभव पर ही उन्होंने कहा था और खरीफ की फसल अभी कटने को पड़ी है, लेकिन इसी बीच में अब यह कहा जा रहा है कि सारे सूबे का एक बड़ा भारी हिस्सा

ऐसा है जहां बड़ी भारी अनाज की कमी है। अब यह अनाज बह तो गया नहीं बाढ़ में, खरीफ की फसल कटी नहीं तो अब वह रबी की फसल कहां गई और किस वजह से आज इतनी तेज कीमत अनाजों की चढ़ी हुई है। सरकारी राज्य व्यापार योजना के द्वारा यह कहा और वित्त विभाग ने कहा कि हमको ज्ञान नहीं था। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि वे जरा इस बात को देख लें। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि पिछले वर्ष के बजट का तखमीना तैयार करते समय इस बात का पूरा अनुमान नहीं किया जा सका कि गत वर्ष फसलों पर क्षति पहुंचने के कारण खाद्यान्नों के भाव अधिक बढ़ जायेंगे। यह पेज ७७ पर है। अब यह वित्त विभाग कुछ और कहता है और अन्न विभाग कुछ और कहता है और कृषि विभाग कुछ और कहता है। तीनों को कम से कम ऐसी बातें कहनी चाहिये जो कम से कम लोगों को धोके में न डालें।

अब अनाज का जहां तक सम्बन्ध है अनाज खरीदा नहीं गया था और उस न खरीदने का कुपरिणाम क्या हुआ है? लाखों आदमी आज फाकाकशी कर रहे हैं। उस पर मैं इस वक्त चर्चा नहीं कर रहा हूं क्योंकि ११ को उस पर बाढ़ के सिलसिले में बहस होने वाली है इसलिए मैं उस पर वक्त खराब नहीं करूंगा लेकिन लाखों आदमी तश्र ज फाकाकशी कर रहे हैं। वह किसका दोष है। अगर हमने यह समझ लिया होनाकि अनाज की जरूरत पड़ेगी, हमने अपनी आवश्यकता को पहले से महसूस किया होता, जातकारी करने की कोशिश की होती और अपने स्टैटिस्टिक्स को ठीक से तैयार किया होता तो आज उन गरीब लोगों को जो खाना नहीं मिल रहा है उनको खाना दे सकते थे। कुछ गेहूं हमने केबाल टाउन्स में भेजा जरूर लेकिन जब कोर्स ग्रेन्स की मांग होती है तो कहा जाता है कि न गवर्नमेंट आफ इंडिया के पास है और न यू० पी० गवर्नमेंट के पास है। कोर्स ग्रेन्स जो पश्चिम वाले सरप्लस जिले हैं वहां से खरीदकर रख लिया गया होता तो आज यह बात न होती। जिस तरह से पिछले वर्ष १० रुपये मन में गेहूं खरीद कर १५ और १६ रुपये मन में बेचकर हमने कुछ मुनाफा किया था वह मुनाफा गुप्ता जी की जेब में तो गया नहीं था हमें मुनाफा हुआ था। तो अगर हमने उस वक्त १०, ५ करोड़ मन अनाज खरीद लिया होता तो उनको आज फाकाकशी नहीं करनी पड़ती और खास-तौर से मैं कहना चाहता हूं कि कृषि विभाग अपना स्टैटिस्टिक्स तैयार करते समय इस बात को न भूले कि उसके स्टैटिस्टिक्स के आधार पर हमारी सारी प्लानिंग की बुनियाद खड़ी होती है। अगर उस बुनियाद की नींव हिल जाती है, उसकी नींव गलत हो जाती है तो आगे कब तक हम उस बुनियाद पर चल सकेंगे, यह सन्देह की बात है।

अध्यक्ष महोदय, कुछ पैसा हमसे उद्योग के सिलसिले में भी मांगा गया है। मैं हैंडीक्रैफ्ट की तरफ माननीय मुख्य मंत्री जी का और माननीय उद्योग मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह बड़े अफसोस की बात है कि यह हैंडीक्रैफ्ट जो है उसको हम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। मैं दो, तीन बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाऊं। इसमें खरीदारी करने की कोई व्यवस्था नहीं है। एक आदमी की इच्छा पर है कि वह जिस भाव पर और जितना चाहे कोई चीज खरीद ले। पहले एक समिति बैठी थी उसने कहा था कि कोई एक समिति चीजें खरीद करने की मुकर्रर कर दी जाय, लेकिन मैं नहीं जानता कि उसकी रिपोर्ट कहां है और वह समिति क्यों नहीं बनी। जो आदमी वहां नियुक्त है उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं, उसकी शिकायतें हैं और मैं चाहता हूं कि उसके लिये कोई कदम उठाया जाय। पब्लिक एकाउन्ट्स कमेटी ने इस बात की तरफ ध्यान दिलाया है। उसने खुद जाकर दूकानों को देखा। मैं माननीय उद्योग मंत्र जी और मुख्य मंत्री जी से भी कहूंगा कि अगर उनको फुरसत मिल सके तो आधे घंटे के लिये वह जायं और उनको देख लें। कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिनको वह सामने नहीं रखते, परदे में रखते हैं, उनको देख और उसके बाद अपनी राय उस पर कामय करें कि इस हैंडीक्रैफ्ट की तरक्की की जा रही है या उसकी बर्बादी की जा रही है।

[श्री गेंदा सिंह]

एक साहब इसमें से विदेश गये माल बेंचने के परमिट लेने के लिये या कुछ इसमें बढ़ाने के लिये, उसके लिये भी इसमें धन मांगा गया है। मैं यह जानना चाहूंगा कि जब से वह गये हैं तब से लेकर अब तक कितने माल की मांग आई है, बाहर से। मुझे यह सुनने को मिला है, मैं प्रमाणित रूप से नहीं कह सकता, कि जबसे वह गये हैं तब से जो आर्डर पहले आते थे वह नहीं आते और इसके पीछे क्या बात है उसकी जानकारी की जानी चाहिये। आखिर मामला क्या है इसका तो पता चले। उद्योग के सम्बन्ध में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो ४० लाख रुपया कोआपरेटिव फैक्ट्री के लिये मांगा जा रहा है वह तो ठीक है, दिया जा रहा है लेकिन इसके पहले जो कर्जा दिया जा चुका है उस पर भी तो सरकार रोशनी डाले कि उसका उपयोग हुआ है या नहीं। उसका क्या हो रहा है, इसका हमको पता होना चाहिये। मैं अधिक न कह कर इस सम्बन्ध में इतना जरूर जानना चाहूंगा कि उस रुपये का उपयोग हुआ है या नहीं। और अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? फिर उसके बाद ४० लाख मांगे या ५० लाख या करोड़ रुपया मांगा जाय, सरकार को अख्तियार है कि वह रुपया बांटे। सवाल इस बात का है कि सरकार विधान सभा को विश्वास में ले ले और अगर वह सभा को विश्वास में नहीं लेती है तो सरकार को समर्थन तो मिल जाता है लेकिन एक मजबूरी में। मजबूरियां हैं और उसके लिये शिकायतें भी हैं लोगों को, मुझको भी हैं और दूसरों को भी है, उनको मजबूरी की वजह से न कहें तो बात सही है। मैं चाहूंगा कि उद्योग विभाग इस मामले में सफाई दे। मुझे खुशी है कि मेरठ गांधी आश्रम को जो दो लाख रुपया कर्ज दिया गया था उसको छोड़ देने का सरकार ने आश्वासन दिया है। मैं नहीं समझता कि उसने ज्यादा मांगने की कोशिश की थी या नहीं। मैं इस मौके पर यह जरूर कहना चाहूंगा कि मेरठ गांधी आश्रम जैसी सेवा करने वाली संस्था को अगर यह सरकार कुछ लाख रुपया और दे सके तो ज्यादा अच्छी बात होगी। इससे आपको लोगों का विश्वास प्राप्त होगा....

श्री अध्यक्ष---अब आप अपना भाषण बाद में जारी रखें।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री गेंदा सिंह---उपाध्यक्ष महोदय, मैं, लखनऊ में जो दूकान हैंडीक्राफ्ट की है और जिसका उद्योग विभाग से सम्बन्ध है, उस पर बात कर रहा था। मैं यह जरूर चाहूंगा कि उस हैंडीक्राफ्ट की दूकान के मुताल्लिक हैंडीक्राफ्ट का जो कुछ भी काम है उन सारे कामों की जांच माकूल तरीके पर की जाय और जांच करके उसकी खरीदारी किस तरह से इधर ४, ५ वर्षों में हुई है और उसकी बिक्री का क्या बन्दोबस्त किया गया है और इसमें जो छोटे-छोटे कर्मचारी काम करते हैं उनके लिये जो सुविधा सरकार चाहती थी वह सुविधा उनको दी गयी है या नहीं इन सब बातों पर विचार करने के लिये प्रबन्ध किया जाय और जो कोई भी हैंडीक्राफ्ट की दूकान को बिगाड़ने का जिम्मेदार समझा जाय उसको सजा दी जाय। मैं समझता हूं इससे काटेज इंडस्ट्री की नेकनामी होगी। इस तरह से जो माल बिकने के लिये आयेगा अगर वह बिक सकेगा तो देहात के लोगों को मौका मिलेगा कि वे अधिक से अधिक माल तैयार करके इन दूकानों पर अपनी बिक्री का बन्दोबस्त कर सकें।

दो एक बातों की तरफ मैं इस मौके पर जिक्र कर देना चाहता हूं जिनकी हमारी इस सप्लीमेन्टरी ग्रान्ट में मांग की गयी है। इसमें सूचना विभाग के लिये काफी रकम मांगी गयी है। इस विभाग के सम्बन्ध में इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इसकी नियुक्ति और प्रमोशन का जो विषय है वह पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जरूर जाना चाहिये। वहां पर न जाने के कारण यह होता है कि कुछ खास लोगों को मौका मिल जाता है। लोग

ऐसा समझते हैं कि यह सूचना विभाग किसी विशेष अधिकारी की सम्पत्ति है या किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति है। यह भावना देश के लोगों की है जो कि बहुत खतरनाक है। मैं सूचना विभाग से यह कहना चाहता हूं कि सूचना विभाग को केवल उन बातों को ही सोचने की आवश्यकता नहीं है जिनसे देश के किसी एक दल की प्रतिष्ठा बढ़े बल्कि इस बात की भी उनके लिये आवश्यकता है कि और लोगों की भी जानकारी उनके जरिये से बढ़े और उपयोगी जानकारी लोगों की बढ़े जिससे देश का कल्याण हो और जो पार्टी पावर में है उसका भी कल्याण हो। कोलदार की रिपोर्ट जिसको इस वक्त हिन्दुस्तान में हर फाइनेंशियल दिक्कतों के सम्बन्ध में पढ़ने की जरूरत पड़ती है उस सूचना विभाग को उस रिपोर्ट के सम्बन्ध में जानकारी है या नहीं यह पता नहीं है। मैंने सुना है कि अथोरिटेटिव रिपोर्ट फाइनेन्स के मामले में उससे अच्छी और नहीं है। मैं इसको प्राप्त करने की कोशिश की लेकिन मुझको प्राप्त नहीं हुई है। ऐसी चीजें अगर मिल जायं तो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। सूचना विभाग इसका प्रबन्ध कर सकता है और उसको इस प्रकार की उचित चेष्टा करनी चाहिये।

इसके साथ ही एक बात मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सूचना विभाग के जो नौकर हैं उनको सरकार को प्रसन्न करने की आवश्यकता तो है ही, तो उस विभाग को ऐसा बनना चाहिये कि अगर मान लीजिये कि दूसरी सरकार कल को हो जाय तो सूचना विभाग को दोषी न माना जाय, चाहे हम वहां बैठें या परिपूर्णानन्द जी बैठें।

पंचायतों के लिये भी निकायों के सम्बन्ध में कुछ पैसा मांगा गया है। हमको ऐसा लगता है कि स्थानीय निकायों के बारे में अनुचित दबाव का पड़ना बहुत ज्यादा तक़लीफ पैदा करता है और उससे वे मजबूर होकर ऊंची अदालतों में जाते हैं और वहां अपनी रक्षा कराते हैं। मैं सोचता हूं कि यदि नाजायज दबाव इन स्थानीय निकायों पर न डाला जाय तो इस तरह की मुकदमेबाजी नहीं बढ़ेगी। परिपूर्णानन्द जी हमारे सामने बैठे हैं, मैं उनको ध्यान दिलाऊं कि न्याय पंचों की नामजदगी के बाद कौन सा जिला ऐसा है जहां से हाई कोर्ट में मुकदमा दायर नहीं हुआ। बहुत हम लोगों ने यहां सरकार को समझाया कि मत ऐसा कानून बनाइये। हमने बहुत कहा कि असेम्बली के मेम्बरों को छोड़ दीजिये कि वह पंचों की नामजदगी करें। लेकिन सरकार नहीं मानी। नतीजा यह हुआ कि बहुत ही असन्तोष है। अगर हमने इस काम को गांव सभा के ऊपर छोड़ दिया होता तो वे बेचारे, मैं भी उन बेचारों में से हूं, विधान सभा के सदस्य उस दोष या बीमारी से बच जाते। लेकिन सरकार नहीं मानी और बहुत सी जगह पंचायतें नहीं बन पावेंगी क्योंकि मुकदमे चल रहे हैं।

तो मैं कहना चाहता हूं कि स्थानीय निकायों के ऊपर जबरदस्त हाथ रखने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। कबाल शहरों के कारपोरेशनों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का चुनाव न कराके सरकार ने अच्छी ख्याति प्राप्त नहीं की है ४, ५ वर्षों के शासनकाल में। सम्भव है २, ४ महीने में हम और वह बदलें लेकिन मैं उनसे कहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अपने अध्यापकों की बात नहीं सुनते हैं और उनका भी सरकार चुनाव नहीं कराती है। मैं तो चाहता था कि अगर नये बोर्ड बनते तो वे धन की व्यवस्था करते और सरकार से चेष्टा करते कि उनके शिक्षकों के असन्तोष को दूर किया जाय, मैं तो बहुत ही पक्की राय का हूं कि जब तक प्रारम्भिक शिक्षक का रहन-सहन ऊंचा नहीं उठता है, तब तक हमारी आगे आने वाली औलाद, जो देश को चलाने वाली है, वह ठीक नहीं हो सकती। मैं बहुत ही जोर के साथ वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस बात पर वह सोचें। हमारे खयाल से तो यही आखिरी सप्लीमेंटरी बजट है। तो मेरी प्रार्थना यह है कि इन शिक्षकों को कम से कम इस हैसियत पर ले आया जाय कि वह बच्चों की तालीम देने में योग्य सिद्ध हो सकें और इस कदर संतुष्ट रहें जिससे अगली पीढ़ी बन सके।

[श्री गेंदासिंह]

मैं आखिर में नियोजन के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। माननीय नियोजन मंत्री इस समय यहां नहीं हैं फिर भी मेरी यह प्रार्थना है कि नियोजन में कम से कम पार्टीबाजी का ध्यान नहीं रखना चाहिये। पार्टीबाजी शब्द बड़ा हल्का सा मालूम पड़ता है। लेकिन मुझे ताज्जुब है कि एन० ई० एस० ब्लाक्स के जो सेंटर्स खोले गये हैं उनमें इस बात का ध्यान रक्खा गया है कि विरोधी दल के किसी सदस्य के यहां ऐसे ब्लाक्स न खुल जायं। दूसरे अक्टूबर को एन० ई० एस० ब्लाक्स नहीं खोले गये या नहीं खोले जाने वाले हैं लेकिन जहां तक मेरी सूचना है वह यही है जो मैं कह रहा हूं। मुझे खुशी होगी अगर ऐसा विचार न रक्खा गया हो। इसके अतिरिक्त जो नियुक्तियां और प्रमोशन हो रहे हैं वे संतोषजनक ढंग से नहीं हो रहे हैं। पी० एस० सी० के द्वारा बहुत सी जगहों को कराया जा सकता है लेकिन उन्हें वहां नहीं जाने दिया गया। तो इस बात को सोचने की जरूरत है कि हम ज्यादा अधिकार छीनने की कोशिश न करें। इंगलैण्ड में पार्लियामेंट जो कुछ करती है, वह करती है लेकिन कमेटियों की शक्ल में कुछ इस तरह के इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं जिनके जरिये से शासन होता है। क्या हमारे यहां जो स्टैंडिंग कमेटीज बनी हुई हैं आप कोई बोझ देने को तैयार हैं? लेकिन उनकी आपको कोई परवाह ही नहीं है। पी० ए० सी० की बात तो मैं यहां नहीं कह पाऊंगा, वहीं कहूंगा।

निर्वाचन के सिलसिले में भी कुछ पैसा मांगा गया है। मैं एक बात कहता हूं जो बहुत ही गूढ़ बात है लेकिन सत्य है। अगर हमारे मंत्री महोदय निर्वाचन को पवित्र बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हम चाहते हैं कि निर्वाचन पवित्र हो लेकिन पवित्र तभी हो सकता है कि जनता द्वारा जो यहां चुन कर बैठाये गये हैं और जिनके ऊपर शासन का भार है, वह पवित्र बनाने की कोशिश करें, अगर वे नहीं चाहें तो नहीं हो सकता। ८-१० दिन हुए बलिया में एक जिम्मेदार डिप्टी मिनिस्टर साहब गये। वहां उन्होंने अछूतों की एक सभा की उनके ऊपर असर डाला और कहा कि उस इलाके में जो कुंए नहीं बने, और दूसरे काम नहीं हुए वह इसलिये नहीं हुए कि वे कांग्रेस के पास नहीं गये। दूसरे यह कि तुम्हारे मेम्बर नालायक थे। मुझे यह रिपोर्ट मिली है। मैं कहता हूं कि अगर यह तरीका है तो चुनाव पवित्र नहीं हो सकता। आप सरकारी खर्चे से जाते हैं, अगर आप कांग्रेस के घोड़े पर गये होते तो मुझे कोई शिकायत न होती, लेकिन आप जाते सरकारी खर्चे पर हैं और कहते यह हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सरकार को इस बात की चिन्ता करनी चाहिये कि सरकार का इतना ही काम नहीं कि वह यहां बैठी हुई है, यह सरकार आगे की पीढ़ी को ऐसी बना सकती है जिससे प्रदेश का कल्याण हो सके। इस बात का ध्यान रखना चाहिये, लेकिन इसका ध्यान नहीं रक्खा जाता।

अनुसूचित जातियों के लिये इसमें कुछ धन मांगा गया है। हम चाहते हैं कि हमारे देश में अनुसूचित जाति का जो नाम है वह न रह जाय बल्कि वे हमारी श्रेणी के ऊपर हों, हमारी जो श्रेणी है उसके बराबर हों इससे कतई कोई इन्कार नहीं कर सकता है।

श्री शिवनारायण—सिर्फ जबानी।

श्री गेंदा सिंह—श्रीमन्, शिवनारायण जी का जवाब देना मैं अपनी सामर्थ्य के बाहर समझता हूं। हम अपना दिल चीर कर नहीं दिखला सकते लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे जरा हमारे साथ वोट करें किसी जमीन के बटवारे के प्रश्न पर, हमारे साथ वोट करें नेशनलाइजेशन आफ इंडस्ट्रीज के प्रश्न पर, जिस वक्त हम कहते हैं कि १०० रु० से कम और १००० रु० से अधिक आदमनी किसी की नहीं होनी चाहिये उस वक्त हमारे साथ बैठने वालों से शिवनारायण जी कहते हैं कि अपना दिल चीर कर दिखलाओ लेकिन जिस वक्त भी ऐसा प्रश्न आया है किसी जमीन के बटवारे का या खेतीहर मजदूरों की मजदूरी तय करने

का उस वक्त बराबर उधर वालों के साथ खड़े होकर उन्होंने हमारा विरोध किया है। जिस वक्त हमने नेशनलाइजेशन आफ इंडस्ट्रीज की बात उठायी, जिस वक्त भी भूमिहीनों को जमीन देने की बात हमने उठायी उस समय हमेशा उन्होंने हमारा विरोध किया है। तो मैं उनसे सिर्फ यह दरख्वास्त कर सकता हूं कि वे मेहरबानी करके अपनी करनी जो कुछ पहले उन्होंने की है उसको ध्यान में रख कर तब कोई छीटाकशी करें। छीटाकशी करना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं इतना निवेदन और कर दूं कि हमारी जिम्मेदारी ज्यादा नहीं है। हमको तो यह कहा जाता है कि तुम तो अगले २० वर्षों तक यहां बैठने वाले नहीं हो। तो फिर हमारी जिम्मेदारी क्या है? देश को हरा भरा करने, देश को पवित्र करने और सुखी करने का ठेका जब आप के दल ने ले लिया है और जब वे यह कहते हैं कि अगले दस बीस वर्षों तक तुम्हारे हाथ में कोई ताकत आने वाली नहीं है तो आपका यह कर्त्तव्य हो जाता है कि आप समाज को सुखी बनाने की चेष्टा करें। अगर आने वाले दस बीस वर्षों में आप बेकारी दूर कर पाये, अगर आने वाले दस वर्षों में आप लोगों को रोटी नहीं दे पाये तो आपको कोई हक नहीं है वहां बैठने का और अगर आप जिस तरह की आज बात करते हैं उसी तरह से बात करते रहे तो आप ऐसा न समझें, कि हिन्दुस्तान की जनता जिसकी आंखों में आप धूल झोंकना चाहते हैं बहुत समय तक उसकी आंखों में धूल झोंक सकेंगे। अगर आप जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करेंगे तो वह आपको उस स्थान से उठा कर फेंके बिना बाकी न रहेगी। चाहे कानपुर के इंडस्ट्रियलिस्ट्स आपको करोड़ों रुपये दें, चाहे बिड़ला करोड़ों रुपये दें, चाहे टाटा करोड़ों रुपये खर्च करें लेकिन हिन्दुस्तान का बहुमत जनमत करोड़ों रुपये से विचलित होने वाला नहीं है। चूंकि शिवनारायण जी ने बीच में टोक दिया इसलिये उनका जवाब देने के लिये मैं मजबूर था।

इस बजट में आपने निर्वाचन को पवित्र करने के लिये थोड़ा सा पैसा रखा है। तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि इसको पवित्र करने से ही देश का कल्याण होगा और हम सबका कल्याण होगा। इस प्रकार की चीजें, कम से कम नियोजन और निर्वाचन को नानपार्टी बेसिस पर सोचने की कोशिश करेंगे तभी देश का कल्याण होगा। अगर हर बात को पार्टी बेसिस पर सोचेंगे तो किसी का भी कल्याण नहीं होगा।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि समय बहुत कम है, और आज ही इस डिस्कशन को खतम होना है इसलिये आप बोलने वालों के लिये समय निश्चित कर दें तो अच्छा होगा और इस तरह से ज्यादा सदस्य बोल सकेंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि हर सदस्य को १० मिनट तक समय दिया जा सकता है।

श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)—श्रीमन्, १० मिनट बहुत कम है। इससे तो अच्छा है कि थोड़े ही लोग जो बोलने वाले हैं वे ही बोलें ताकि वे अपना विचार अच्छी तरह से प्रकट कर सकें। मैं संशोधन रखता हूं कि १५ मिनट का समय हर सदस्य को दिया जाय।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—मेरी प्रार्थना है कि १० मिनट से १५ मिनट का समय रखना बहुत अच्छा होगा। जिसको आप चाहें उसको १० मिनट के बाद भी बोलने का मौका दे दें, यह आपके ऊपर रहेगा। ऐसे १० मिनट का ही समय रखें।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि जो ग्रुप नेता लोग हैं उनको १५ मिनट दिया जाय और बाकी जितने लोग हैं उनको १० मिनट दिया जाय तो मैं समझता हूं कि वह काफी होगा। दो-तीन आदमी और हैं, उसके बाद औरों को १० मिनट दे दीजियेगा।

श्री उपाध्यक्ष---श्री केशव गुप्त जी ! क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री केशवगुप्त (जिला मुजफ्फरनगर)---मेरी राय है कि १० मिनट ही दिया जाय। १० मिनट से अधिक न दिया जाय।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---श्रीमान्, जो दस मिनट वाला प्रस्ताव है उस पर वोटिंग करा ली जाय।

श्री उपाध्यक्ष---यह तो समझौते की बात है। जैसा कि कहा गया कि १० से १५ मिनट तक का अधिकार अध्यक्ष को रहेगा, वह किसी को दस मिनट से कम नहीं देंगे और वह चाहें तो किसी को १० मिनट से अधिक भी दे सकते हैं, १५ मिनट तक दे सकते हैं। मैं समझता हूं यही सदन की राय है।

श्री राजनारायण---आप ने तो फैसला दे दिया, मैं तो दूसरा सुझाव देना चाहता था। आप कांग्रेस पार्टी के सदस्यों पर प्रतिबन्ध लगा दें कि वह १५ मिनट ही बोलें और जैसा कि पहले भी होता रहा है कि आधा घंटे में ४५ मिनट तक लीडर आफ अपोजीशन के लिए रहता है वैसे पार्टी के लीडरों को दिया जाय और जैसा कि अर्भा गदन मोहन जी ने कहा १५ मिनट का समय बहुत कम होता है इसलिए कांग्रेस बेंचेज के लोगों के लिए कम कर दिया जाय और इस तरफ के लोगों को बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---समय बहुत कम है और सदन के बहुत से लोग बोलना चाहते हैं इसलिए अभी जो सदन ने मंशा जाहिर की है, जो राय अभी मान ली गई है वही ठीक है।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह---मान्यवर, आज तो मैं यह आशा करता था कि कम से कम ऐसे अवसर पर माननीय अवश्य ही इतना कष्ट सहन करने की कृपा करेंगे कि वह यहां विराज मान रहें और जो बात माननीय नेता और विरोधी दल या दूसरे सदस्य कहें उन को सुनने की कृपा करेंगे। अगर मैं यह समझूं कि माननीय परिपूर्णानन्द जी सामूहिक रूप से सबके प्रतिनिधित्व का भार ले लें तब भी मुझे विशेष आपत्ति न होगी लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम आशा करते थे कि ऐसे अवसर पर चाहे वे हमारी बात मानें या न मानें लेकिन कम से कम वह सुनने का कष्ट अवश्य करेंग। यह अनुभव तो हमें हो चुका है कि जो कुछ इधर से कहा जाता है उसको नामंजूर किया जाता है और बाद में कहा जाता है कि कोई सुझाव नहीं दिए गये लेकिन हमारे साथ यह मुसीबत है, यह कठिनाई है कि हम सुझाव दें तो किस को दें।

एक महत्वपूर्ण बात मुझे यह कहनी थी कि हम देखते हैं कि आज कल जब कि पुलिस के बारे में यह कहा जाय कि वह घूस लेती है या अत्याचार करती है तो साथ ही साथ यह कहना भी सत्य बात है, मैं यह नहीं कहता कि सब ही इस तरह के हैं लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि कहां-कहां कमी है। आज यहां माननीय सम्पूर्णानन्द जी अगर यहां होते तो मैं उन का ध्यान आकर्षित करता कि वह इस बात को सोचें और इस बात को देखने का वह भी यदि कष्ट करेंगे तो मालूम होगा कि आज के कुछ दिन पहले जिस थाने में दो या तीन सब-इंस्पेक्टर्स रहते थे उस जगह केवल एक है और जहां पर ला एन्ड आर्डर की बात कही जाती है कि पुलिस देखे। भ्रष्टाचार समिति के बारे में जो हमें यह दिग्दर्शन कराया गया और यह भरोसा दिलाया गया कि इससे आम जनता का लाभ होगा लेकिन मुझे कहना पड़ता है कि वह समिति असहाय है, जिलाधीश को उस स्थान से हटाने के बाद वह मृतक हो चुकी है। जिस प्रकार की कमेटी बनाई गई है वह बिल्कुल बेकार है और उसको किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया गया और जो कठिनाई है उस पर ध्यान नहीं दिया गया है और वह दिक्कत दूर नहीं हो सकती।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इस सप्लीमेंटरी के सम्बन्ध में मैंने यह भी देखा कि हर जगह सरकार ने हमसे रुपया मांगा है, कहीं सरकार मुकदमेबाजी में हार गई है या बहुत से जो फैसले हुए हैं, उनके अनुसार उस नुकसान या उस खर्चे को देने के लिये। मान्यवर, मुझे यह कहना है अगर यह सरकार थोड़ा सा समय दे कर यह सोचे और देखे कि उसका जो लीगल डिपार्टमेंट है वह क्या करता है। आखिर वैयक्तिक रूप से मुकदमेबाज की यह भावना हुआ करती है कि हमको लड़ना है परिणाम चाहे जो कुछ हो। लेकिन उसका इलाज भी मौजूद है। इस सदन में सदैव यह आवाज लगाई जाती है कि कानूनी मशविरे के कारण उनको यह मजबूरियां होती हैं। तो मैं आपके द्वारा सरकार से यह निवेदन करूंगा कि वह देखे कि जो कानूनी मशविरा उसको देते हैं वे ठीक ढंग से दें और इस तरह रुपया खर्च करने के लिये इस प्रदेश में रुपया अधिक नहीं है। इन भावनाओं का प्रदर्शन व्यक्तिगत मुकदमे बाजी में हो सकता है। जो लोग हारते हैं वे लड़ते हैं। उनको अदालत में जाना है। इससे उनको कोई रोक नहीं सकता।

इस सप्लीमेंटरी बजट में मैंने देखा कि जहां सूखा पड़ा है वहां हमने कुछ रुपया दिया है। माननीय माल मंत्री की अदम मौजूदगी में मैं रेवेन्यू हेड के बारे में कुछ अधिक कहना पसन्द नहीं करता लेकिन वास्तव में गैंदा सिंह से मैं सहमत हूं जहां पर खसरे की नकल का ताल्लुक है वह अपनी जगह पर है मैं तो यह समझता हूं कि जो उनके लेखपाल हैं वे इस बात को कहने के लिये और दिखाने के लिये तैयार नहीं हैं कि किस जिले में क्या क्षति हुई है। हर माननीय सदस्य इस भवन का यह भलीभांति समझ सकता है और जान सकता है कि जिले में जहां पर नुकसान १६ आने हुआ है उस जगह भी लेखपाल महोदय ने यह कृपा की है कि ४ आने नहीं तो ६ आने दिखाया है। मैं समझता हूं कि इससे सरकार को धोखा होता है। मैं सरकार की नीयत पर कोई हमला नहीं कर रहा हूं लेकिन जब उनकी मशीनरी खुद उनको धोखे में रखना चाहती है तो इस मशीनरी से कौन कैसे लाभ उठा सकेगा यह वह स्वयं सोचें। यही उन सूबों में जहां यह सिस्टम नहीं है उनको यह पता नहीं चल पाता है उनसे ऐसी गलतियां हो सकती हैं लेकिन जहां आपके लेखपाल हों जिसकी सराहना करते-करते हमारे मंत्री महोदय कभी थकते नहीं हैं उनके बारे में कहने की जरूरत है कि इन कानूनगो या तहसीलदार के द्वारा चीजें छिपाने से सरकार को कोई विशेष लाभ हो तो वे ऐसा करें लेकिन उससे कोई लाभ नहीं। वह चीज छिप नहीं सकती। मान्यवर, आज यही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे विभाग हैं जिनके लिये हमसे रुपया मांगा जाता है माननीय परिपूर्णानन्द जी यदि दुहाई देंगे कि हमारी सरकार प्रगतिशील है, हमने उत्तर प्रदेश में इतनी समुन्नति की है और उस उन्नति की शिखर पर पहुंचने की वे लालसा करते हैं जो कि वांछनीय है तो भी इन सब बातों के होते हुए मुझे यह कहना होता है खास कर पी० डब्ल्यू० डी० के बारे में यदि माननीय परिपूर्णानन्द जी उसमें घुसें तो वे देखेंगे कि वहां कितना अधिक भ्रष्टाचार है। यह दूसरी बात है कि मंत्रीगण यह कहेंगे कि जब कि यहां एंटीकरप्शन डिपार्टमेंट मौजूद है तो उनके यहां भ्रष्टाचार कैसे हो सकता है। पी० डब्ल्यू० डी० में भी एंटीकरप्शन डिपार्टमेंट है। तो जहां पर एंटीकरप्शन डिपार्टमेंट के रहते हुए भ्रष्टाचार है तो भगवान ही बचायें। वे उस डिपार्टमेंट का क्या लाभ उठा रहे हैं। जो समय मिलता है वह बहुत कम मिलता है। कम से कम इतना अवसर तो प्राप्त होना चाहिये कि हम उन बातों को कह सकें। १५ मिनट की अवधि मिलती है। कुछ कहने में, कुछ इंट्रप्शन में और कुछ आपका ध्यान आकर्षित करने में समय लग जाता है और इतना अवसर रहता नहीं कि हम कुछ अधिक कह सकें।

मान्यवर, मैंने पी० डब्ल्यू० डी० के बारे में कहने का प्रयत्न किया। थोड़ा सा जिक्र प्लानिंग का करना चाहता हूं। जहां पर ये सामुदायिक कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं उस क्षेत्र का मैं भी हूं और मैं आप को बता सकता हूं कि आज अगर सरकारी कर्मचारी उस जगह से हट जायं तो किसी को यह भी याद न रहेगा कि कभी यहां पर कम्युनिटी प्रोजेक्ट था। यह बात ऐसी नहीं है जो मैं विरोधी दल के नाते कह रहा हूं और उस पर माननीय सदस्य

[श्री अवधेश प्रताप सिंह]

गम्भीरतापूर्वक विचार न करें। सबको विदित है। उसके बाद जो नारमलाइज्ड ब्लाक्स बनाये जा रहे हैं, उसमें एक ब्लाक के लिए तीस हजार रुपया दिया जा रहा है। वहां तो वह २०, २२ लाख रुपया खर्च करते थे। उन कर्मचारियों के सामने जब तीस हजार रुपया है तो मैं नहीं समझता कि वह क्या कर सकेंगे। हमसे कहा जाता है कि बजट पास कर दो और यह सच है कि हम पास भी करते रहेंगे। लेकिन यह सरकार न भूले कि इस उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी भी अपनी नींव मजबूत कर रही है। हम सब यह समझते हैं कि उनकी मनोवृत्ति में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ है। परन्तु एक बात ऐसी है कि उन्होंने ट्वंटी-फुली हैंडलिंग को जरूर अपनाया है। यदि उन्होंने कभी देखा कि मंत्री मण्डल तक उनकी शिकायत किसी व्यक्ति द्वारा हो सकती है तो उनकी खातिर तवाजा हो जायगा। लेकिन यह चीज आज नहीं, मैं चाहे इस भवन में रहूं या न रहूं, आज के दस पन्द्रह साल उपरान्त भी समझ सकते हैं। इसमें दल बन्दी का कोई सवाल नहीं है। हर एक व्यक्ति इस बात को समझता है। उसके सामने कठिनाइयां हैं। वह जब जिले में जाता है तो जहां पर सब कठिनाइयां हैं वहां पर एक कठिनाई यह भी है कि कर्मचारी वर्ग से कैसे निपट पाये। मैं किसी एक जिले की बात नहीं कहता हूं। मैं अयोध्या के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। सहारनपुर के बारे में जरूर कहना चाहता था लेकिन आप की नाराजगी में कुछ न कहूंगा।

हम से सप्लीमेंटरी बजट में रुपया मांगा जाता है। आज एक दिन के लिए हम बिठाये गये, कल सब पारित हो जायगा। लेकिन यह भी सोचने की बात है सप्लीमेंटरी बजट भी अपनी जगह पर एक महत्व रखता है जिससे माननीय परिषदानन्द और हाफिज जी भी नहीं इनकार कर सकते। हमें यह भी शिकायत है कि आपने इसको पहले नहीं सोच लिया। और शिकायत यदि मैं करूं तो कुछ हद तक जायज भी होगी। बहुत सी ऐसी बातें सप्लीमेंटरी बजट में लायी जाती हैं जो कि अगर अनुभव से देखा जाय और उस विभाग के जो पुराने कर्मचारी हैं या हेड्स हैं उनको इस बात का परिज्ञान होना चाहिए कि इस तरह की चीजें भी बजट में आ सकें। उसको उसी जगह तक सीमित रखना चाहिए।

मान्यवर, कृषि मंत्री तो इस वक्त मौजूद नहीं हैं। कहा जाता है कि हम अन्न से परिपूर्ण हैं। किन्तु दुख के साथ मुझे यह कहना पड़ेगा कि अगर यही रफ्तार रही जिस तरह से इस प्रदेश में पिछली खरीफ और रबी और मौजूदा खरीफ बरबाद हो गयी तो मैं समझता हूं कि उनको जो दावा था उसके समझने में किसी को कठिनाई नहीं होगी। जो दावा किया जाता है कभी-कभी वह भ्रामक हो जाता है। हम आंकड़ों पर भरोसा करते हैं। वह आंकड़े वास्तविकता से परे रहते हैं। या कभी-कभी उन आंकड़ों पर भी भरोसा होता है जो कभी किसी रेडियो में आ जायं या उन आंकड़ों का भरोसा कर लेते हैं जो कभी किसी लीफलेट में मिल जायं। इस तरह से हम इस भवन में आ कर कहना शुरू करते हैं कि हम आँकड़ों का परिज्ञात रखते हुए उस बात को दावे से कह रहे हैं। परन्तु दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार आंकड़ों के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक सोचे। आज यह है कि विरोधी दल उन आंकड़ों का सामना न कर पाये, आज हम उसको स्वीकार भी कर लें, वह एक ऐसा हथियार है जो इनके ऊपर भी किसी दिन गिर सकता है।

मान्यवर, यह ठीक है कि समय कम है। मैं मा० गेंदा सिंह जी से केवल आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं उनको बड़ी शिकायत है कि न्याय पंचायतें जो बनी गईं इसमें यहां के सदस्यों का रहना उचित नहीं था। मगर क्या मैं यह जान सकता हूं कि उनको यह कटु अनुभव कैसे हो गया? एक तरफ जब यह कहा जाता है कि अभी बहुत सी जगहें न्याय पंचायतें कांस्टीट्यूट भी नहीं हुई हैं तो किसी माननीय सदस्य का इस भवन में यह कहना इस अवसर पर कि न्याय पंचायतों का ढांचा ठीक नहीं है, श्रीमन्, उनको एक मौका देना चाहिये। और जो बात उन्होंने आज कही यही बात एक साल के बाद कही जाय तो उसको

में स्वीकार कर सकता हूं। अन्यथा बिना उनका काम देखे हुए इस तरह कहना, इसका मतलब यह है कि आप उनको बाध्य कर रहे हैं कि वह अपने को स्वीकार कर लें कि बेईमान हैं। यह ठीक नहीं है। मुझे एलेक्शन के बारे में तस्किरा नहीं करना है। मैं तो केवल इस हद तक सीमित रहना चाहता हूं कि जो रुपया हमसे मांगा जा रहा है उसका यूटिलाइजेशन किस प्रकार हो रहा है।

मेडिकल और हेल्थ के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूं। यह ठीक है कि लखनऊ और कानपुर उन्नति करें और इस सरकार के अधीन बहुत ही उन्नति हो जाये और बहुत से लोगों की बीमारी का इलाज हो सके। लेकिन यह तो एक ही जगह हो सकता है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है डिवीजनल हेड क्वार्टर्स का कोई ख्याल नहीं। जिले की जो हालत है उसका तो कहना ही क्या। मैं तो डिवीजनल हेड क्वार्टर की बात कर रहा हूं।

मान्यवर, मैं यह अवश्य चाहूंगा कि सरकार जो डेफिसिट फाइनेंसिंग कर रही है यह ठीक है, वह आवश्यक है, होता रहा है। लेकिन साथ-साथ यह भी देखना है कि जो रुपया हमसे लिया जाय उसका सदुपयोग हो। यदि इसका सदुपयोग नहीं होता है, मुझे शिकायत यह है कि आप रुपया देते है हमसे चाहे जिस तरह से मजबूर करके, परन्तु जो रुपया लिया जाय यह भी देखा जाय कि जो तरीका है खर्च करने का वह कैसा है। और अगर इसका ख्याल नहीं रहा तो प्रदेश बहुत अधिक समय तक इसका भार नहीं उठा पावेगा और जनता का भरोसा भी घट सकता है और बहुत सी जगह उसमें न्यूनता दिखाई देने लगी है।

*श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)—जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जो सरकार १०० करोड़ से ऊपर का बजट तैयार करती है अगर वह एक सप्लीमेंटरी बजट सवा करोड़ का हमारे सामने लाये तो कोई अजीब बात नहीं। इससे यह भी जाहिर होता है कि सरकार के नजदीक इस बात की बड़ी ख्वाहिश है कि जो योजनायें जिस वक्त भी वे बना सकें उनको आइन्दा बजट तक न रोके बल्कि जल्द से जल्द उन योजनाओं को लागू करने की कोशिश करे। मेरे बुजुर्ग और दोस्त लीडर आफ दी अपोजीशन ने जो अभी तकरीर की मैंने उसे बहुत गौर से सुना। मैं उतना खुशनसीब तो नहीं हूं कि मेरे पास उतना वक्त हो सके कि मैं भी कोई इतनी लम्बी-चौड़ी तकरीर आपके सामने पेश कर सकूं। मगर मुझे यह देख कर खुशी हुई कि आज अभी तक सिर्फ दो ही तकरीरें हुई हैं लेकिन इन दोनों तकरीरों का लुब्बेलबाब बहुत बेहतर है और इस बात की कोशिश की गई है कि इस सरकार को मदद दी जाय कि किस तरीके से इस सूबे का शासन बेहतर किया जा सकता है। इस बात के मुताल्लिक कोई दो रायें नहीं हो सकतीं कि हमारे शासन में बहुत सी कमियां हैं और वह कमियां दूर होनी चाहियें; इस बात को मेरे खयाल से सरकार भी नहीं छिपाती न छिपायेगी कि बावजूद उसकी मुसलसल कोशिश के अभी भी शासन में कुछ कमियां हैं और यह कमियां तो रहेंगी उस वक्त तक रहेंगी कि जब तक हम सब मिल कर इसके लिए कन्धा न लगायें और मुल्क के अन्दर और प्रदेश के अन्दर ऐसी भावना न पैदा हो कि इस काम को अलग, हर चीज से अलग रख कर आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन देखना यह है कि सरकार ने जो कोशिश मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, मुल्क को तरक्की के रास्ते में डालने के लिए, की है वह कोशिश कहां तक मुनासिब और मौजूं थी और उसमें कौन-कौन सी कमियां रह गईं। इस बात से शायद कोई भी इनकार नहीं कर सकेगा कि गुजश्ता आठ या नौ साल के अन्दर इस सूबे के अन्दर और उसके साथ-साथ मुल्क के अन्दर प्लानिंग डेवलपमेंट और, और और तरक्की के जितने काम हुए हैं उसकी नजीर इस सूबे में मिल नहीं सकती। लेकिन लोग अब भी बाज-बाज बातों के मुताल्लिक शिकायतें करते हैं, प्लानिंग के मुताल्लिक शिकायतें हो सकती हैं, डेवलपमेंट के मुताल्लिक हो सकती हैं, एजूकेशन के मुताल्लिक की गई हैं, ऐग्रीकल्चर के मुताल्लिक की गई हैं और, और-और चीजों के लिए की गई हैं। इनके असबाब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुल्तान आलम खां]

अगर ढूंढे जायं तो इसमें कुछ बुनियादी चीजें मिलती हैं। सबसे पहली चीज जो मेरी समझ से है वह यह है कि अभी तक हमारे सूबे के अन्दर और हमारे मुल्क के अन्दर एक ऐसी भावना पैदा नहीं हुई है कि जिसमें हमारे यहां के कर्मचारी मिलजुलकर काम करें। मैं समझता हूं कि इस सरकार को इसके लिये क्रेडिट जायगी कि उन्होंने इस भावना को पैदा करने के लिए बड़ी हद तक कोशिश की। और बहुत बड़ी हद तक उनकी कोशिशें कामयाब हुई और उनमें सफलता मिली। लेकिन सरकार जो इस वक्त हमारे सामने बैठी है वह ऐसी सरकार नहीं है जैसी पहले थी। यह जनता की सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और यकीनन उनको उसी तरफ चलना पड़ेगा कि जिस तरफ हम उनको ले जाने की कोशिश करेंगे। उनकी उंगली जनता की तरफ रहेगी और जिस तरह का भी वह कोई काम करेंगे उनको यह सोचना पड़ेगा कि जनता इस वक्त क्या चाहती है।

हमने इसी सदन के अन्दर बार-बार यह सुना, मुख्तलिफ जगहों से तकाजे आये कि हमारे जिले के अन्दर, हमारी तहसील के अन्दर यह काम होना चाहिये, पुल बनना चाहिये, सड़क निकलनी चाहिये, स्कूल बनना चाहिये, अस्पताल बन जाय और बहुत-बहुत से कामों की मांग आई। मैं यह नहीं कहता कि जो लोग इन कामों की तरफ सरकार का ध्यान दिलाते हैं वह किसी जाती हैसियत से दिलाते हैं। वह पब्लिक के नुमाइन्दे होने की हैसियत से दिलाते हैं। मगर सवाल यह पैदा होता है कि ऐसे कामों को चलाने के लिए रुपये की जरूरत होगी और वह रुपया कहां से आयेगा। रुपया यकीनन आसमान से बारिश की सूरत में नहीं आयेगा। वह हम लोगों की जेबों से ही आयेगा। मुझे यह भी भावना देखने को मिली, जिस वक्त सेल्स टैक्स का मामला उठा था। उस वक्त भी मैंने बातें सुनीं थीं और वह बातें दोनों एक दूसरे के मुतजाद जाती हैं। यह हो सकता है कि सरकार के काम में हमारे आपके नजदीक कुछ कमियां और कुछ खामियां हों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो सरकार करना चाहती है वह इसलिये करना चाहती है कि इससे देश की तरक्की हो, इस सूबे के अन्दर बेरोजगारी का मसला हल हो, इस सूबे के अन्दर लोगों को इफरात से खाना खाने को मिले, पहनने को कपड़ा मिले और सबकी दुश्वारियां और दिक्कतें दूर हों।

अब सवाल पैदा होता है कि कैसी भी सरकार हो, कैसा भी शासन हो, अगर वह इत्मीनान से अपना काम चलाना चाहती है, मुल्क की तरक्की करना चाहती है तो उसको पैसा लेने की जरूरत पड़ेगी। हमारा जहां शासन को बेहतर करने के लिए यह फर्ज है कि हम सरकार के सामने, अपनी कांस्टीट्यूएंसी की, क्षेत्र की दिक्कतें पेश करें, वहां हमारा यह भी फर्ज है कि हम पब्लिक को भी इस बात के लिए आमादा करें कि अगर इन तमाम चीजों की जरूरत है तो इसके लिए रुपये की भी जरूरत होगी। बगैर रुपये के कोई काम चल नहीं सकता। एक चीज यह बड़े दुख की है और सरकार के लिए बहुत दिक्कत का सामना करने वाली है कि हमारे सूबे में अभी बदकिस्मती से गो हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन वह भावना पैदा नहीं हुई है जब कि हमारे सूबे के कर्मचारी और हमारी जनता, हमारे मुख्तलिफ-उल-खयाल लोग मिल कर काम करें, एक दूसरे के कोआपरेशन से काम करें।

मुझे याद है, अभी साल डेढ़ साल पहले जब कि यह सवाल उठा ही था कि जिलों के अन्दर जो ऐंटी करप्शन कमेटियां काम कर रही हैं वह नाकारा हैं, बेकार हैं, पब्लिक से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है और पब्लिक का उन पर कोई भरोसा नहीं है, नयी कमेटियां बनायी जायं। सरकार ने इस वजह से कि वह ऐसी सरकार थी जिसकी पब्लिक की बात सुननी चाहिये थी, हमारी आपकी सब की बनायी हुई वह सरकार है, उसने इस बात को मंजूर किया और उसने सूबे के अन्दर ऐसी ऐंटी-करप्शन कमेटियां बना दीं जिनमें आज नान-आफिशियल्स हैं। लेकिन आज मैंने यह भी सुना और सुनने में आया कि उन

कमेटियों से भी लोग मुत्मैयन नहीं हैं और वह समझते हैं कि ये कमेटियां बेकार हैं और वह कोई ठीक काम नहीं कर सकतीं जो उनके सुपुर्द किया गया है। तो आखिर सवाल पैदा होता है कि अगर कोई कमेटियां बनायी जायं, उसमें सरकारी अधिकारी हों, वह काम न कर सकें और गैर-सरकारी लोगों के हाथ में भी वह काम न चल सके तो फिर आखिर सूरत क्या पैदा हो? यह भी मुमकिन नहीं और न इसका दावा किया जा सकता है है कि हमारे कोई माननीय मंत्री हर जिले में जाकर देखें और उन कमेटियों के काम की निगरानी करें। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आखिर इसकी क्या वजह है? ऐसा होता क्यों है? इस पर मैंने गौर करने की कोशिश की और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इसकी वजह यह है कि हमारे कर्मचारियों में और जनता में आपस में कोआपरेशन नहीं है। जनता के अन्दर जो मुख्तलिफ सियासी अकायद के लोग मौजूद हैं उनमें कोआपरेशन नहीं है और जब तक यह कोआपरेशन पैदा नहीं होता, जब तक इस किस्म की भावना पैदा नहीं होती उस वक्त तक मैं समझता हूं कि शासन में और जनता में वह तरक्की जो हम सब चाहते हैं वह कभी भी मुमकिन नहीं हो सकती।

मैं जानता हूं कि जिन हजरात ने इस किस्म के सवालात पेश किये हैं उनके दिलों में भी वतन की मुहब्बत है और ऐसी है जैसी कि और लोगों के दिलों में है। लेकिन जरूरत इस बात की है और हम चाहते हैं कि सूबे का शासन तरक्की करे और हम सब को मिल कर एक ऐसे रास्ते पर पहुंचना है जहां हमारा कल्याण हो सके, तो उसके लिये यह सूरत है कि जहां तक शासन का ताल्लुक है, सूबे के इन्तजाम का ताल्लुक है, तरक्की का ताल्लुक है तो हम सब मिल कर काम करें और इस बात की कोशिश करें कि इसको ज्यादा से ज्यादा कामयाब बनायें और तरक्की के रास्ते पर डालें।

यह सही है जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि सरकार बावजूद इस कोशिश के और इस ख्याल के जिससे सूबे की तरक्की हो उसके अमलदरामद करने के लिये जो उसको समझ में आता है वह करती है। लकिन फिर भी ऐसी चीज हो सकती है कि कमियां रह गई हों। तो हमारा आपका यह फर्ज है कि हम सब मिल कर सरकार को उस तरफ तवज्जुह दिलायें वह तवज्जुह कैसी होनी चाहिये? वह तवज्जुह ऐसी नहीं होनी चाहिये जिसके मुताल्लिक कि हम खाली ऐतराज कर दें, क्रिटिसाइज कर दें और उसके बाद उसका कोई सोल्यूशन न बतला सकें। किसी योजना को हटाने के लिये तो कहें, लेकिन उस योजना का दूसरा आल्टरनेटिव न बतला सकें। अगर हम यही तरीका अख्तियार करें कि गवर्नमेन्ट के हर काम पर ऐतराज करते चले जायंगे और उसका नतीजा यह हो कि वह स्कीम हटा दी जाय और उनकी जगह आल्टरनेटिव स्कीम न रखी जाय तो फिर वैकूअम बाकी रह जाता है और इससे तो मुल्क तरक्की के बजाय और पीछे हटेगा और हमारा मुल्क तनज्जुली के रास्ते पर चला जायगा।

हमारे लिये जरूरी है कि हम इस किस्म की चीज सरकार के सामने रखें जिससे उनको किसी मामले में ठीक रास्ते पर पहुंचने में सहूलियत हो। अगर हम सरकार के सामने आल्टरनेटिव स्कीम रखें तो हमें पूरा यकीन है, भरोसा है कि सरकार उसको अवश्य मानने के लिये तैयार हो जायगी। चाहे वह चीज इस तरफ के बैठने वालों की तरफ से आये या उस तरफ के बैठने वालों की तरफ से आये, क्योंकि पार्टी अपनी जगह पर है, विचारधारायें भी अपनी जगह पर हैं। लेकिन जहां तक इस आदरणीय सदन के मेम्बर होने की हैसियत से हमारा नाता है, ताल्लुक है, उसके लिये हम सब पाबन्द हैं कि मुल्क और सूबे की तरक्की के लिये जो कुछ हम पेश कर सकते हों वह करें।

जनाबवाला, मैं इस सिलसिले में एक चीज अर्ज करना चाहता हूं और बतौर सजेशन के पेश करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि हमें इस चीज की आवश्यकता है कि हम सजेशन पेश कर सकते हैं। मैं एक मामला मुहकमे नहर के मुताल्लिक इस सदन में रखना चाहता हूं। इस वक्त गो वक्त बहुत कम है और डिटेल्स के साथ बात करना

[श्री सुल्तान आलम खां]

मुश्किल है लेकिन इसलिये इस बात को ले रहा हूं कि इसका ताल्लुक तमाम लोगों से है। हमारा मुल्क और सूबा जरायती है और मुहकमे नहर ने अब तक जो काम किये हैं वह इस हैसियत से किये हैं जैसे कि कमर्शियल बिजनेस की चीज हो। इस तरह से नहर के मुहकमे ने अब तक अपनी योजनायें बनाई हैं और काम को आगे बढ़ाया है। लेकिन मैं समझता हूं कि अब वह वक्त आ गया है कि जो डेवलपमेंट और प्लानिंग का मकसद हमारे सामने है उसको देखते हुए मुहकमे नहर की जरूरत है कि वह अब काम इस तरह से चलाने की कोशिश करे गोया वह डेवलपमेंट का मुहकमा हो। अब तक मुहकमे नहर की तरफ जहां भी नहर बनाने के लिये या ट्यूबवेल्स बनाने के लिये जांच पड़ताल की जाती है तो उसमें यह देखा जाता है कि कमर्शियल प्वाइन्ट आफ व्यू से यह ठीक होगा या नहीं और गवर्नमेंट का जो रुपया इस काम में लगेगा उसका सूद निकल आयगा या नहीं। मैं समझता हूं कि जो इलाके पिछड़े हुए हैं वहां जरूरत है इस मुहकमे को डेवलपमेंट के तरीके पर चलाया जाय और कोशिश करनी चाहिये कि वह डेवलपमेंट का मुहकमा हो सके ताकि सब लोगों को तरक्की हासिल करने का मौका मिल सके।

जनाबवाला, . . .

श्री उपाध्यक्ष—वैसे आपका समय समाप्त हो गया है। लेकिन आप एक मिनट और ले लीजिये।

श्री सुल्तान आलम खां—जनाबवाला, नहर के मुहकमे के अलावा यही बात पी० डब्लू० डी० मुहकमे के लिये कह सकता हूं। यह मुहकमा जैसा कि और दोस्तों ने ऐतराज किया कि इसमें चन्द लोग ऐसे हैं जो अच्छे नहीं हैं, उनको इस मुहकमे से दूर करना चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं कि ब्लैक शीप हर जगह होते हैं, कोई ऐसा मुहकमा न हो जहां ऐसी चीज न हो। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि मुहकमे का काम अच्छी तरह से चले तो हमें चाहिये कि हम अपने यहां की पी० डब्लू० डी० की कमेटियों में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लें। हमारा उनमें सहयोग और कोआपरेशन देने से जो अनडिजायरेबिल अफसरान और कर्मचारी हैं उनको इस बात का मौका नहीं मिलेगा और अगर मिलेगा तो बहुत कम मिलेगा कि वे करप्शन को फैला सकें। आखिर में अपनी तकरीर को खत्म करते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि करप्शन को दूर करने के लिये, सूबे की तरक्की देने के लिये हमारा पूरा सहयोग मुहकमे के कर्मचारियों से हो, हमारा पूरा सहयोग अपने में एक दूसरे के साथ रहे और अगर हम विजिलेंट रहें तो जो गलत हैं उनको गलती करने का मौका नहीं मिलेगा और कामयाबी के साथ हमारा काम चल सकता है।

*श्री केशव गुप्त—श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, जहां मैं विरोधी दल के नेता श्री गेंदासिंह जी से इस बात में सहमत हूं कि सप्लीमेंटरी ग्रांट्स केवल उस व्यय के लिये आनी चाहिये जिसका बजट बनाते समय अनुमान न हो सकता हो या ऐसे काम हों जिनको अगर गवर्नमेंट वर्ष के बीच में न करे तो उससे स्टेट को क्षति पहुंचने की सम्भावना हो वहां इसके साथ-साथ मैं इस सिद्धान्त को भी मानता हूं और सभी के लिये यह मान्य है कि सप्लीमेंटरी ग्रांट्स का समय गवर्नमेंट की जनरल नीति पर आलोचना करने का नहीं होता जैसा कि जनरल बजट के समय करते हैं। इस समय तो केवल जो खर्चा सप्लीमेंटरी ग्रांट्स में रखा गया है उसके औचित्य और अनौचित्य पर ही हमारा विचार करना उचित है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैंने जब सप्लीमेंटरी ग्रांट्स को देखा तो हमारे भाई सुल्तान आलम साहब ने ठीक ही बतलाया कि जहां हमारा १०० करोड़ का बजट होता है वहां साल के बीच में सवा करोड़ की सप्लीमेंटरी ग्रांट्स का आना कोई ऐसी बात नहीं जो आश्चर्यजनक हो। इसमें बहुत सा खर्चा ऐसा है जो वास्तव में आकस्मिक है, जैसे डिक्रीटल एमाउन्ट को जमा करने का प्रश्न हमारे सामने बीच में उपस्थित हो गया। हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया कि मुकदमा उस समय तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि कुल डिक्रीटल एमाउन्ट जमा न हो जाय। अगर वह एमाउन्ट तीन महीने के अन्दर हमारी गवर्नमेंट जमा न करे तो हमारे खिलाफ मुकदमा हो सकता था। इसलिये ऐसे रुपये को जमा करना उचित था। इसी तरह से बहुत सा जिसे चार्ज एमाउन्ट कहते हैं उसके लिये भी हमें प्रबन्ध करना था। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे भी इसमें व्यय हैं जिनको अगर हम चाहें तो इस समय बचा सकते थे। उदाहरण के लिये जंगलात विभाग की ग्रांट को लीजिये। इसमें एक नया डिवीजन कायम करने के लिये खर्चा मांगा गया है। यह सही है कि जंगलात का मुहकमा काफी बढ़ गया, हमारा क्षेत्रफल भी बहुत बढ़ गया। लेकिन यह कोई इन ३, ४ महीनों में ही नहीं बढ़ गया है। वह तो जब हमने जनरल बजट पेश किया था उस समय भी बढ़ा हुआ था। उस समय अगर हम मांगते तो उचित होता। इसके अलावा मैं समझता हूं कि यह ऐसा काम नहीं जो कि आकस्मिक कहलाया जा सके या जिससे हमारे स्टेट को हानि हो सके।

इसी तरह से लैंड रेवेन्यू की मद में आपने असिस्टेंट रजिस्ट्रार कानूनगो के लिये खर्चा मांगा। वह मैं कहता हूं कि ठीक है, क्योंकि आपने इस बात की कोशिश की दो साल से बराबर कि अगर आप उस खर्चे को न बढ़ायें तो उचित होगा। बराबर जिलों से मांग आते हुये भी आपने खर्चे को सीमित रखने की कोशिश की। लेकिन वास्तव में काम इतना बढ़ गया था और इतना बढ़ा हुआ है कि उसका कोप करना कठिन हो गया था और उसको यदि आपने इस वर्ष के बजट में मांग लिया तो ठीक है। लेकिन इसमें ऐसे खर्चे भी हैं जैसा मैंने फारेस्ट के बारे में कहा उसको आप वार्षिक बजट में रख सकते थे या नये वर्ष के बजट में रख सकते थे। इसलिये मैं चाहता हूं कि अगर ऐसे खर्चे इस बजट से बचाये जा सकते तो वह बचाये जायं।

एक चीज मैंने इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट के मातहत देखी। लीचियों की एक डिहाइड्रेशन की स्कीम बनने जा रही है ताकि हम लीचियां अमेरिका भेज सकें। मुझे इस नोट को देखकर अफसोस हुआ। रुपये के बारे में शायद इतना इख्तिलाफ नहीं है ३४, ३५ हजार रुपये का मामला है लेकिन उस नीति पर मुझे आश्चर्य हुआ। लीचियां हमारे देश वालों को खाने को नहीं मिलतीं, बीच के दरजे के लोगों को लीजियां खाने को मिलना सम्भव नहीं है, केवल ऊपर के तबके के लोग कुछ अमीर आदमी लीचियां खा सकते हैं। लीचियां और आम खाना असम्भव हो गया है और हम यह मानते हैं कि हमारे यहां फलों की कमी है, आर्चर्ड्स की बहुत कमी है, बागात की कमी है और हमें अपने यहां फलों के बागात के रकबे को बढ़ाना चाहिये। हम यह भी मानते हैं कि देश के बहुत ही कम लोग फलों को खा सकते हैं, क्योंकि वे मिलते नहीं और उनके दाम इतने ज्यादा हैं कि हर एक के लिये उनका खाना सम्भव नहीं है और उसके बाद भी हम कहें कि चूंकि चीन ने अमेरिका को लीचियां भेजना बन्द कर दिया है लिहाजा अमेरिका को लीचियां मिलनी बन्द हो गयी हैं और इसलिये हम उनके लाभ के लिये डिहाइड्रेट करके लीचियां भेजें। यह उचित नहीं है। मैं समझता हूं हमें अपनी नीति को इस तरह से निर्धारित करना चाहिये कि कौन सी चीजें बाहर भेजनी हैं और कौन सी नहीं भेजनी हैं। हमें केवल वही चीजें बाहर भेजनी चाहिये जिनकी आवश्यकता हमारे देश को न हो और जो हमारे देश के लिये आवश्यकत चीजें हों जिनकी नितान्त आवश्यकता हमारे लिये हो उनको देश

[श्री केशव गुप्त]

से बाहर भेजना किसी तरह से भी उपयुक्त नहीं है और ऐसी स्कीमों को हमें रोकना चाहिये। यह स्कीम सामान्य बजट के समय भी रखी जा सकती थी या चार-पांच महीने बाद भी हम रख सकते थे।

तीसरी बात है रूरल ड्रिंकिंग वाटर स्कीम की। बहुत अच्छी स्कीम है। लेकिन ऐसी स्कीम है जिसका कोई मालिक नहीं है। आपने इसके लिये रुपये मांगा है और देहातों के लिये पानी का प्रबन्ध कर रहे हैं ठीक है और उसके लिये जितना रुपया दिया जाय उतना थोड़ा है लेकिन आपने जो रूरल ड्रिंकिंग स्कीम बनाई है उसमें आपने जहां पर बिजली के कुयें हैं उसके लिये बिजली मुहकमा कहता है कि उसके मातहत है। लेकिन उसमें एक बात और भी है। इसको कुछ रुपया सेन्ट्रल गवर्नमेंट से करीब ८८ लाख रुपया मिलता है बहुत बड़ी तादाद में रुपया मिलता है, हम भी कुछ देते हैं लेकिन यह स्कीम ऐसी है जिसका कोई मालिक नहीं है। इर्रीगेशन डिपार्टमेंट क्या करता है? उसने कुछ नल डाल दिये। उसके बाद उसका देखने वाला, उसकी मेंटिनेंस करने वाला कोई नहीं है कि वहां कच्चड़ा है या नहीं या सीमेंट हो कर चौक बन गया है या नहीं यह देखने वाला कोई न नहीं है। इर्रीगेशन डिपार्टमेंट अपनी टोंटी लगाकर चला जाता है, लेकिन उसके बाद कौन देखता है। उसका सुचारु रूप से प्रबंध नहीं होता और कोई मुहकमा उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता। इसलिये रूरल ड्रिंकिंग स्कीम से लाभ होने के बजाय अलाभ हो जाता है और वहां का वातावरण काफी गंदा हो जाता है। इसलिये मुझे निवेदन करना है कि जहां आप अपनी रूरल स्कीम बनायें वहां उसको ऐसे सुचारुरूप से सुव्यवस्थित करें जिससे उसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी किसी मुहकमे की रहे। मैंने सड़कों पर यह देखा है कि टोंटी लगाकर चले गये, लेकिन दूसरे दिन वहां टोंटी गायब और पानी चौबीसों घंटे चलता रहता है, कोई देखने वाला नहीं। इस तरह से काम चलने वाला नहीं है। इस तरह की स्कीमों में उसके मेंटेनेंस पर उसके रखरखाव पर विशेष ध्यान रखना चाहिये।

चौथी बात, आपने ग्रांट ४६ के अंतर्गत कुछ रुपये सड़कों के लिये मांगे हैं। बिलकुल ठीक ही आपने मांगा है क्योंकि उस समय बजट के अन्दर आपने ख्याल किया था और यह ठीक ही ख्याल किया था कि हमारे पास अपने सेकन्ड फाइव ईयर प्लान की सड़कों के लिये रुपया कम होगा। आपने उसके लिये रुपया मांगा है और जो सड़कें मांगी हैं वह भी ठीक ही है। लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं उदाहरण के तौर पर कि मुजफ्फरनगर-जानसठ सड़क का १३ मील का टुकड़ा आपने लिया है। इस पर साढे ६ लाख रुपया खर्च होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि इस में से साढे पांच और छः मील का हिस्सा तो पहले से ही पुख्ता हो चुका है। वहां की कोन सोसाइटी ने या दूसरी सोसाइटियों ने इसको पुख्ता करा लिया है और उनपर कंक्रीट पड़ चुकी है, कुछ हिस्से पर तारकोल पड़ चुका है और कुछ पर नहीं पड़ा है। इसलिये अगर उन ६ मीलों को इस में छोड़ देते और अगले सात मील को ले लेते तो शायद इसमें हमारा खर्च कम होता और उसका जो रुपया बचता उसको हम दूसरी जगह अच्छी तरह से काम में ला सकते थे। मिसाल के तौर पर आपने वहां पर एक एन० ई० एस० ब्लाक खोला है और देहात में उसको रखा है, लेकिन उसका संबंध आपने पक्की सड़क से नहीं किया है। बरसात में एन० ई० एस० ब्लाक के हेडक्वार्टर पर पहुंचना असंभव हो जाता है और तीन महीनों में वर्षा के तो वहां पर कोई नहीं पहुंच सकता। सेकिन्ड फाइव ईयर प्लान में उस टुकड़े को प्राथमिकता दी गई है, यह तो ठीक है, लेकिन अगर इस रुपये को बचा कर आप उस सड़क को बना देते, झिझाना से ऊन तक का टुकड़ा बन जाता उस इलाके में जहां कि ६० मील के रकबे में कोई सड़क नहीं है, सड़क का नामोनिशान नहीं, अस्पताल नहीं, कोई और चीज नहीं, तो अगर उस रुपये का उपयोग वहां किया जाता तो ज्यादा अच्छा होता और अगर अब भी लगा दें तो अच्छा होगा, क्योंकि जो साढ़े पांच, छः मील का टुकड़ा बन चुका है वह

तो बन चुका। उसका तो-दो, तीन साल के बाद आप रख रखाव करेंगे और उस समय उस पर कुछ रुपया खर्च करेंगे, उसका रुपया आप इस समय बचा सकते हैं।

हमारे पास इस समय रुपये की कमी है। हम सारे काम एक साथ नहीं कर सकते। तो इसलिये इस छः मील के तीन लाख रुपयों को बचा कर अगर हम उस टुकड़े पर लगा दें तो उससे वहां की जनता का बड़ा भला होगा और एन० ई० एस० ब्लाक को भी बहुत ताकत मिलेगी, लोग मीटिंग्स में वहां जा सकेंगे और वहां की व्यवस्था ठीक हो सकती है। तो मैंने आपकी सेवा में यह निवेदन किया कि इस में इस प्रकार का खर्च भी है।

इसमें कुछ रुपया आपने एजूकेशन के अन्दर मांगा है, शिक्षा के अन्तर्गत। सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हम को ग्रांट मिली है उसके कारण हमारे पास कुछ इंस्टीट्यूशन्स के प्रार्थना पत्र भी आये। इस में जो नहाने के लिये पूल्स बनाने की व्यवस्था है, उसके लिये जो मांग है वह ठीक है, लेकिन मुझे आप से कहना है कि कुछ रुपया आप की शिक्षा पद्धति पर बेजा भी खर्च होता है। उसको भी आप को देखना चाहिये और उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिये। मिसाल के तौर पर जो आप जनता कालेज पर रुपया खर्च कर रहे हैं, कुछ जनता कालेज आप के प्रदेश में बने है, वह हमारे लिये लज्जा की बात है। पांच महीनों में बढ़ई या लोहार बनाकर या सोप मेकर बना कर आप एक आदमी को निकाल दें यह एक असंभव सी बात है। सिर्फ शुरू साल में लड़के वहां इसलिये आये थे कि पास करने के बाद नौकरी मिल जायगी, लेकिन जब उनको नौकरी नहीं मिली तो लड़के वहां अब केवल इसलिये आते हैं कि तीस रुपया मासिक वजीफा उनको मिलता रहे और उससे उनकी गुजर किसी प्रकार चलती रहे। उस में हम काफी रुपया खर्च कर रहे हैं लेकिन मैं आप से कहना चाहता हूं कि उस से कोई लाभ जनता को या यहां के रहने वालों को नहीं मिलता। इस स्कीम को हम को देखना चाहिये। हमें जरूरत है बढ़इयों की, मिस्त्रियों की और टेक्निशियन्स की, और उनकी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये।

दूसरी बात एजूकेशन में मैं यह और कहना चाहता हूं कि हर जगह ओवरसियर्स क्लासेज खुल रहे हैं। न मालूम क्या हो रहा है इसमें और कितना रुपया जनता का बरबाद हो रहा है। लड़कों से फीस ले ली जाती है सात सौ, आठ सौ रुपया, लेकिन स्कूल का रिकग्निशन नहीं होता। न मालूम कहां से उनको सहारा मिल जाता है और जहां देखो चार पांच मील के फासले पर ओवरसियर स्कूल खुल जाता है और आप को बाद में मजबूर होकर रिकग्निशन देना पड़ता है। वह जनता में कहते हैं कि आश्वासन ले आये हैं, अभी नहीं लेकिन तीन महीने के अन्दर हम को रिकग्निशन जरूर मिल जायगा। मैं समझता हूं कि इन की वही हालत होगी जो कि आज कल जे० टी० सी० के टीचर्स की हो रही है। ६० रुपये का ग्रेड है उनका, लेकिन इतने ज्यादा टीचर्स आपने पैदा कर दिये कि उनको पूरे २५ रुपये भी कहीं नहीं मिलते। अब आप ओवरसियर्स को इतना प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनकी कोई कीमत नहीं रहेगी। और किसी भी देश में ओवरसियर नहीं रहे। इंग्लैन्ड और अमेरिका में ओवरसियर का क्लास नहीं है। वहां इंजीनियर्स होते हैं। एक तो ओवरसियर्स का इतनी तादाद में पैदा करना मुसीबत की बात है और फिर इस तरह से उनका क्लास बढ़ा देना कि एक होड़ सी लगी हुई है, कुछ जिलों के अन्दर, कालेजों के अन्दर, इन तमाम कालेजों के अन्दर इन स्कूलों के अन्दर किसी के पास इमारत नहीं है, किसी के पास साइन्टिफिक आपरेटस नहीं है और कोई चीज नहीं है लेकिन फिर भी वह ओवरसियर का क्लास खोल रहे हैं। लड़कों को वहां पर चूसा जा रहा है। ५००, ७०० रुपये उनसे पहले जमा करा लिये जाते हैं। यह हमारे ऊपर दोष आता है। हमसे लोग कहते हैं कि यह क्या शिक्षा हो रही है और यह क्या चीज हो रही है और हम उसको रोक नहीं सकते हैं। आज लड़कों के ऊपर जुल्म हो रहा है और हम उसको रोक नहीं सकते हैं। इसका दोष हम पर आता है। इसलिये मुझे आपसे यह प्रार्थना करनी है कि इन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाय।

[श्री केशव गुप्त]

जहां तक इस सप्लीमेंटरी बजट का सवाल है इसमें बहुत सी मांगें समय के अनुकूल हैं। और वह जरूरी हैं उनके लिये रुपया मिलना चाहिये २,४ चीजों के बारे में मिसाल देकर मैंने आपको बताया कि इन पर खर्चा रोका जा सकता था और वह रोका जा सकता है और इस समय उसको अगर आप नहीं रोक सकते तो इससे रुपये की बरबादी हो सकती है। इन चन्द शब्दों के साथ मैं आपकी सप्लीमेंटरी ग्रांट का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—उपाध्यक्ष महोदय, जब कभी सदन में सामान्य विवाद होता है तब सरकारी पक्ष की तरफ से यह शिकायत होती है कि विरोधी पक्ष सरकार ने जो कुछ अच्छे काम किये हैं और प्रदेश की जो उन्नति की है उसको स्वीकार नहीं करता और विरोधी पक्ष की यह शिकायत होती है कि सरकार की तरफ से आत्म प्रशंसा का बहुत बढ़ाचढ़ाकर दावा किया जाता है और यह स्वीकार ही नहीं किया जाता कि बहुत से काम जो किये जा सकते थे और जो किये जाने चाहिये थे वह नहीं किये गये। मैं उन लोगों में से हूं जो यह समझते हैं कि सच्चाई इन दोनों बातों के बीच में है। एक बार माननीय मुख्य मंत्री सम्पूर्णानन्द जी ने यह कही थी कि वे लोग झूठे हैं जो यह कहते हैं कि सरकार ने कोई तरक्की नहीं की। मैं उनकी इस बात को मानता हूं और मैं यह मानता हूं कि वे लोग झूठे हैं जो यह कहते हैं कि सरकार ने उन्नति नहीं की है। मैं यह मानता हूं कि कई दिशाओं में केंद्रीय और प्रादेशिक दोनों सरकारों ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है और काफी उन्नति की है और कुछ ऐतिहासिक कार्य भी किये हैं इस बात को मैं मानता हूं लेकिन साथ ही मैं यह भी मानता हूं मैं यह तो नहीं कहूंगा कि जिस भाषा का सम्पूर्णानन्द जी ने प्रयोग किया कि वे झूठे हैं साथ ही यह भी नहीं कहता हूं कि वे लोग सच्चे नहीं किन्तु यह अवश्य कहता हूं कि यह सच नहीं है कि सरकार ने सब उन्नति कर दी है। उधर के एक सदस्य माननीय सुल्तान आलम जी ने कहा कि सरकार ने बेनजीर तरक्की की है मैं इसको नहीं मानता हूं। मैं ऐसा मानता हूं और सरकार और आपका ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि बेनजीर तरक्की की जो बात कही जाती है उसके संबंध में दो देशों की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं एक जर्मनी देश है जिसको दूसरे महायुद्ध की पूरी हानि का भार सहन करना पड़ा और जो लड़ाई के जमाने में बिलकुल बरबाद हो गया था अब वहां जाकर देखिये कि उस देश ने कितनी उन्नति की है। यदि उसकी तुलना में आपका प्रदेश आता तो तब हम कह सकते थे कि वास्तव में बेनजीर तरक्की की। दुनिया भर के मुसीबत के मारे हुये यहूदियों ने टैलअवीव में आश्चर्य-जनक प्रगति की है और आश्चर्यजनक कार्य किया है। उनको देख लिया जाय तब यह दावा किया जाय कि बेनजीर उन्नति यहां पर हुई है। तब मैं इस बात को नहीं मानता हूं। यों जो कार्य किये गये हैं और मैंने कहा है कि सराहनीय कार्य सरकार ने किये हैं। और बातों में भी सरकार ने तरक्की की है मंहगाई में तरक्की है। २३ फीसदी मंहगाई बढ़ गयी है। सवाई महंगाई हो गयी है। बेकारी में भी सरकार ने तरक्की की है वह डयोढ़ी हो गयी है। अपराधों में वृद्धि हो गयी है। इसलिये यह कहना उचित नहीं कि सरकार ने कहीं तरक्की नहीं की। बहुत से मामलों में तरक्की की है। इसको सदन के सदस्य मानते हैं। मैं मानता हूं कि यह गलत है कि तरक्की नहीं की। लेकिन जहां मैंने यह कहा साथ में यह भी कहता हूं कि यह दावा कि बेनजीर तरक्की हुई है सही नहीं है।

सुल्तान आलम साहब ने एक बात और कही कि हमारी सरकार जनता की सरकार है और विरोधी पक्ष की तरफ से जो सुझाव दिया जाता है वह सरकार मानती है। ऐसी बात नहीं है कि वह सुनती नहीं है। इस संबंध में भी मेरा निवेदन है कि विरोधी पक्ष की बात सरकार नहीं मानती, वहां तक मुझे शिकायत नहीं होती। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जो १८-२० सूत्री रचनात्मक कार्यक्रम

बराबर हर सम्मेलन में पास करती चली आ रही है, कांग्रेस के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और पंतजी जिन प्रस्ताव को पेश और समर्थन करते आये हैं, क्या उनको भी माना जा रहा है? यह सवाल कि विरोधी पक्ष के रचनात्मक सुझावों को सरकार मानती है, कहां तक सही है? इसका निर्णय मैं जनता के लिये और जनता के लिये ही छोड़ता हूं। ३ बातों की ओर जिनका पूरक अनुदानों से संबंध है, उनकी ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। समय थोड़ा है। मैं विरोधी दल के नेता गेंदासिंह जी की इस बात से सहमत हूं कि ये पूरक अनुदान इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि जो सरकारी कमेटियों की शिकायत है कि बजट का निर्माण ढिलाई से होता है, वह सही है और विभागों को अभी तक आदत पड़ी हुई है कि वे बढ़ा कर मांग करते हैं और जब वह खर्च नहीं कर पाते हैं तो कठिनाई होती है। इसमें कई मांगें हैं जिनके लिये १०० रुपये की मांग करके रेगुलराइज करने की कोशिश की गई है।

सामान्य प्रशासन, पुलिस और लग्जरी लिटीगेशन के संबंध में मैं कहना चाहता हूं। पूरक अनुदानों के स्मृतिपत्र को मैंने पढ़ा, लेकिन चूंकि समय कम है उनको मैं यहां पढ़कर नहीं सुनाऊंगा लेकिन १९,२० मदें ऐसी हैं, मैंने निशान लगा लिये हैं, जिनमें सरकार की ओर से मुकद्दमें लड़े गये और उनमें सरकार बराबर हर अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक हारी। यह सब इसमें लिखा हुआ है। सरकार की ओर से ऐसे कई मुकद्दमे लड़े गये जिनमें सरकार के ऊपर डिक्री हुई। क्या यह लग्जरी लिटीगेशन नहीं है? सरकार के पास तो जनता का पैसा है और वह खर्च कर सकती है और पूरक अनुदान के रूप में ले सकती है। लेकिन एक व्यक्ति के लिये जिसके विरुद्ध सरकार लड़ती है और सरकारी कर्मचारियों के लिये या ठेकेदारों के लिये जिनका रुपया सरकार रोक लेती है, अपने पास से रुपया खर्च करना होता है और कितनी परेशानी उसको होती होगी यह सोचा जा सकता है। मुकद्दमेबाजी के लिये यह प्रसिद्ध कहावत है कि हारा सो मरा और जीता सो हारा। जीतने वाले को भी कई गुना खर्चा करना पड़ता है। सरकार के पास वकील होते हैं, कानूनी सलाहकार होते हैं और फिर भी मुकद्दमा लड़ती है और बराबर नीचे की कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हारती चली जाती है। वे कानूनी सलाहकार सलाह भी दिये जाते हैं कि मुकद्दमा लड़ो। तो सरकार को अपने वकीलों और कानूनी सलाहकारों के चुनाव की ओर भी ध्यान देना चाहिये और यह देखना चाहिये कि वह किस योग्यता के साथ सरकार को सलाह देते हैं कि सरकार बराबर हर अदालत में हारती चली जाती है। दूसरी बात सामान्य प्रशासन के बारे में मुझे यह कहना है। आज प्रातःकाल ही एक सज्जन ने यह कहा कि आजकल तो यह कहावत हो गयी है कि कांग्रेस वाले सरकारी कर्मचारियों को बिहेव लाइक डोमेस्टिक सर्वेन्ट्स यानी कांग्रेस वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों से इस प्रकार से बातचीत करते हैं जैसे उनके घरेलू नौकर हों। शासन का यह भ्रष्टाचार और हस्तक्षेप आपत्तिजनक है। जब तक यह नहीं सुधरेगा तब तक देश में कोई प्रगति नहीं हो सकती। और तब तक जैसा कि चुनाव के बारे में गेंदासिंह जी ने कहा निष्पक्ष चुनाव तब तक असम्भव है। आज नौकरशाही में भ्रष्टाचार और पुलिस में अत्याचार अत्यन्त बढ़ गये हैं अगर इस वृद्धि के लिये सरकार बधाई चाहती है तो मैं उसको बधाई देने के लिये तैयार हूं। नौकरशाही के जोर जुल्मों में पहले से वृद्धि हुई है। मैं यह स्वीकार करता हूं कि निर्माण के कार्यों में देर लग सकती है लेकिन नौकरशाही को नियंत्रण में लाने के लिये ९ बरस के बजाय ९० या ९०० बरस नहीं लग सकते। मैं डेमोक्रेसी को इतना इनएफीशियेंट नहीं समझता हूं कि उसमें इस तरह के सुधार भी ९–९ बरस में न हो सकें। इन्हीं बातों की तरफ में सरकार का ध्यान दिला कर अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

*श्री राजनारायण––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १२५ लाख के करीब का यह पूरक बजट इस सरकार ने इस सदन में प्रस्तुत किया है। यदि उसकी तमाम मदों को देखा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजनारायण]

जाय तो इसमें कोई दो रायें नहीं होनी चाहिये कि इसकी अधिकांश मदें सामान्य बजट के समय आ जानी चाहिये थीं। इस पर तमाम चर्चा हो चुकी है, मैं केवल आपके द्वारा जो खास-खास मदों के द्वारा रुपया लिया जा रहा है, उन्हीं को लेना चाहता हूं। इसमें कामन वैल्थ पार्लियामेंटरी एसोसियेशन की केंद्रीय निधि में जमा करने के लिये ४ हजार रुपये की मांग की गई है।

मैं आपके द्वारा बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह हमारे प्रदेश की गरीब जनता के साथ अन्याय है जिसके ऊपर मनमाने ढंग से टैक्स लगा कर इस रुपये को इस प्रकार से अनावश्यक कार्यों में खर्च किया जा रहा है। इसी के साथ-साथ राज्य अतिथिगृह तथा फर्नीचर के लिये १ लाख १५ हजार रुपये की मांग की गयी है। इसका भी मैं विरोधी हूं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि यदि सम्मानित सदस्यगण इस पूरक बजट के अनुदानों को देखें तो वह निश्चित रूप से इस नतीजे पर आयेंगे कि इसमें बहुत-सी रकम फरनीचर की वृद्धि और मनोरंजन के लिये जलसे को मनाये जाने के लिये मांगी जा रही है। इसके साथ-साथ मनोरंजन के खर्चों के लिये १९ हजार रुपया मांगा गया है, मैं उसके भी विरुद्ध हूं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार बहुत से मुकदमों में पार्टी बन गयी है। जैसा कि अभी माननीय पालीवाल जी ने बताया, उन्होंने शायद उनकी लिस्ट नहीं बनायी, मैंने बनायी है। २३ इस तरह की मदें हैं जिनमें ८,६५,२०० रुपये की रकम सरकार से सम्मानित कचहरियों के द्वारा दूसरे वादियों को दिलाई गयी है। यह रकम जो सरकार की तरफ से दी गई है आखिर सरकार की तरफ से क्यों मुकदमें लड़े गये, क्यों ऐसी परिस्थिति पैदा की गयी और क्यों नाजायज तरीके से कचहरियों में जाकर, हाईकोर्ट में जाकर और कम्पेन्सेशन की रकम देकर इस तरह से अनावश्यक श्रम और धन को खर्च कराया गया है? यह सरकार की नीति और उसकी कार्यप्रणाली का दोष है इसे सरकार को स्वतः स्वीकार करना चाहिये। इसी के साथ-साथ यदि देखा जाय तो मालूम होगा कि जेल विभाग में मनोवैज्ञानिक तथा मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है। मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि अगर मनोवैज्ञानिक और मानसिक चिकित्सा की आवश्यकता है तो वह इस सरकार के लिये है। इस सरकार की मानसिक चिकित्सा होनी चाहिये और इस सरकार के लिये ही मनोवैज्ञानिक चिकित्सा भी होनी चाहिये। मगर मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि जो इस सरकार के गुड विल पर ही मुनहसर करने वाले हैं।

यह कहा गया कि अगर सरकार नहीं चाहेगी तो पवित्र भावना पैदा नहीं हो पायेगी। मैं चन्द लोगों में हूं जो मानते हैं कि हृदय परिवर्तन करने में ही अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिये। मैं सरकारी पक्ष वालों और विरोधी पक्ष के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वे हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं तो वे प्रदेश की सामान्य नागरिक जनता का हृदय परिवर्तन करें। इस निकम्मी और नालायक सरकार के हृदय को परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है।

श्रीमन्, आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि महात्मा बुद्ध के २५०० वें जन्म-दिवस समारोह के अवसर पर पुलिस का विशेष प्रबन्ध किया गया। महात्मा बुद्ध की जयन्ती हो जो अहिंसा के प्रचारक थे और उसमें पुलिस का विशेष प्रबन्ध हो और वहीं सारनाथ के पार्क में जो हिरण रखे गये उनमें से कुछ हिरण गायब हो गये और आज तक उनकी खोज होती रही लेकिन उनका पता नहीं लग सका। बनारस के तमाम समाचार-पत्र चिल्ला उठे और वहां के सरकारी कर्मचारियों पर दोषारोपण किया गया। अगर वहां के लोगों का मांस जानना हो तो बनारस में जाकर पता लगा सकते हैं। क्योंकि बनारस में यह शिकायत है कि कुछ सरकारी कर्मचारी एक अच्छे हिरण को काट कर उसका कबाब बना कर खा गये। श्रीमन्, वहां किस तरह से शराब उड़ायी गयी और किस तरह से वहां तमाम अनुचित कार्यवाहियां हुईं उनका भी यहां उद्घाटन होना चाहिये था लेकिन सारा समय तो सरकार के गुणगान करने में ही बीत गया। मैं आपके द्वारा बतलाना चाहता हूं कि जेल

अध्यापकों के प्रशिक्षण को देखा जाय, या जेल सुधार शिविर को देखा जाय, आज जेलों की हालत क्या है ? आज जेलों की हालत यह है कि जहां दो तीन आदमी रहने चाहिये, जहां चार-चार पांच-पांच सौ कैदियों के लिये एकोमोडेशन है वहां पन्द्रह-पंद्रह सौ और दो-दो हजार तक कैदी भरे जाते हैं। उनकी संख्या में बराबर वृद्धि होती चली जाती है और उसी तरह से उनकी दिक्कतों में भी वृद्धि होती चली जाती है।

मैं समझता हूं कि जिस ढंग से और जिस कार्य-प्रणाली के लिये यह सरकार आज रुपया मांग रही है उसके लिये कतई रुपया नहीं देना चाहिये। आज ऐटिच्यूड में परिवर्तन की आवश्यकता है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि विरोधी पक्ष के कुछ सम्मानित सदस्यों ने भी कभी-कभी गवर्नमेंट की जो विकास योजनायें हैं इसमें दो मत नहीं होने चाहिये कि विकास होना चाहिये, निर्माण होना चाहिये मगर निर्माण होने के नाम पर अत्याचार नहीं होना चाहिये, विनाश नहीं होना चाहिये, गरीबों के रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ी जानी चाहिये और अगर इस तरह देखा जाय, मैं आगे के लिये संकेत करना चाहता हूं कि अंग्रेजी हुकूमत जो एक विदेशी हुकूमत थी वह बहुत ही बदमाश और पाजी हुकूमत मानी जाती थी, हमने देखा कि अंग्रेजी राज्य में भी बहुत से नलकूप बने, अंग्रेजी राज्य में भी बहुत सी नहरें बनीं, अंग्रेजी राज्य में भी बहुत सी सड़कें बनीं, अंग्रेजी राज्य में भी बहुत से जेलखाने और कचहरियां बनीं लेकिन चन्द बड़ी-बड़ी बिल्डिंग मात्र बना देने से ही राष्ट्र का विकास नहीं हो जाता। राष्ट्र की जनता के जीवन का स्तर कितना ऊंचा हुआ है इसका परीक्षण होना चाहिये। ऐसा मालूम होता है कि जनता का स्तर नीचे ही गिरा है, मोरेलिटी नीचे ही गयी है, नैतिकता नीचे हो गयी है और अगर सही माने में देखा जाय तो यह सरकार उसमें बहुत नाकामयाब रही है।

श्रीमन्, हमसे डाकुओं के बारे में पुलिस रेडियो सेट्स के लिए रुपया मांगा जा रहा है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज डाके, कत्ल और चोरबाजारी में वृद्धि होती चली जा रही है, वह इसलिए नहीं हो रही है कि पुलिस अफसरों की कमी है या उनकी संख्या या तादाद कम है बल्कि वह इसलिए हो रही है कि आज यह सरकार जिस नीति को लेकर चल रही है उससे ऐसे भ्रष्टाचारी कर्मचारी को सहारा मिलता है, यह अधिकारी स्वतः डकैती के लिए सारा मैनेजमेंट करते हैं, इसके एक नहीं अनेक प्रमाण हमारे पास हैं। मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को लिखा है कि इस बात की जरूरत है कि बनारस में नलिया कांड जो हुआ है..... अभी तो श्रीमन्, ८ ही मिनट मुझे हुए हैं मेरे पास घड़ी है मैं देख रहा हूं। तो मैं यह कह रहा हूं कि उस नलिया कांड के विषय में जांच क्यों नहीं की जाती जबकि वहां की जनता की मांग है, वहां पर डकैती का सारा नाटक पुलिस अफसर ने इनाम लेने के लिए रचा और यह सरकार ऐसे अफसरों को प्रोत्साहन देकर कुनबापरस्ती कर रही है लेकिन इस तरह से राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। कहा जाता है कि अगले चुनाव के समय जो उपद्रव होंगे या जो बदअमनी हो सकती है उसके लिए मोबाइल सेट्स की जरूरत होगी। आगामी चुनाव होने वाले हैं उनके लिये सरकार अभी से प्रबन्ध कर रही है लेकिन मैं श्री गेंदासिंह जी से पूछना चाहता हूं कि पवित्र चुनाव कैसे यह हुकूमत करायेगी, जब सरकार जनता के सामने जायगी और जनता सरकार की इस नालायकी, बदमाशियों और गद्दारी को अब एक मिनट भी बरदाश्त नहीं कर सकती और उस वक्त सरकार का पर्दाफाश होगा.....

श्री सीताराम शुक्ल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि.....

श्री राजनारायण—जो चिकित्सा प्रणाली इस समय प्रदेश में चल रही है उसी तरीके से.....

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—प्वाइंट आफ आर्डर, अभी माननीय राज नारायण जी ने अपने भाषण में शब्द 'बदमाशी' का प्रयोग किया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह शब्द पार्लियामेंटरी है और क्या यहां पर इसका प्रयोग करना वैधानिक है और ठीक है ?

श्री राजनारायण—मैंने इस शब्द का प्रयोग पूर्ण जिम्मेदारी के साथ किया है, पार्लियामेंट की पुस्तक देख ली जाय वहां भी सरकार के लिए 'बदमाश' शब्द का प्रयोग किया गया है, अखबारों में और एडीटोरियल्स में भी उसका प्रयोग होता है.....

श्री उपाध्यक्ष—लेकिन यह शब्द कुछ अच्छा तो नहीं है।

श्री राजनारायण—मैं यह पूछना चाहता हूं कि सरकार इस बात को बताये कि जो लोग होम्योपैथिक में प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे उनको प्रैक्टिस करने देने की क्यों व्यवस्था की जा रही है, क्या वे दूसरे सिस्टम्स की तरह साइन्टिफिक सिस्टम नहीं है और अगर है तो क्यों उसमें भी पढ़ने लिखने का बाकायदा तरीका नहीं रखा जाता, क्यों उनको भी पढ़-लिख कर शिक्षित नहीं बनाया जाता। एक तरफ तो अध्यापकों पर प्रतिबन्ध लगाया जाता है और कहा जाता है कि एक संस्था में जो कन्फर्म्ड अध्यापक हैं वही यूनिवर्सिटी की परीक्षा में जा सकते हैं और दूसरी ओर होम्योपैथ्स को छूट दी जाती है तो क्या यह परस्पर विरोधी चीजें नहीं हैं, मैं समझता हूं कि ऐसा करने का कोई उचित कारण सरकार के पास नहीं है।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि राजनैतिक पेंशनें जिस प्रकार से दी जाती हैं उनमें आज भी कुनबापरस्ती की जा रही है जो सही लोग हैं और अच्छे लोग हैं और जिन्होंने राष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की आहुति दी, उनका तिरस्कार किया जाता है। इसी तरह से अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के सुधार के लिए जो रुपया मांगा जाता है उसके विषय में मैं कहूंगा कि प्रत्येक प्रकार की सामाजिक विषमता को मिटाकर ही इस प्रकार का सुधार सम्भव है। क्यों नहीं आज तक विश्वनाथ जी के मन्दिर के विषय में इस चीज को कार्यान्वित करके दिखाया गया। मैं आपके द्वारा, श्रीमन्, यह निवेदन करना चाहता हूं....

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)—इतना ही समय हम लोगों को भी मिलेगा?

श्री उपाध्यक्ष—जितना समय मैं जिसको मुनासिब समझूंगा, दूंगा।

श्री राजनारायण—मैं आपके द्वारा यह कहना चाहता हूं और दिल खोल कर कहना चाहता हूं कि यह जो पूरक बजट है तो एक प्रकार से देखा जाय कि यह पूरक है गरीबी का, पूरक है कामों की बढ़ती हुई लूट का, पूरक है भ्रष्टाचार का, पूरक है कत्ल और डाके का। जिस तरह से सारा सामाजिक ढांचा उत्तर प्रदेश का चल रहा है उस पर हमें गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। आपके द्वारा फिर कहना चाहता हूं, डरना नहीं चाहता और लोगों से कहना भी चाहता हूं कि अपने जजबात के इजहार करने में मत डरो। अगर कोई आदमी गलत है, अगर कोई आदमी हिन्दुस्तानी मुल्क का विरोध करता है और कोई आदमी पाकिस्तान का समर्थक है ऐसे आदमियों पर चार्ज लगा कर मुकदमा चलाओ लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि किस तरह सियासत के सम्पादक इसहाक इलमी को कानपुर में थाने में बन्द करके मारा गया, पीटा गया। कानपुर में सोशलिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जगदीश अवस्थी को रात में जाकर १२ बजे गिरफ्तार कर लिया गया। देवरिया में शायद जेलखाने में वह बन्द हैं। क्यों बन्द हैं? वहां बाढ़ से जनता को अच्छी तरह से सहायता प्रदान नहीं की जा रही थी उस पर वे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कुछ कहना चाहते थे कि जनता को समुचित सहायता मिलनी चाहिये और उसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं सुनना चाहते थे लिहाजा उनको उठाकर जेल में बन्द कर दिया गया।

मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि चारों तरफ बदअमनी बढ़ती जा रही है और चारों तरफ कौमपरस्ती बढ़ती जा रही है और कहीं-कहीं बजट के बीच में एक आंकड़ा आ गया कि २० लाख रुपया बाढ़ की सहायता के लिये दिया जाय तो उससे हम कोई इंकार नहीं करते बाढ़ पीड़ित क्षेत्र जनता की सहायता के लिये अधिक से अधिक जितना रुपया हो सके सरकार दे

लेकिन उस रुपये को कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में खर्च नहीं किया जा सकता ताकि कांग्रेस पार्टी का झंडा गड़ा रहे। जिस तरह नलकूप और नहरें बनाई जा रही हैं ये सारी समस्यायें दोषपूर्ण हैं, उनका समुचित समाधान होना चाहिये।

(श्री सीताराम शुक्ल के खड़े होने पर)

श्री शारदाबख्श सिंह (जिला हरदोई)—मैं प्रस्ताव करना चाहता हूं....

श्री उपाध्यक्ष—आप बैठ जायं। मैं पहले श्री सीताराम शुक्ल को बोलने के लिये कह चुका हूं।

श्री सीताराम शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय,.....

श्री शारदाबख्श सिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोलने वाले कुछ ज्यादा मालूम होते हैं इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—पहले आप नाम बुला चुके हैं। श्री सीताराम शुक्ल के भाषण करने पर ही उनका प्रस्ताव आ सकता है।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि जब प्रस्ताव आ ही गया है तो सदन की सुविधा के लिये मैं इसे पहले लिये लेता हूं। वित्त मंत्री अगर इस पर कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—हाउस से ही दरियाफ्त कर लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—सामान्यतः बजट के अवसर पर समय बढ़ाने का कोई अवसर होता नहीं। अच्छी बात है जब प्रस्ताव आ गया है तो मैं सदन की राय लिये लेता हूं कि वह समय बढ़ाना चाहता है या नहीं।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा—सदन नहीं चाहता।

श्री राजनारायण—आपने एक व्यवस्था दे दी कि सदन चाहता है।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने कहा कि चाहता है या नहीं चाहता है इस पर राय लिये लेता हूं।

प्रश्न यह है कि सदन का समय १ घंटा बढ़ा दिया जाय।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं विभाजन चाहता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल—मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर.....

श्री राजनारायण—मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं जब आपकी व्यवस्था देने के पूर्व कोई माननीय सदस्य विभाजन चाहते हैं तो आप कहते हैं कि नहीं होने देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मैंने उनकी बात सुन ली। वह नहीं चाहते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल—मैं राजी नहीं हूं। मैं विभाजन चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—चाहते हैं आप तो समय बहुत बरबाद होगा।

(घंटी बजायी गयी और प्रश्न पुनः उपस्थित किया गया, लेकिन श्री जगन्नाथ मल्ल ने विभाजन पर जोर नहीं दिया और प्रश्न अस्वीकृत हुआ।)

श्री सीताराम शुक्ल--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बजट के ले आने पर मैं अपनी सरकार को मुबारकबाद देता हूं और जिन कर्मचारियों ने मेहनत करके इसको तैयार किया है उनका भी तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तब यहां यह कहा जा सकता है कि तुम शुक्रिया अदा करते हो, पसन्द करते हो, किन्तु यह पढ़े-लिखे काबिल लोग विरोध क्यों करते हैं? श्री गेंदा सिंह जी मेरे मित्र हैं। इत्तफाक है कि मेरा कैम्प दूसरा है, उनका दूसरा है। मगर वह मेरे मित्र हैं। मैं उनकी इज्जत करता हूं। उनका कहने का ढंग बड़ा अच्छा है। फिर भी विरोध करते हैं। इसकी वजह है। यथा नाम तथा गुण: अर्थात् जैसा नाम वैसा गुण एक तो यह कि विरोधी पक्ष के नेता हैं। दूसरे उनका नाम है गेंदा सिंह तात्पर्य यह है कि गेंदा को ऊपर फेंको तो वह नीचे जायगा, और नीचे फेंको तो वह ऊपर जायेगा, गर्ज कि हमेशा खिलाफ जायगा उसी प्रकार आप भी प्रतिकूल जाते हैं। लिहाजा मुखालिफत करते हैं। तो क्या शिकायत? इस सदन में उन्होंने शिक्षा विभाग के उपमंत्री माननीय डाक्टर सीताराम जी के लिए फरमाया कि उन्होंने कहा है कि आप किसी कांग्रेस मैन के पास अपनी शिकायत लेकर नहीं गये। इसलिए आपका काम नहीं हुआ किन्तु जल्दी कह गये। जो मिलता है डाक्टर साहब से वह आपके अखलाक की तारीफ करता है, मगर श्री गेंदा सिंह जी शिकायत करते हैं। उन्हें जानना चाहिये कि उनकी कदर सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं, सिर्फ यू० पी० में ही नहीं। बल्कि अमेरिका में भी है। उनके लिए वहां से तीन हजार प्रतिमास के लिए आफर आया है। यहां एक हजार रुपया माहवार मिलता है। वहां से तीन हजार रुपये वेतन मिलने का वादा किया गया है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा अपने राज्य में होती है लेकिन पंडित की पूजा सारी दुनिया में होती है वह चरितार्थ हो गया किन्तु जिसकी कदर सारी दुनिया में होती है, उसकी आप निन्दा करते हैं। (एक आवाज) बजट पर बोलिए आपके लीडर साहब ने जो इरशाद फरमाया था उसका मैं जवाब दे रहा हूं दूसरी [redacted] यह कि माननीय पालीवाल जी हमारे मित्र हैं और बुजुर्ग हैं मैं भी उनकी बड़ी इज्जत [redacted] हूं। उन्होंने मेरी राजनीति में काम करते समय बड़ी सहायता की थी। लेकिन "लड़ते हैं शूरवीर सदा अपनी आन में, नाता गुरु चेले का न रहता कमान में"। मित्रता यहां नहीं देखी जायगी। यहां तो हर एक बात के तर्क को कसौटी पर कसा जायगा। ठीक है तो समर्थन किया जायगा और यदि गलत है तो मुखालिफत की जायगी।

श्री राजनारायण--प्वाइंट आफ इनफारमेशन। मैं नज्म की तारीफ में यह लड्डू पेश करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष--जरा गम्भीरता से विवाद हो तो अच्छा है।

श्री सीताराम शुक्ल--तो मैं अर्ज कर रहा था कि आपने फरमाया कि फलां फलां भ्रष्टाचार की तरक्की है। मैं क्या जवाब दूं। अंग्रेजों के जाने के वक्त कितने कुयें थे, आज कितने हैं? अंग्रेजों के जाने से पहले कितनी सड़कें थीं आज कितनी हो गयीं। अंग्रेजों के जाने के पहले कितने स्कूल थे, आज कितने हो गये? उस वक्त कितने फार्म थे, आज कितने हो गये। उनको न दिखलायी पड़े तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। तर्क का जवाब दिया जा सकता है। वितर्क का जवाब नहीं दिया जा सकता है। तरीका यह होता है कि तारीफ करके मुखालिफत की जाय। लेकिन हमारे लायक दोस्त शिकायत ही शिकायत करते हैं। समय कम है लिहाजा अपना एक सुझाव पेश करके मैं अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं।

हमारे राजनारायण जी ने इर्शाद फरमाया कि इश्हाक इल्मी को गिरफ्तार किया गया, बेकसूर, वे बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरे भी वे दोस्त हैं, बड़े मेहरबान हैं, चाय भी पिलाते हैं और खाना खिलाने की भी कोशिश करते हैं, उनका नमक खाया है लेकिन नमक खाने की वजह से सच बात तो नहीं छिपाई जायगी इसलिए यह वाजे रहे कि भीष्म पितामह

दादा थे लेकिन जिस वक्त दुर्योधन का साथ दिया तो भगवान् कृष्ण ने कहा कि बिना विलम्ब इनको तीर मारो। द्रोणाचार्य पाण्डवों के गुरू थे किन्तु जब अन्यायी का पक्ष किया तो उसका बध कर दिया गया। जो दूसरों का राग अलापे, अन्न हिन्दुस्तान का खाये, हिन्दुस्तान की हवा में रहे किन्तु हिन्दुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाये उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिये। तरक्कियें उर्दू की मीटिंग होती है तो चाय पर बात होती है नौकरियों की तथा सीटों की और खाने पर विचार होता है हिन्दुस्तान पर कब्जा करने की। मगर हमें उनसे शिकायत कम है। मैं तो ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण किसी को भी गलती करने पर छोड़ता नहीं और जब कोई कानून में आ जावे। इसलिए मैं साफ कहता हूं कि उनसे ज्यादा शिकायत मुझको है कांग्रेस की सरकार से, क्योंकि सरकार ठीक भी करें, अच्छा काम भी करे, अल्प संख्यकों के साथ उदारता का बर्ताव करें, फिर भी शिकायत क्यों होती है। क्या वजह है? अमृत पत्रिका में एक बात छप गई, तूफान मच गया। एक कुत्ते का विज्ञापन छप गया तो एक आफत मच गयी। एक किताब छपी अमेरिका में और तर्जुमा हुआ बम्बई में, किन्तु हाय हाय मच गई यू० पी० के अन्दर और कानपुर के अन्दर श्री इश्हाक इल्मी ने छाप दिया....

श्री उपाध्यक्ष—मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्य किस अनुदान पर बोल रहे हैं?

श्री सीताराम शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अनुदान की बात मैं उसे बतलाऊं जहां बतलाने की जरूरत हो। आप तो योग्य है, वकील हैं अच्छी तरह जानते हैं कि किस मद पर बोल रहा हूं। शान्ति और अमन कायम रखने का सवाल है हमारे सूबे में...

श्री राजनारायण—आन ए प्वाइंट आफ आर्डर। श्रीमन्, मैं निवेदन करता हूं कि अध्यक्ष महोदय ने बारबार इस सदन में एडजोर्नमेंट मोशन और दूसरे प्रस्तावों को रोका है कि धार्मिक पुस्तक को ला करके कोई विवाद नहीं होना चाहिये। और उस व्यवस्था के विरुद्ध माननीय सदस्य भाषण कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप उनको भाषण देने का मौका देंगे तो दूसरे लोगों को भी कांग्रेस पार्टी की तमाम साजिसों का पर्दाफाश करने की आज्ञा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष—मैं कह चुका हूं कि वे इसका जिक्र न करें। अनुदान पर ही बोलें।

श्री सीताराम शुक्ल—इसलिये मैं अर्ज कर रहा हूं कि मुझे अपनी सरकार से शिकायत है। हम अगर ईमानदारी से पब्लिक की सेवा करते हैं, हम मुसलमान भाइयों को अपने बराबर मानते हैं, तो क्या वजह है मुखालिफत होती है? सिर्फ इसकी वजह यह है कि हमारा प्रोपेगेन्डा कमजोर है।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य उस प्रश्न पर न बोलें। जो मैं बताता हूं उसके मुताबिक बोलें।

श्री सीताराम शुक्ल—रेडियो का मसला है उस पर बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—रेडियो की बाबत कहें। लेकिन हिन्दू-मुसलमान के आपस के सम्बन्ध की बाबत कहने की आवश्यकता नहीं।

श्री सीताराम शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हिन्दू मुसलमान की समस्या के प्रश्न की उपेक्षा करने से काम नहीं चलेगा।

श्री राजनारायण—प्वाइंट आफ आर्डर, माननीय उपाध्यक्ष महोदय की व्यवस्था दो तीन बार हो चुकी है और माननीय सदस्य बराबर इंसिस्ट करते जा रहे हैं अपनी उसी पुरानी रफ्तार पर। तो मैं समझता हूं कि उनकी वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी अब बन्द होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—मैं इसकी बाबत रूलिंग दे चुका हूं और माननीय सदस्य को उसको मानना चाहिए ।

श्री सीताराम शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह अनुदान संख्या १२ में रेडियो के बारे में है । मैं उस पर सुझाव देना चाहता हूं कि रेडियो से काम आप लें और यह अर्ज करना चाहता हूं कि उसकी सख्त जरूरत है । इसी सिलसिले में अर्ज करना चाहता हूं । साम्प्रदायिक एकता बढ़ाने में रेडियो से बड़ा फायदा होगा । मेरी प्रार्थना यह है कि देहाती प्रोग्राम ६ बजे होता है और उस वक्त किसान काम करता रहता है खेतों में । एक घंटा दिन बाकी रहता है तभी गर्मी में ६ बज जाता है । तो यह देहाती प्रोग्राम सिर्फ थोड़े से शहर के आदमियों को सुनने के लिए नहीं होना चाहिए बल्कि देहात के आदमियों को हमें यह बतलाना है । तो मेरी प्रार्थना यह है कि देहात का प्रोग्राम ६ बजे के बजाय ८ बजे रात रखा जाय ताकि सब लोग सुन सकें ।

श्री जगन्नाथ मल्ल—प्वाइंट आफ आर्डर । श्रीमन्, जहां तक रेडियो का सवाल है यह ब्राडकास्टिंग जो होती है वह बिलकुल सेंट्रल गवर्नमेंट का विषय है । इसलिए जो बिषय सेंट्रल गवर्नमेंट का है मैं समझता हूं उसके ऊपर यहां बहस करने से कोई लाभ नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं माननीय सदस्य अपने विचार इस विषय में काफी प्रगट कर चुके हैं ।

(इस समय ४ बज कर ५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

श्री सीताराम शुक्ल—तो मैं अर्ज कर रहा था कि रेडियो का देहाती प्रोग्राम बजाय ६ बजे शाम के आठ बजे रात कर दिया जाय और मनोरंजन के साथ-साथ उसमें यह भी रखा जाय कि अच्छे-अच्छे वक्ताओं का व्याख्यान कराया जाय ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि "रेडियो" कोई इस प्रान्त का विषय नहीं है । आप अपना सुझाव बाद में मंत्री जी के पास भेज दें तो ज्यादा अच्छा होगा । इस बजट का वह विषय नहीं हो सकता ।

श्री सीताराम शुक्ल—अध्यक्ष महोदय, यह पेज नौ आप जरा देख लें इसमें लिखा हुआ है कि कितना पैसा खर्च होगा रेडियो पर ।

श्री अध्यक्ष—जी हां, लिखा हुआ है । लेकिन रेडियो प्रोग्राम से कोई सम्बन्ध इस सरकार का नहीं है ।

श्री सीताराम शुक्ल—अगर हम पैसा दे सकते हैं तो प्रोग्राम का भी सुझाव दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—जी नहीं । वह आप पूरक बजट में विवाद में नहीं कर सकते ।

श्री सीताराम शुक्ल—मेरा ख्याल है कि वह प्रोग्राम का सुझाव दिया है ।

श्री अध्यक्ष— मैं समझता हूं कि नहीं । मैं आपको बताता हूं कि वह आप नहीं कर सकते हैं । आप उसको जाने दीजिये, प्रोग्राम को ।

(हंसी)

जरा शान्ति कायम रखिए । मतलब यह है कि कोई गलती अगर होती है तो सबसे होती है, केवल उनसे ही होती हो ऐसी बात नहीं है, सब से होती है । हंसने की बात नहीं है ।

श्री सीताराम शुक्ल—तो मैं पुलिस पर अर्ज करूंगा । उस पर तो मैं बोल ही सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष— जो हां।

श्री सीताराम शुक्ल—पुलिस के लिए अनुदान मांगा गया है। कोशिश यह हो रही है कि पुलिस बढ़ायी जाय, उनकी संख्या बढ़ायी जाय, ताकि हम संगठन कायम कर सकें, शान्ति कायम रख सकें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप नहीं थे यहां, तो हमारे मित्र ने फरमाया माननीय राजनारायण जी ने कि इसलिए पुलिस बढ़ायी जा रही है कि जिससे विरोधियों पर सख्ती हो किन्तु इससे गड़बड़ी होगी और निर्वाचन के समय क्या-क्या होगा। मेरी प्रार्थना यह है कि केवल पुलिस की संख्या बढ़ा देना काफी नहीं होगा। पुलिस जेलखाना भेज सकती है, हवालात में बन्द कर सकती है, सजा करा सकती है। लेकिन पुलिस विचार नहीं बदल सकती। पहले जमाने में हालत यह थी कि आर्डर हुआ, सरकार की आज्ञा हुई और उस हुक्म की पाबन्दी हो गई। लेकिन अब यह हो गया है कि जरा सी सख्ती पुलिस ने की तो मुलजिम ने किसी एम० एल० ए० दोस्त को या एम० पी० को पकड़ा, एक क्वेश्चन हो गया, उन्होंने कह दिया कि जाने दो, हमारा दोस्त है, छोड़ दो। तो आज इसकी भी जरूरत है कि प्रचार भी हो। थानेदार केवल गिरफ्तार ही न करे बल्कि जब कहीं जांच करने के लिए जायं तो केवल गिरफ्तारी न करें बल्कि सच्ची बात को लोगों को समझायें भी ताकि चोर पैदा ही न हों, साम्प्रदायिकता के पैदा होने पर गिरफ्तार ही न करें बल्कि इसकी कोशिश करें कि साम्प्रदायिकता जड़ से उठ जाय। मेरी प्रार्थना यह है कि हमारे अफसरों में कुछ तो अच्छे लोग है जो सुलझी हुई तबियत के हैं, अखबार पढ़ते हैं और संसार की हालत से कुछ तो परिचित है किन्तु अधिक अफसर तो ऐसे कि वह अखबार नहीं पढ़ते है अतः उन्हें दुनिया की खबर नहीं है। उनको अखबार पढ़ना चाहिये। और विरोधियों के भी समाचारपत्रों को भी पढ़ना चाहिये। कुछ रोज पहले की बात है हमारे यह अफसर यह नहीं जानते थे कि कांग्रेस के अन्दर में सोशलिस्ट कौन है, कम्यूनिस्ट कौन है, जो भी खद्दर पहनता था उन सब को कांग्रेसी मान लेते थे और गिरफ्तार करते थे। सन् ४२ में अनेक कम्यूनिस्टों ने दरख्वास्तें दीं कि मैं तो कम्यूनिस्ट हूं तब वे जेल से छोड़ दिये गये। अब जमाना बदल गया है। लेकिन अब भी लाल टोपी लगाने वालों में कौन सोशलिस्ट है, कौन प्रजा सोशलिस्ट है, कौन कम्यूनिस्ट है, यह वह नहीं जानते हैं। उनको इन सब बातों को जानना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना एक और है। आपकी इजाजत से अर्ज करता हूं। वह यह कि जहां पर पुलिस की ट्रेनिंग होती है, हमारे माननीय डिप्टी मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, मैं उनसे भी अर्ज करता हूं कि वहां पर अच्छे-अच्छे व्याख्यानदाता और स्पीकर्स भी भेजे जायं ताकि वह उनको इसकी भी ट्रेनिंग दे सकें कि प्रजातन्त्र में पुलिस कैसी होनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मुझे एक शिकायत है, पहले, "सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति" वाली बात थी।

"यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः
स पण्डितः सह श्रुतिमान् गुणज्ञः।
स एव वक्ता स च दर्शनीयः
सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति॥"

अर्थात्—जिनके पास पैसा है वही कुलीन हैं, वही पण्डित है, वही गुणी है, वही श्रुतिमान है, वही व्याख्यानदाता है और वही खूबसूरत भी है तात्पर्य यह है कि सभी गुण रूप मय है।

आज यह हो गया है कि "सर्वे गुणाः मन्त्रिण माश्रयन्ति।" अर्थात् अगर मन्त्री हो गये तो सब कुछ हो सकते है। मन्त्री अच्छे शासक हो सकते है तो अच्छे वक्ता कैसे हो गये। अच्छे वक्ता है और अच्छे शासक भी हैं। लेकिन मैं यह कहता हूं कि जहां अच्छे वक्ता नहीं हैं वहां अच्छे वक्ता भी भेज दिये जायं। अच्छे वक्ता तलाश करने पड़ेंगे, पैसा देकर उनको बुलवाना होगा क्योंकि अगर हमारे सरकारी कर्मचारियों को ठीक कर लिया जायगा तो जैसे हमने बहुत जल्द आजादी हासिल कर ली है वैसे ही साम्प्रदायिकता को भी दफना देंगे,

[श्री सीताराम शुक्ल]

अपने मुल्क के कैरेक्टर को ऊंचा कर देंगे, खुद भी अच्छे रहेंगे और सारे संसार को अच्छा करेंगे।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में इस सप्लीमेंटरी बजट पर काफी विवाद हुआ है और मैं सोचता हूं कि इस सरकार का यह पहला सप्लीमेंटरी बजट इस साल के लिए है। जैसा कि माननीय पालीवाल जी ने अभी कहा था, पहले ही सप्लीमेंटरी बजट में अगर डिपार्टमेंट्स यह कहें कि वह अपने डिपार्टमेंट के खर्चे में से सेविंग्स कर लेंगे और उससे सारा रुपया इसके लिए हासिल कर लेंगे तो इसके साफ मानी यह हैं कि हमारे डिपार्टमेंट वाले या तो ओवर-बजेटिंग करते हैं या बैड बजेटिंग करते हैं। क्योंकि इस असेम्बली में जो बड़ी-बड़ी स्कीमें मंजूर की गयी हैं या तो वह स्कीमें छोड़ दी जायंगी साल के अन्त तक, या उनके एवज में नयी स्कीमें लायी जायंगी। आखिर वह रुपया डिपार्टमेंट्स को कहां से मिलेगा। तो मैं समझता हूं पहले ही सप्लीमेंटरी बजट में यह कह देना कि हम साल के अन्त तक अपने बजट से सेविंग्स कर लेंगे, बाहर से रुपया लेने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय इसके कि इसको हम बैड-बजेटिंग कहें, ओवर बजेटिंग कहें, और कोई बात नहीं हो सकती।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी दिक्कत जो आज हमें हो गयी वह यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने अपनी एग्जिक्यूटिव पावर्स बहुत काफी डिपार्टमेंट्स को डेलीगेट कर दी है और एक सब-हैड से दूसरे सब-हैड में खर्च करने के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस और पाबन्दियां पहले लगा दी गयी थीं वह कम कर दी गयी हैं, जिसकी वजह से यह हो सकता है कि हमारे डिपार्टमेन्ट्स जो इस लेजिस्लेचर की मंशा हो उसके मुताबिक काम न करें, दूसरे कामों को करने लगें। इसलिये मैं समझता हूं कि इस लेजिस्लेचर का काम है कि उन्हें आगाह कर दे कि जो पावर्स ज्यादा डिपार्टमेंट्स को दी जा रही है एक सब-हेड से दूसरे सब-हेड में खर्च करने के लिए उनका दुरुपयोग होने की बड़ी भारी आशंका है। अध्यक्ष महोदय, होता यह है कि ओवर-बजेटिंग करके नयी चीजें, मोटरकारें और अन्य दूसरी चीजें खरीद ली जाती हैं जिनकी जरूरत नहीं होती और जब फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि हम रुपया नहीं दे सकते हैं तो वह कहते हैं कि हम अपने बजट से मीट कर लेंगे। इस तरह से जब अपने बजट से मीट करने की बात होती है तो इससे रुपये का दुरुपयोग हो जाता है और एक बुरा प्रिसिडेंट कायम होगा। अगर रुपये की जरूरत है तो पुरानी स्कीमें भी चलायी जायं और नयी स्कीमें भी लागू की जायं और उनके लिए सदन से रुपया मांगा जाय वह ज्यादा उचित होगा।

दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, कंटिंजेंसी फंड को इसलिए क्रिएट किया गया है कि अगर कोई ऐसा वक्त हो जाय कि लेजिस्लेचर बहुत दिनों तक मीट नहीं कर सकता है तो वह हमारे लेजिस्लेचर ने इसलिए बनाया है कि उसमें से रुपया खर्च किया जाता है। अगर उस कंटिंजेंसी फंड से रुपया निकाला जाता है तो हमारी एग्जिक्यूटिव का यह सब से पहला कर्तव्य है कि जब पहली मर्तबा लेजिस्लेचर मिले उस वक्त उसके सामने एक सप्लीमेंटरी लाकर के उस रुपये को जो कि कंटिंजेन्सी फंड से लिया गया हो वह उसमें फौरन जमा कर देना चाहिये। यह पार्लियामेंटरी कनवेंशन है। हम देखते हैं कि पारसाल जो रुपया खर्च किया गया था, एक साल पहले जो कंटिंजेंसी से रुपया निकाला गया, उस रुपये को रेगुलेट व वापस करने के लिए आज बातें की जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कंटिंजेंसी फंड को टच नहीं करना चाहिये जब तक कोई बड़ी ग्रेव इमरजेंसी न हो जाय। जैसे आज बाढ़ हो रही है तो उसमें से रुपया निकाला जा सकता है। कहीं हैजा फैल जाता है तो उस वक्त निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसी-ऐसी मिसालें हमारे पास हैं जिनमें सरकारी अफसरान छोटे-छोटे काम के लिए रुपया निकालते हैं।

मोटरें खरीदने के लिए भी कंटिंजेंसी फंड से रुपया निकाला जाता है। मैं समझता हूं कि यह उसका बड़ा भारी दुरुपयोग है।

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो आज यह सप्लीमेंटरी बजट है, बहुत ज्यादा जनरल डिस्कशन का भी, मैं समझता हूं, मौका नहीं है लेकिन फिर भी मैंने देखा है कि बहुत से डिपार्टमेंट्स ने रुपया मांगा है। प्लानिंग विभाग ने रुपया मांगा है। प्लानिंग विभाग के नाम पर आज सारे देश में वातावरण फैलाया जा रहा है कि हमारा प्लानिंग बहुत अच्छा हो रहा है, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स से हमारा उद्धार हो गया है। जहां-जहां कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स खुल गये थे वह अब नारमेलाइज्ड प्रोजेक्ट्स हो गये हैं यानी वहां पर अब साधारणतया काम चल रहा है। सरकार को जांच करनी चाहिये और अपनी गल्ती से तजुर्बा हासिल करना चाहिये। मैं दावा कर सकता हूं और अगर निष्पक्ष लोग चलें और देखें कि जहां पर यह कम्यूनिटी प्रोजेक्ट नारमेलाइज्ड हो गये हैं उन इलाकों की दशा अच्छी हो गई है या नहीं। अगर अच्छी हो गई है तब तो उनको क्रेडिट दिया जा सकता है। अगर अच्छी दशा नहीं हुई है बावजूद इसके कि एक-एक कम्यूनिटी प्रोजेक्ट के ऊपर १५-१५ लाख रुपया खर्च किया गया है, फिर भी हालत अच्छी नहीं है तो उससे हमें सबक सीखना चाहिये, तजुर्बा हासिल करना चाहिये और उनकी कमियों को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित करना चाहिये। अगर ठीक है तो जरूर उनका फायदा उठायें और उसके मुताबिक कार्य करें।

अध्यक्ष महोदय, माननीय केशव गुप्त जी ने रूरल वाटर स्कीम के बारे में जो कहा है ठीक है। इरीगेशन डिपार्टमेंट को यह कार्य दिया गया था और हमें खुशी थी कि वह इस काम को करे। लेकिन इस स्कीम को चलाने वाले दो विभाग हैं। एक तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का विभाग है वह कहता है कि यह हमारे डिपार्टमेंट का काम है और इरीगेशन कहता है कि हमारे विभाग का काम है। इसलिये अभी तक इसका एक भी काम शुरू नहीं हो सका है। इरीगेशन विभाग ने फैसला किया है कि वर्क चार्ज का जो सब डिपार्टमेंट २ परसेंट लेते है वह इस काम में कुछ नहीं लेंगे और मुफ्त इस काम को समय के अन्दर करेंगे, इससे कम पैसा खर्च होगा। पानी पीने को मिलेगा और कम श्रमदान करना पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती यह है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट विभाग कहता है कि यह हमारा काम है। इसलिये न इरीगेशन विभाग कर सकता है और न वही कर सकता है और हमारा रुपया बेकार पड़ा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय, कहा गया है कि गांवों में ५० फ्लश लैटरिन्स बनेंगी मैं समझता हूं कि अभी वह समय नहीं आया है गांवों में यह चीज बनाई जाय। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा। बजाय इसके कि लैटरिन्स बनाई जायं यह अच्छा होगा कि पीने का पानी का प्रबन्ध किया जाय। यदि गांवों में एक आध फ्लश लैटरिन बन भी जायंगी तो न इस्तेमाल करेगा। मैं समझता हूं कि यदि सरकार वाटर स्कीम में रुपया खर्च करे तो धन का दुरुपयोग नहीं होगा बल्कि सदुपयोग होगा।

इसके साथ ही साथ अध्यक्ष महोदय, मै थोड़ा सा पी० डब्लू० डी० के लिये कहना चाहता हूं। आज एक उस सड़क के लिये भी रुपया दिया गया है जिसके लिये हमें निराशा हो गई थी। एक सड़क मेरे यहां के इलाके में है जिसके लिये ८ लाख रुपया रखा गया है। इस सड़क की बहुत ही ज्यादा जरूरत थी और वर्षों से हमारी मांग थी और हमने इसके लिये बड़ा प्रयत्न किया है। मुझे खुशी है कि पी० डब्लू० डी० ने इस चीज को महसूस किया और जो सड़क हमारे यहां मिकियासेन से गनाई तक बन रही है, उसके लिये मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे इलाके की मांग पूरी कर दी।

मै जैसा कि माननीय पालीवाल जी ने कहा उनमें से नहीं हूं कि सरकार की खराबी को ही सामने लाऊं। मै तो उनमें से हूं कि यदि सरकार कोई अच्छी काम करती है तो उसको भी बताना चाहिये और हमारा यदि कोई सजेशन हो तो हम उसको भी सरकार को दें।

[श्री मन्नूलाल उपाध्याय]

उसको मानना या न मानना यह सरकार का काम है। मैं उनमें से भी नहीं हूं कि सरकार के गुण गाऊं, सरकार की तारीफ के पुल बांधू। सरकार यदि कोई ग़लत काम करती है तो उस पर प्रकाश न डालूं, यह मुझसे कभी नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अपोजीशन वालों में से माननीय राजनारायण जी ने कहा, पालीवाल जी ने कहा कि बहुत सी कमियां भी हैं। जितनी सरकार की खराबियां हैं उनका हम विरोध करेंगे। आज प्लानिंग के नाम पर अगर कहा जाय कि सारा देश प्लान हो गया है, सब स्वर्ग हो गया है तो यह बिल्कुल गलत बात है। आप उन इलाकों को देखिये जहां प्लानिंग हो रही है। एन० ई० एस० ब्लाक्स को देखिये। जहां पहले साढ़े सात लाख रुपया फी ब्लाक पर खर्च होता था वहां अब साढ़े चार लाख रुपया कर दिया गया है और उसमें भी तीन लाख रुपया कर्जे के लिये रखा गया है। मैं चाहता हूं कि हमारा यह साल खराब न जाय। अब अक्तूबर का महीना है। वैसे तो एलेक्शन्स के दिन आ रहे हैं, लोग ज्यादातर उनमें पड़ेंगे लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग इस बात की कोशिश करें कि जितना भी रुपया हमने मंजूर किया है उसे हम ठीक तरीके से अपने प्रदेश के अन्दर खर्च करें।

माननीय केशव गुप्त जी की एक बात मेरी समझ में नहीं आयी। उन्होंने कहा कि ओवरसियर्स की हमें जरूरत नहीं है, हम इंजीनियर्स चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमें वर्क सुपरवाइजर्स नहीं मिल रहे हैं। असली जो काम करते हैं उनकी हमें जरूरत है। इंजीनियर्स तो देख रेख किया करते हैं। मै चाहता हूं कि जहां पर ऐसे स्कूल्स हों जिनमें असली काम करने वालों को शिक्षा दी जाती हो उनको हम प्रोत्साहन दें। माननीय सिंचाई मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं। उनके डिपार्टमेंट को ओवरसियर्स नहीं मिलते हैं। पी० डब्लू० डी० में ओवरसियर्स जाते हैं लेकिन इरीगेशन में नहीं जाते क्योंकि वे समझते हैं कि वहां उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो सारा भार काम का जिनके ऊपर है अगर उनको हम प्रोत्साहन नहीं देंगे तो हम ज्यादा काम नहीं कर पायेंगे।

एक बात और है। माननीय मंत्री जी ने हमारे यहां किछा एरिया के अन्दर एक शुगर मिल खोलने के लिये दान सिंह विष्ट ऐंड सन्स को ४० लाख रुपये देने के लिए रखे हैं। दो, तीन साल हो गये हमारे इलाके का गन्ना वैसे ही सूख जाता है, किसी दूसरी जगह नहीं जाता। मैं चाहता हूं कि चाहे दान सिंह विष्ट ऐंड सन्स हों या कोई हो, हमारे यहां शुगर मिल जल्द से जल्द लग जानी चाहिये ताकि हमारे यहां के किसानों का गन्ना बर्बाद न हो। अगर मिल लग जायगी तो उनका गन्ना काम में आ जायगा और बर्बाद होने से बच जायगा।

* श्री शारदाचरण सिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरक बजट को देखने के बाद ऐसा स्पष्ट है कि पुलिस विभाग के लिये अधिक से अधिक रकम यानी १४,३२,४०० रुपये की मांग की गयी है। इस प्रान्त के धन-जन की सुरक्षा के लिये यदि रुपये की आवश्यकता है तो किसी भी सदस्य को इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिये और हम चाहते हैं कि पुलिस उपयोगी हो और सचेष्ट हो। परन्तु इस अवसर पर हम एक बात की ओर माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और वह यह है कि मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि पुलिस विभाग की नीति साफ तौर से पक्षपातपूर्ण, दलगत स्वार्थों पर आधारित और विरोधी पक्षों के प्रतिकूल रही है। यह मैं बड़े गम्भीर भाव से कह रहा हूं क्योंकि यह विभाग मुख्य मंत्री के हाथ में है और जैसा अंग्रेजी में कहावत है कि अगर नमक ही अपनी नमकीनता को छोड़ दे तो कौन सी चीज ऐसी होगी जिससे वह नमकीन किया जाय।

इस बारे में, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं हरगांव क्षेत्र जो जिला सीतापुर में है उसके सम्बन्ध में दो बातें कहना चाहता हूं। इस क्षेत्र में पुलिस थाना हरगांव है। वहां पर जनसंघ का एक बड़ा प्रभावी कार्य है। इस सम्बन्ध में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस क्षेत्र से कश्मीर आन्दोलन में १०४ लोग सत्याग्रह में गये थे और ३९ लोग गो-हत्या बन्दी आन्दोलन में भी गये थे। मैं इस तथ्य को केवल इसलिये कहना चाहता हूं कि वहां जनसंघ का कार्य काफी प्रभावी है और इसलिये वह सत्ता दल का एक ईर्ष्या का कारण बन गया है। सन् १९५५ में वहां के जनसंघ के बड़े प्रभावी कार्यकर्ता, गया प्रसाद जी का कत्ल हो गया। और उस कत्ल में अश्लीलता ही एक व्यक्ति के जो साक्षी थे। उन पर भी एक महीने के बाद तमंचे और रिवाल्वर से आक्रमण कर दिया गया और जब आक्रमण कर रहे थे उसी समय में वे पकड़ लिये गये। जनता द्वारा उसकी जांच भी हुई और जांच में जो उस समय के वहां के दारोगा थे उन्होंने इस बात को सत्य पाया। परन्तु उसी दिनों में पुलिस कप्तान और दारोगा वहां से बदल दिये गये और उस दिन से योजनानुसार एक ऐसी बात चली है कि वहां येनकेनप्रकारेण जनसंघ के कार्यकर्ताओं को शासन द्वारा और पुलिस द्वारा दबाया जाता है। वहां लोगों पर मुकदमे चले हैं। उस सम्बन्ध में हम केवल नहीं कहते जो वहां के निर्णय हुए हैं उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसी केस में जिसमें वह तमंचे से घायल हुये थे और बाद को चोट से उसकी मृत्यु हुई थी उसी सम्बन्ध में २५ जनसंघी कार्यकर्ताओं पर दफा ३०२ में कत्ल का मुकदमा चलाया गया। १५ डिप्टी साहब के यहां से छूटे और बाकी लोग सेशन को अदालत से छोड़ दिये गये। मैं उस जजमेंट में से कुछ आपके सम्मुख रखता हूं —

> "मेरी दृष्टि में पुलिस ने इस साधारण अपराध को बढ़ा चढ़ा कर निरन्तर राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयत्न किया है। ऐसा करते हुये जनसंघ दल के अधिकतम व्यक्तियों को फांसने के प्रयत्न स्वरूप मुकदमे की शक्ल ऐसी हो गई है कि साधारण बुद्धि से भी उसे स्वीकार करना कठिन है।"

यह शब्द जज के हैं जो उस मुकदमे के फैसले में कहे गये हैं और उस दारोगा के खिलाफ कहे गये हैं और उसी के बाद उस निर्णय के खिलाफ उसी क्षेत्र के गत चुनाव के प्रत्याशी श्री गजराज सिंह थे उन पर दूसरा मुकदमा चलाया गया। उसका जो निर्णय हुआ है उससे सिद्ध है कि निरपराध व्यक्तियों का उत्पीड़न किया गया। यह दूसरा जजमेंट है —

> "अतः मैं इस मुकदमे के समस्त प्रमाणों को देखने के पश्चात् इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि यह मुकदमा उन इने-गिने दुर्लभ मामलों में से है, जिनमें अभियोगी अपने ऊपर आक्रमण करने वालों में से किसी को नहीं जानता। फिर भी मुकदमे की जांच करने वाले अधिकारियों ने इससे लाभ उठा कर किसी दलविशेष की तरफ रुझान रखने के कारण मुकदमा चलाया, जिसकी वास्तविकता प्रारम्भ से ही खुलने लगी थी। मुझे फिर लिखना पड़ता है कि इस प्रकार के मुकदमे अदालत में भेजना सार्वजनिक समय तथा धन का दुरुपयोग है, जिससे निरपराध व्यक्तियों के उत्पीड़न के अतिरिक्त और कुछ लाभ नहीं।"

इसके कई और भी यहां पर कांड हुये। वंशीधर जी वहां के एक प्रमुख व्यक्ति हैं। उनको पकड़ लिया गया। उन्होंने तार दिया, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से मिले, तीसरा तार दिया तब वह छोड़े गये। और भी कई आदमी इसी तरह से पकड़े गये। दफा १०७ के अन्दर ५० जनसंघ के लोगों पर जिन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया था मुकदमे चल रहे हैं। पांच जनसंघ के विशेष कार्यकर्ता हैं जिनको लाठियों से मारा गया। लेकिन इन सब के बाद भी पुलिस के लोग कोई सुनवाई नहीं करते। पुलिस कप्तान को पूरी तरह से बल्कि सब तरह से दरख्वास्तें दी गईं, तार दिये गये, डी० आई० जी० से लोग स्वयं मिले, उनके पास प्रार्थना-पत्र दिये गये तार किये गये जिनकी प्रतिलिपियां मेरे पास मौजूद हैं। जब यह भी बात नहीं मानी गयी तो विशेष रूप से अखिल भारतीय जनसंघ की कार्यकारिणी के सदस्य श्री राजकुमार जी ऐडवोकेट २९ अगस्त को माननीय मुख्य मंत्री जी से स्वयं मिले और यह सारे तथ्य उनके सामने रखे किन्तु उसके बाद भी कोई जांच नहीं हुई तो सितम्बर में प्रान्तीय भारतीय जनसंघ द्वारा एक प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में समर्पित किया गया। उसके बाद भी

[श्री शारदाबख्श सिंह]

जांच नहीं कराई गई। उसके बाद २९ और ३० सितम्बर को फिर कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसमें एक सब कमेटी बनाई गई और मेरे भाग्य से मैं भी उसका एक सदस्य था। मौके पर मैं गया और जितनी भी बातें वहां थीं, जितने भी पीड़ित लोग वहां थे उनकी सब बातें सुनने और देखने के बाद सारे बयान लेकर तथ्य लेकर मुख्य मंत्री जी तथा अन्य अधिकारियों के सामने रखा लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। बल्कि जिस दारोगा के खिलाफ यह सब शिकायतें थीं उसे कोतवाल बना दिया गया है। जब हम लोग सब कमेटी की ओर से वहां गये थे तब मैंने मुख्य मंत्री जी को लिख दिया था, वहां के पुलिस कप्तान और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिख रखा था। लेकिन पता नहीं क्या योजना थी जब हम वहां पहुंचे और हमने कहा कि हम लोग आ गये हैं और मैंने कहा कि हम पुलिस कप्तान को चाहते हैं तो पता नहीं क्या योजना थी कि पुलिस कप्तान, नहीं लीगी पुलिस कप्तान बोल रहे हैं। इसका अर्थ मैं बिलकुल समझ नहीं पाया क्या था। क्या बात थी? किन्तु इससे उस मनोवृत्ति का परिचय मिलता है कि वहां की पुलिस में क्या हो रहा है। लोगों से मिल करके जानकारी करके जो कुछ भी तथ्य था उसको जिला अधिकारियों से ले करके मुख्य मंत्री जी तक जो कुछ भी हम समझते थे हम अपनी ओर से कर चुके हैं। प्रार्थना-पत्र दे चुके हैं लेकिन आज तक जांच नहीं हुई है। वहां के लोग अत्यन्त निराश हैं। उनका जीवन उत्पीड़ित हो रहा है और ऐसी निराशा में उनको कोई दूसरा रास्ता नहीं दिखाई देता। केवल इतना ही है कि वह अपने जीवन से हाथ धो बैठें। इसलिये मैं पुलिस के क्षेत्र में यह निवेदन करना चाहता हूं कि किस प्रकार पक्षपात पूर्ण तरीके से विरोधी दलों को दबाने का प्रयत्न हो रहा है और हर प्रकार से प्रार्थना-पत्र देने के बाद भी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही है।

इसी प्रकार दूसरे विभागों के बारे में भी मैं कई बार कह चुका हूं। स्थानीय निकायों के संबंध में भी करीब-करीब सात, आठ चेयरमैन निकाल दिये गये। उनके लिये हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया गया और आज वह लोग बहाल हैं। लेकिन इस के बाद भी उन पर बराबर कार्यवाही की जा रही है किसी न किसी रूप में। मैंने पिछले बजट के समय यह बात बड़ी सविनय के साथ रखी थी, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि औरों के साथ तो क्या मेरे साथ भी वही बात हुई और मुझ को भी निराधार आरोप लगा कर सस्पेंड कर दिया गया। रिट के द्वारा वह सस्पेंशन आर्डर खत्म हुआ यह दूसरी बात है।

तो मैं यह कह रहा हूं कि जनता द्वारा निर्वाचित लोग जो स्थानीय निकायों में काम कर रहे हैं उनको सरकार इस प्रकार से निलंबित करके, हाई कोर्ट के निर्णयों को एक किनारे हटा कर जो यह पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार कर रही है उससे प्रदेश में एक विशेष स्थिति पैदा हो गई है। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि अगर विरोधी दल के लोग चुन कर किसी स्थान पर आते हैं तो उनको पूर्ण रूप से कार्य करने का मौका दिया जाय। आज सरकार का प्रजातंत्र में कितना विश्वास है इसकी यह एक कसौटी है। आपके द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय में कहना चाहता हूं कि इस में एक अनुदान में कहा गया है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिये सहायता दी जाय उसके लिये रुपया मांगा गया है। पिछले दिनों में मैंने हरदोई जिले के कटियारी नाम के स्थान का जिक्र इस सदन में किया था जहां कि पांच नदियां हैं। प्रत्येक साल उन की बाढ़ से वहां की सारी फसल नष्ट हो जाती है। वहां की जनता का जीवन दुखमय है, लेकिन वहां के लोगों को किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी जा रही है। इस समय भी वहां के लोग परेशान हैं। केवल दो हजार रुपया वहां भेज दिया गया है। वहां पचास हजार व्यक्तियों का जीवन दुख के साथ कट रहा है। मेरा निवेदन है कि सरकार जब बाढ़ग्रस्त इलाकों के लिये कोई अनुदान देती है तो उसका यह भी कर्त्तव्य है कि केवल उन्हीं इलाकों में जहां पर रुपया खर्च करना चाहती है वहीं वह न खर्च हो। उसको देखना चाहिये कि जहां से विरोधी दल के लोग आते हैं चुन कर, उन स्थानों पर भी वह

सहायता पहुंचाई जाय। केवल अपने क्षेत्र में ही वह रुपया खर्च किया जाय यह कोई शोभा की बात नहीं है।

जहांतक नियोजन का संबंध है यह स्पष्ट है कि वहां भी सरकार दलगत स्वार्थों के लिये कार्य चला रही है। नियोजन में भी पक्षपातपूर्ण व्यवहार करना देश के लिये मैं समझत हूं कि अच्छा नहीं है। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि आज प्रांत की जनता विस्मय के साथ यह चित्र देख रही है और आशा करती है कि अगर इस देश में प्रजातंत्र पद्धति चलाना है और उसके द्वारा लोगों के सामने आदर्श रखना है, परम्परायें बनाना है तो आप को निष्पक्ष हो कर हर दल को स्वतंत्र रूप से कार्य करने का अवसर देना चाहिये ताकि स्वस्थ परंपरायें इस देश में स्थापित हो सकें।

श्री अध्यक्ष––(श्री परिपूर्णानन्द को बुलाने के बाद) अब आप को सात, आठ मिनट ही मिलेंगे क्योंकि माननीय वित्त मंत्री जी को भी समय देना है।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)––मान्यवर, मैं श्रीमन्, से स्पष्ट निवेदन करूं कि मुझे वास्तव में कुछ विशेष इस अनुपूरक अनुदान के संबंध में निवेदन नहीं करना था। जितनी इसके आर्थिक पहलू की बातें हैं उनके संबंध में माननीय मंत्री जी को जो कुछ कहना है वह स्वयं कह देंगे? लेकिन मुझे दो, तीन बातें ऐसी लगीं कि जिन से केवल इस सदन के उपस्थित सदस्यों के मन में ही नहीं बल्कि श्रीमन् और लोगों के मन में भी अनेक भ्रांतियां पैदा हो सकती हैं, खास कर उन गलत बयानियों से जो कि उस तरफ बैठे सदस्यों ने की हैं। मुझे तो सिर्फ एक ही भाषण उधर के बैठे सदस्यों से सुनने का ऐसा मिला कि जो वास्तव में अनुपूरक अनुदान से कुछ संबंध रखता हो और वह माननीय उपाध्याय जी का भाषण था। इसके अतिरिक्त हमारे माननीय भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय ने जो भाषण दिया था उसे सुन कर तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ और दुख भी, खेद है कि वह इस समय सदन में नहीं हैं और प्रायः दुर्भाग्य ऐसा होता है कि ऐसे उत्तरों के समय वह सदन में नहीं रहते हैं। (लाबी में सुन रहे होंगे।)

मेरे सामने वह अनुपूरक अनुदान की मद है जो कि उनके मंत्रित्वकाल में इस सदन के सामने उपस्थित हुई थी। मुझे यह देख कर आश्चर्य होता है कि आज बड़ी भारी शिकायत इस बात की गई है कि १९ हजार एक सौ रुपया पुलिस के बजट में मांगा गया है पुलिस की तरफ से। पर माननीय भूतपूर्व वित्त मंत्री महोदय ने एक करोड़ ९८ लाख रुपये का अनुपूरक अनुदान इस सदन के सामने रखा था इस वास्ते कि पुलिस के कार्यों में बहुत कुछ तरक्की करने की आवश्यकता उन्होंने समझी थी। आज शिकायत इस बात की की जाती है कि तीन, चार बौद्ध तीर्थ स्थानों में जो पुलिस रखी गई है उसके लिये खर्चा क्यों बढ़ाया गया है? पर भूतपूर्व वित्त मंत्री ने तो केवल ९० हजार रुपया एक पुलिस सेट के लिये खर्च किया था। माननीय मंत्री महोदय ने उस समय इसके लिये कहा था कि पुलिस के कार्य में बहुत तरक्की हुई है। एक तरफ तो यह बातें कहीं जायं और फिर दूसरी तरफ बैठने का कारण यह नहीं हुआ करता कि अनायास ही उन पूरी बातों को इस तरह से भुला दिया जाय और वर्तमान माननीय वित्त मंत्री पर ऐसे लान्छन लगाये जायं जो अनुचित हैं, और अवांछनीय हैं।

दूसरी बात मुझे यह कहनी थी भूतपूर्व वित्त मंत्री को ऐसा लगा कि सरकार ने तरक्की तो की लेकिन ऐसे मामलों में तरक्की की जैसे चोरी में तरक्की की, डाके इतने बढ़े और ऐसी ही बातों में तरक्की हुई और यही बात उधर बैठे एक प्रतिष्ठित सोशलिस्ट नेता ने भी कही। इस नेता के विषय में तो मुझे केवल यह निवेदन करना है कि न जाने उनको इस सदन में कैसे अनुमति मिल जाती है कि कोई मुकदमा चलता हो, कोई गिरफ्तार होकर जेल में रखा गया हो और फर्द जुर्म लगने पर अदालत में जा चुका हो और फिर उसके बारे में इस सदन में यहां पर जिक्र किया जाय कि यह गिरफ्तारी उचित थी या अनुचित थी, मैं कानून का जानकार नहीं हूं लेकिन इतना जानता हूं कि इस प्रकार की बातें यहां लाना संभवतः उचित

[श्री परिपूर्णानन्द वर्मा]

न होंगी। इन सारी बातों की असलियत की जानकारी उनको है। सदन में इस प्रकार का गलत बयान देना कि आज जेल के अन्दर तादाद इतनी बढ़ गयी है कि जहां तीन आदमी जेल में रखे जाते थे वहां आज १५ आदमी रखे जाते हैं। मैं कहता हूं कि जरा भी यदि सही जानकारी उनको होती तो आज सदन में वह यह कहते कि आज बहुत से जेलों के संबंध में गवर्नमेंट के सामने यह समस्या हो गयी है कि वहां पर संख्या इतनी कम हो गयी है कि सफाई करने के लिये भी आदमी कम पड़ रहे हैं। पर उस नेताजी को आज तादाद बढ़ी मालूम होती है। उनके मस्तिष्क में आंकड़े बना करते हैं और उनके आधार पर ही वह बातें किया करते हैं और उसी से वह कहते हैं कि जेलों में कैदियों की तादाद बढ़ गयी है।

दूसरी बात मुझे यह कहना है कि जो लोग उस तरफ बैठे यह कहा करते हैं कि अपराधों की संख्या बढ़ गयी है और ज्यादा बढ़ गयी है तो एक बात मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कैसे वह तादाद हमारे यहां ही बढ़ी और कितनी बढ़ी। सभी विद्वान कहते हैं कि अपराध उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि सारे संसार के प्रत्येक कोने में, अपराधों की संख्या बढ़ गयी है। दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर अपराधों की संख्या पांच गुनी और दस गुनी न बढ़ी हो लेकिन देखने की यह बात भी है कि जहां पर अपराधों की संख्या को बढ़ी बताकर उनको खेद है या हर्ष है। माननीय भूतपूर्व वित्त मंत्री और प्रसिद्ध समाजवादी ने फिर उसी बात को दोहराया है कि उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या बढ़ी है। मैंने एक बार यहां साबित किया था कि वास्तव में उत्तर प्रदेश में सब अपराधों के संबंध में घटी है। पिछले साल भारत में ८२,५०० अच्छे गिरफ्तार हुये थे। बम्बई और कलकत्ता में इसके आंकड़े ७,८ हजार तक बढ़ गये हैं वहां उत्तर प्रदेश के आंकड़े भी देखें तो कम से कम इस बात का संतोष और गौरव होगा कि हमारे यहां इस विषय में हमारे प्रोबेशन विभाग ने कुछ तरक्की की है। इसलिये मेरा कहना यह है कि उधर के लोगों को सच्ची जानकारी ही इस सदन के सामने रखनी होगी और सही जानकारी के लिये उसको पढ़ना होगा। इस प्रकार कह देना कि अंग्रेजी जमाने में भी नहरें बनी थीं, पर उस वक्त बन्दूक धारी एक आदमी अफसर के आगे चलता था और एक आदमी बन्दूक लेकर पीछे चलता था तो उस जमाने की आज के युग से तुलना कभी नहीं की जा सकती। आज राष्ट्र स्वतंत्र हो गया है और उसमें इस प्रकार की भद्दी बात करना शोभनीय नहीं है।

इस सप्लीमेंटरी ग्रांट के संबंध में न कोई जिसका तुक था और न मौका था उसका भी यहां पर जिक्र किया गया। हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा कि इस चुनाव में करोड़ों रुपया पूंजीपतियों से आकर खर्च हो सकता है। मैं नहीं जानता कि जिम्मेदार आदमी कैसे इस प्रकार की बातें कह सकता है। मुझे मालूम नहीं कि कैसे और किस पूंजीपति से रुपया इसके लिये आता है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं और दावा कर सकता हूं कि अगर जिस किसी के मन में यह संकल्प हो कि किसी पूंजीपति का पैसा लगता है और उनके पैसे से उनका दल चलता है तो अगर यह साबित हो जाय कि उनके मद में पूंजीपति का पैसा लगा है तो क्या वे अपना दल छोड़ने के लिये तैयार होंगे। यदि वे छोड़ने के लिये तैयार हो जायं तो बताया जाय। केवल चुनाव को लेकर ऐसी बातें सदन में रखना शोभनीय नहीं है। पहले ही मैंने कहा था कि जहां तक आर्थिक पहलू है उसका उत्तर तो माननीय वित्त मंत्री जी स्वयं ही देंगे।

*वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---अध्यक्ष महोदय, जो बहस मैंने आज इन सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स के बारे में सुनी, उसने मेरे दिमाग पर हुआ रिएक्शन में आज कर देना चाहता हूं। वह यह हुआ कि उसमें कितनी बहस तो ऐसे सदन में होना मुनासिब भी नहीं थी और कितनी बजट के जनरल डिसकशन के समय हो सकती थी और कुछ बहस कोशिश करके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स से संयुक्त की जा सकती थी। मैं इस समय अपनी गुजारिश में केवल उनके मुताल्लिक अर्ज करूंगा जिनका कुछ न कुछ सम्बन्ध इन सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट्स से हो और बाकी बातों के बारे में अर्ज नहीं करूंगा।

कुछ विशेष कैसेज भी कहे गये और उनके लिये मेरे नजदीक मुनासिब वक्त वह हो सकता है जब कि किसी मुहकमे की खास ग्रांट पर बहस हो रही हो जैसी कि कल इस सदन में होगी। इस जिल्द में एक सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेट है जिसमें १९ हजार रुपया गवर्नमेंट हाउस के लिये, वहां दावतों के खर्चे के लिये, मांगा गया है। मैं याद दिलाऊंगा कि हमारे संविधान में गवर्नमेंट हाउस का खर्चा चार्ज्ड है। उस पर हमको बहस कर लेने का तो हक है लेकिन वोटिंग नहीं होती है। उसके संबंध में कुछ बातें इस सदन में कही गई और मैं यह समझता हूं कि वह गलतफहमी पर बनी थीं। मैं उस गलतफहमी को साफ करता हूं। यह मालूम है कि गवर्नरों को सम्पचुअरी एलाउन्स मिलता था, दावतों के लिये खर्चा मिलता था और वह मुकर्रर होता है प्रेसीडेंट साहेब के यहां से कि इतना खर्चा गवर्नमेंट हाउस को फलां मद के लिये दिया जाय। वह दिया जाता है। हमारे यहां के गवर्नमेंट हाउस के खर्चे में १९ हजार रुपया की रकम सालाना बतौर सम्पचुअरी एलाउन्स के दिया जाता था। सन् ५५-५६ में एक सूरत यह पेश आई कि गवर्नमेंट आफ इंडिया में एक फाइनेंस ऐक्ट बना और उसमें शब्द "एलाउन्स" इस्तमाल करके हर एलाउन्स पर यह करार दे दिया गया कि उसकी रकम अगर इतने से ज्यादा है तो उस पर इनकमटैक्स लगेगा। सिर्फ यही नहीं, बल्कि तमाम स्टेट्स में वह रकम जो गवर्नर को बतौर सम्पचुअरी एलाउन्स के दी जाती थी उस पर इनकम टैक्स लगाने का सवाल पैदा हो गया। और गवर्नरों ने भी किया होगा जैसा कि अभी बाद को मुझे मालूम हुआ लेकिन हमारे गवर्नर साहब ने उस रुपये को बतौर एलाउन्स के सन् ५५-५६ में नहीं लिया मगर खर्चा हुआ और उस रुपये को अब इस सप्लीमेंटरी बजट के जरिये से दिया जा रहा है। अब इसके लिये तमाम स्टेट्स में मुख्तलिफ सूरतें अख्तियार कर ली गयी हैं। अब गवर्नरों को जो सम्पचुअरी एलाउन्स के नाम से दिया जाता था वह नहीं दिया जायगा बल्कि दावत के खर्चे के नाम से वह उसको लेंगे। आगे भी इसी तरह से हुआ करेगा। यह पिछले साल का मामला था इसलिये यह सप्लीमेंटरी बजट में लाया गया।

एक बात स्कूलों में फीस की माफी के मुताल्लिक कही गयी। मैं उनको इतना ही इस संबंध में याद दिलाना चाहता हूं कि १-२-३ क्लासेज की फीस पिछली जुलाई से माफ कर दी गयी है। वह माफ हो चुकी है। लेकिन यह कहा गया कि ४-५ क्लासेज की फीस भी माफ हो जानी चाहिये। चुनान्चे मैं इस सदन की इत्तला के लिये यह अर्ज करता हूं कि इसी हुक्म में और इसी सरकुलर में जो इस फीस की माफी के मुताल्लिक यह जारी हुआ था, यह लिख दिया गया था कि ४-५ क्लासेज की फीस भी युकुम जुलाई ५७ से माफ हो जायगी। वह न ली जाया करेगी। उसके माफ होने का ऐलान पहले ही हो चुका है।

एक तीसरी बात टेक्निकल स्कूल की बाबत कही गयी। इस वक्त इस राज्य के अन्दर जगह-जगह टेक्निकल स्कूल्स प्राइवेट लोग कायम करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके बारे में मुख्तलिफ किस्म की मांगें मेरे पास आ रही हैं। मैं इस बात को इस नजर से देख रहा हूं कि कहां तक इस तरीके से स्कूलों का कायम होना इस राज्य के अन्दर मुनासिब होगा और जैसे तरीके अख्तियार किये जाते हैं वे मुनासिब हैं या नहीं। इसके लिये एक ऐडहाक कमेटी बना दी है जो रुड़की में है। उसके सामने यह मसला जेरेगौर है, और पब्लिक के सामने कुछ मुनासिब तजवीज गवर्नमेंट की तरफ से जल्द ही आने वाली है।

दो एक बातें फाइनेंशियल ऐतराज की बाबत भी मैं अर्ज किया चाहता हूं। एक बात आज ही नहीं बल्कि जब कभी सप्लीमेंटरी बजट पेश होता है सालाना यह बात कही जाती है और सालाना ही उसका जवाब भी दिया जाता रहा है। मिसाल के तौर पर यह कहा गया कि सप्ली-मेंटरी ऐस्टीमेंट्स सिर्फ अनफोरसीन खर्चों की बाबत ही आने चाहियें, मैं इसके मुताल्लिक पहले भी अर्ज कर चुका हूं और आज भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि अगर आप कांस्टीट्यूशन

[श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम]

को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि उसके आर्टिकिल २०५ में यह लिखा हुआ है कि सप्लीमेंटरी ऐस्टीमेंट्स का बजा इस्तेमाल क्या है। और किसी वक्त किसी और मौके पर इसको लिया जाना चाहिये और उसने मिनजुमला और बातों के साफ तौर पर यह लिखा है कि अगर साल के दौरान में कोई नया खर्चा करने की जरूरत महसूस हुई तो उस नये खर्च को सप्लीमेंटरी ऐस्टिमेट में लाया जायगा। उसमें अनफोरसीन और नान फोरसीन की कोई बात नहीं है। जिन साहबान ने इसको देखा होगा वे दोबारा इसको मेरे फिकरे की रोशनी में देखें तो उनको मालूम होगा कि कितना खर्चा किया गया है इस साल के अन्दर।

दो सूरतों में रुपया लिया जाता है, या तो गवर्नमेंट आफ इंडिया की कोई स्कीम आयी और गवर्नमेंट आफ इंडिया ने यह कहा कि फलां काम के लिये हम आपको इतना रुपया देंगे और उसका इतना हिस्सा आपको बरदाश्त करना होगा या किसी का सारा खर्चा आपको देना होगा। ऐसी हालत में उस स्कीम को शुरू किया गया। मैं समझता हूं कि अगर इस तरीके से कोई स्कीम शुरू कर दी गयी तो इसमें कोई गलत बात तो की नहीं गयी और न यह कायदे कानून के ही खिलाफ है जो इस मसले के लिये कायदा कानून है। एक बात मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि इस जमाने में जब कि हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, जब कि हम यह चाहते हैं कि हमारा डेवलपमेंट थोड़े से थोड़े वक्त के अन्दर हो जाय, ६, ६ महीने या साल-साल भर के लिये उनके लिये मुन्तजिर रहे कि नया बजट जब आये तब हम इस स्कीम को शुरू करें जब कि लेजिस्लेचर इसके लिये रुपया दे दे, मेरे नजदीक यह कोई अक्लमन्दी की बात नहीं होगी। जब गवर्नमेंट आफ इंडिया ने कहा और हम उस स्कीम को न शुरू करें तो मेरे नजदीक यह गलत बात हो सकती है।

दूसरी बात मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इस प्वाइंट आफ व्यू से भी हमें देखना है कि एक फाइनेंस कमेटी बनी है जो इस बात को देखती है कि जो सप्लीमेंटरी एस्टीमेट है उसका इस वक्त लिया जाना सही है या नहीं है। इस हाउस की उस फाइनेंस कमेटी ने उसको देख लिया है और उसने इसमें से कई बातों को निकाल दिया है कि इनका इस वक्त लिया जाना ठीक नहीं है बल्कि उनको आइन्दा नये बजट के वक्त आना चाहिये। एक बात यह भी मैंने सुनी कि यह सप्लीमेंटरी एस्टीमेट की पहली किश्त है और उसमें एक करोड़ २५ लाख रुपये की मांग की गयी है। बहुतों का ख्याल है कि जो सेविंग है उससे यह खर्च होगा। बेशक जो ख्याल मेरे दोस्तों का इस मामले में गुजरा वह ख्याल सही हो सकता है। इस साल बजट बनाने के बाद गवर्नमेंट आफ इंडिया ने देखा कि चूंकि मेटिरिअल मिलने में दिक्कत है और ट्रांस्पोर्ट वगैरह की भी दिक्कत है इसलिये उसने लिखा कि बजट साल के अन्दर आप इन तमाम रुपयों को खर्च नहीं कर सकते हैं इसलिये उस बजट में कुछ कमी कर दें।

खासतौर से इमारतों के मुताल्लिक उन्होंने लिखा जो कि पी० डब्ल्यू० डी० का मुहकमा है कि कई करोड़ रुपया जो आपने उसके लिये रखा वह खर्च नहीं हो सकेगा इसलिये उस रुपये को बजट के उस हिस्से से निकाल कर और तरफ खर्च कर सकते हैं। इसी बिना पर हमने उस रुपये को इस्तेमाल करना शुरू किया है। जो कि इस साल के बजट में इस वक्त महसूस होता है कि इस साल हम इतना खर्च कर रहे हैं। मेरे बहुत से दोस्तों का यह ख्याल है कि यह शायद ओवर बर्जटिंग का नतीजा है।

तो अगर वह ओवर बर्जटिंग का नतीजा होता तो पिछले सालों में जो बजट बनते रहे हैं उन में भी कहा जा सकता था कि इतना रुपया बजट से निकाल कर खर्च किया जाता है और वह बात सबको नोटिस में आ जाती लेकिन सभी दोस्तों को याद होगा कि इस तरह की कोई बात पहले नोटिस में नहीं आई। इसकी खास वजह यह है कि इस साल रुपया दूसरी मदों से मजबूरन बचाकर, चीजों के न मिलने की वजह से लाया जा रहा है और इन नई चीजों पर खर्च किया जायगा। बस यही बातें खास-खास थीं और ज्यादा मुझे अर्ज करने की जरूरत नहीं मालूम होती, मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस कल इन को मंजूर कर देगा।

श्री अध्यक्ष—अब आज बहस खत्म हुई।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल द्वारा प्रस्तावित व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के संबंध में श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अध्यक्ष—श्री पालीवाल जी ने यह कहा था कि वह कोई व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहते हैं कल के भाषण के बारे में। मैंने उन्हें दिखा दिया कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो भाषण दिया था उसमें केवल पालीवाल जी का भाषण से नतीजा निकाला था न कि यह कि पालीवाल जी ने जो कुछ कहा था उसके बारे में कोई ऐसे शब्द जोड़े थे जिन्हें पालीवाल जी ने अपने भाषण में न कहें हों। इसलिये पालीवाल जी को संतोष हो गया और अब उन के व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं रही और अब वह स्पष्टीकरण नहीं देंगे।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५६ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
९ अक्तूबर, १९५६।

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४ पर)

सूची संख्या १

अलीगढ़ जिले में प्रस्तावित तैयार और चालू नलकूपों की तहसीलवार सूची

नाम तहसील	चालू नलकूपों की संख्या	तैयार नलकूपों की संख्या जिसमें बिजली लगने की प्रतीक्षा है।	प्रस्तावित नलकूप की संख्या
अतरौली	१३१		प्रस्तावित नलकूपों की संख्या १० है इनका वितरण अभी निश्चित नहीं हुआ है।
कोइल	६२		
हाथरस	३६		
खैर	७७	३	
इगलास	२२		
सिकन्दराराव ..		१०	
योग ..	३२८	१३	

नत्थी 'ख'

(देखिय तारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ७४ पर)

सूची संख्या २

अलीगढ़ जिले में नहरी सिंचाई से बिना सींचे रह जाने वाली भूमि की तहसीलवार सूची

नाम तहसील	क्षेत्र जो नहरी सिंचाई रह जाता है
	एकड़
खैर	१,०८६
कोइल	२७,९१६
अतरौली	२१०
हाथरस	८,८६६
सिकन्दराराव	२९,२४६
योग ..	६७,३२४

अदर प्रदेश सरकार

नत्थी ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७६ पर)

सूची फसल मुआवजा ग्राम सुरतासपुर जो कि काश्तकारों को दिया गया

क्रम सं०	नाम काश्तकार	फसल का नाम	खेत का नम्बर	रकबा बीघों में	दर प्रति एकड़	धन जो कि दिया गया
					रु०	रु० आ० पा०
१	श्री नगही	जौ	१३६	० १६ १०	६९	२३ ११ ६
२	श्री राम शक्ल	बेझर	१३४·३४३	० १० १६	८०	२३ ११ ३
३	श्री रघुनाथ	बेझर	२३४.	० १५ ०	८०	३७ ८ ०
४	श्री जोखन	गेहूं	२४२	० १ २	१०५	३ ९ ९
	कुल			२ ३ ८		८८ ८ ६

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८३ पर)

मेज पर रखने के लिये सूची

नहर	ग्राम
रानीपुर मेन कैनाल	१—कुरैंचा
,,	२—लोहरगांव रानीपुर
,,	३—देवरी सिंह पुरा
,,	४—पचोरी
,,	५—नकोरा
,,	६—जलालपुर
,,	७—खरकासानी
,,	८—मऊरानीपुर
,,	९—झंकरी
,,	१०—मैलोनी
,,	११—चुरारी
,,	१२—लखेसर
,,	१३—धयाखर
,,	१४—रोरा
,,	१५—मेटपुरा
,,	१६—चिकारा
,,	१७—लहबुरा घाट
,,	१८—खड़रका
,,	१९—सिजारी खुर्द
,,	२०—सिजारी बुजुर्ग
,,	२१—इटाल
,,	२२—बरोरा
,,	२३—सानकपुरा
,,	२४—बरउटा
,,	२५—इमलउटा
,,	२६—शाहपुरा
,,	२७—गरहों
,,	२८—खेरी
,,	२९—मथीनश्रा
,,	३०—खडोरा
,,	३१—सिमरधा
,,	३२—पुरा
,,	३३—जसवन्तपुरा
,,	३४—सुजानपुरा
,,	३५—रामपुरा
,,	३६—निपान
लिधौरा माइनर	१—इटाल
,,	२—कोहरा
,,	३—लिधोरा
पसोरा माइनर	१—सोनकपुरा
,,	२—योनी
,,	३—पुछी
,,	४—मारकुंवा
,,	५—कांवां घाट
,,	६—चैतुर ताई
,,	७—केदार ताई
,,	८—गोरपुरा
टोला माइनर	१—सिमरधा
,,	२—ढिबकई
,,	३—सिरोधा
,,	४—बनहोरी
सिश्रावरी फीडर	१—लोहरगांव रानीपुर
,,	२—विभोनी
,,	३—श्रावरी खुर्द
रुपाधापना माइनर	१—मकोरा
,,	२—जलालपुर
,,	३—रुपा धामना
,,	४—बरोरी
मेडकी माइनर	१—दुरगापुर
,,	२—मेड़की
दुर्गापुर माइनर	१—मडोरा
,,	२—पचोरा
,,	३—दुर्गापुर
,,	४—कोटरा

नहर	ग्राम
बिरोना माइनर	१—खेरी
,,	२—केदार ताई
,,	३—मकनिया
,,	४—गोरपुरा
,,	५—पसोरा
,,	६—बंगरा
,,	७—विरोना
सिघावनी माइनर	१—लोहगांव रानीपुर
,,	२—बचौरा
,,	३—सिघावनी खुर्द
तिलेरा माइनर	१—धवासर
,,	२—सिलेरा
,,	३—बमरारी
,,	४—मड़वा
धवासर इस्केप	१—धवासर
,,	२—धमनापायक
निमगहना माइनर	१—गोरपुरा
,,	२—सड़ोरा
,,	३—निमाहना

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५० का उत्तर पीछे पृष्ठ ८४ पर)

स्मारकों की सूची

विजय स्तम्भ, लखनऊ ।

विजय स्तम्भ, मेरठ ।

तांतिया टोपे (प्रस्तर), कानपुर ।

नाना साहब (प्रस्तर), बिठूर ।

महारानी लक्ष्मी बाई (प्रस्तर), झांसी ।

राजा चेत सिंह (संगमरमर पत्थर), वाराणसी ।

चन्द्र शेखर आजाद, (प्रस्तर), इलाहाबाद ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८६ पर)

RULES REGULATING THE GRANT OF TRAVELLING ALLOWANCE TO PRESIDENTS AND MEMBERS OF DISTRICT BOARDS

President

Notification—nos. 7297/IX—205-48 and 3182B/IX-879/51, dated January 20, 1949 and November 24, 1952 respectively.

1. The Board may, at its expense, provide a motor car for the official use of the President, subject to the following conditions—

(*a*) that not more than one motor car (new or second-hand) shall be purchased for the use of a President of District Board during a period of four consecutive years ;

(*b*) that the cost of the motor car does not exceed Rs. 13,000.

1. *Note*—Motor car includes a jeep or a pick-up.

(*c*) that the Board shall get the car comprehensively insured ;

(*d*) that the motor car shall vest in it and belong to the Borad ;

(*e*) that the Board shall meet expenditure incurred on its maintenance and repairs at a cost not exceeding Rs. 1,000, per annum and in the case of Boards in the hill districts, Rs.1,250 per annum, and also make necessary provision for a chauffer ;

(*f*) that no motor car shall be purchased without the previous permission of the Commissioner of the Division who will accord permission it the matter, after taking the financial condition of the Board into consideration. In case, however, a second motor car is required to be purchased within a period of four years of the purchase of the last vehicle. the sanction of Government shall be obtained for it ;

(*g*) that a Board shall not have more than one motor vehicle for the use of the President at any time. As soon as a new car is purchased, the old one shall be disposed of suitably with the sanction of the Commissioner of the Division;

(*h*) that a motor car given to the President of a District Board for his official use, shall on no account be utilised by him either for his private business or for the private business of any member or employee of the Board, or of any friend or relation of the President or a member or employee of the Board; and

(*i*) that the President shall receive a fixed allowance of Rs. 250 per mensem and in the case of District Boards in hill districts Rs.300 per mensem in lieu of the cost of petrol, mobil oil and his out-of-pocket expenses while on tour within the distrit ;

2. *Note*—The Boards shall maintain a "log book" for their Presidents' cars or jeeps. Every President using a Board's vehicle shall see that the log book, which should show full details of journey and mileage, is maintained properly and with due care, and he shall personally check and sign the entries immediately after a journey is made. The book shall be made available for audit purposes *vide* G. O. no. 4046B/IX-33B/52 dated December 13, 1952.

2. Where no car is provided, the Board shall grant to the President an allowance of Rs.300-per mensem for meeting his travelling expenses within the district.

Provided that the District Boards of Almora, Naini Tal and Garhwal shall allow to the President, in addition to the above allowance, at their own expense the services of such number of coolies as they may decide subject to a maximum of five for the periods during which the President remains on tour within the district on the business of the Board.

Notification no. 1249/IX—205/48, Notification no. 1249/IX-205/1948, dated July 13, 1950.

3. The President shall tour within the district on the business of the Board for not less than such number of days in a month or a year as may be prescribed by the Provincial Government by means of an executive order.

3. *Note*—The Presidents of District Boards shall tour for at least ten days in a month in the rural areas of their districts. In the case of the District Boards in the Kumaun Division, however, since it may not be possible for the Presidents to go out on tour during the winter months, the minimum period of touring is relaxed at 120 days in a year, *vide* G. O. no. 925/205/1948, dated February 22, 1951.

4. For work outside the district on the business of the Board, the Presidents may draw travelling allowance, with the sanction of the prescribed authority, not exceeding that admissible to Government servants of the first class :

Provided that where a journey can be performed by rail, road mileage will not be allowed.

Provided further that if a President has to outside the district on the business of the Board and if for that purpose draws travelling allowance and daily allowance from the Board's funds, he shall surrender 1/30th of his fixed allowance for each day of his tour outside the district.

Notification no. 1802A/IX—205/1948, dated July 19, 1951.

Members

5. The Board may, if it thinks proper by a special resolution, allow its members to draw travelling allowance at the rate of 3 annas per mile for road journeys (with an increase of 33-1/3 per cent for hill roads) and 1½ Second class fare each way for rail journeys ;

(1) for attending a duly convened meeting of—
  (i) the Board, or
  (ii) the Executive Committee, if the member concerned is a member of that Committee, or
  (iii) any other committee duly constituted by or under the Act or any rules or regulations made thereunder and of which he is a member ; and
(2) When specifically deputed by the Board for work within or outside the district :

Provided that where a journey can be performed by rail, road mileage will not be allowed.

President, Tahsil Committee for ordinary Inspections

6. In special cases a board may, subject to the sanction of the Provincial Government, grant travelling allowance, at the rate admissible to a member of the Board, to the President of a tahsil or sub-divisional committee for ordinary inspections within the jurisdiction of the tahsil or sub-division concerned.

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७९–८० का उत्तर पीछे पृष्ठ ९० पर)

नगरपालिका गोरखपुर को पिछले तीन वर्षों में दिये गये कर्ज और अनुदानों तथा नगरपालिका द्वारा उनके उपयोग का विवरण

कर्ज

विषय	१९५३–५४	१९५४–५५	१९५५–५६	योग	खर्च हुआ या नहीं
जल वितरण योजना	३,००,०००	७,६८,३९१	१२,७५,०००	२३,४३,३९१	नगरपालिका ने सारी धनराशि Chief Engineer Local-Sel Govt. Engineering Deptt. Uttar Pradesh, के पास जमा कर दी है। काम जारी है।
खाद बनाने के लिये मोटर गाड़ी; ट्रैक्टर ट्राली खरीदने के लिये	..	१६,०००	५०,०००	६६,०००	१६,००० रु० की रकम को नगरपालिका ने खर्च कर लिया है। दूसरी ५०,००० रु० की रकम अभी खर्च होना बाकी है।
मेहतरों के क्वार्टरों के लिये	..	५०,०००	..	५०,०००	नहीं

अनुदान

विषय	१९५३–५४	१९५४–५५	१९५५–५६	योग	खर्च हुआ या नहीं
सड़कों के सुधार के लिये।	१,००,०००	७७,६००	९९,६००	२,७७,२००	खर्च हो गया।
बाढ़ से क्षति ग्रस्त सड़कों तथा इमारतों की मरम्मत के लिये।	..	..	५,०००	५,०००	नहीं
मेहतरों के क्वार्टरों के लिये।	..	२५,०००	..	२५,०००	नहीं

नत्थी 'ज'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१ पर)

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ के उत्तर में उल्लिखित बांधों पर कार्य की प्रगति का विवरण।

हाहानाला बांध पर मिट्टी का कार्य समाप्त हो चुका है। हाहानाला खास पर रेगूलेटर (regulator) लगाने का काम बाकी है। यह भी तैयार है केवल फाटक लगना शेष है। यह रुड़की के सरकारी कारखाने में बन रहा है। इस बांध से दुवारी के पूर्व एक बहुत बड़े कस्बे को खास तरीके से लाभ पहुंचेगा।

महोला गढ़वाल बांध पर नवम्बर सन् १९५५ में कार्य आरम्भ हुआ था। कुल मिट्टी ७१० लाख घनफुट पड़ती है। लगभग ३७५ लाख घनफुट मिट्टी इस पर पड़ चुकी है। इस के अतिरिक्त बदरुआ नाले का रेगूलेटर भी अभी बनना बाकी है। आशा है कि ये काम जून १९५७ तक पूरे हो जायेंगे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी० ए० पी०—२२४—एल० ए०—१९५६—७९६।